

# मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड



सातवां वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22



# मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सातवां वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

---

सेकंड फ्लोर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग,  
काली बाड़ी रोड, बी.एच.ई.एल., सेक्टर-ए, बरखेड़ा, भोपाल - 462022





क्र.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	कॉरपोरेट जानकारी	1-2
2	संचालकों का प्रतिवेदन एवं वार्षिक रिटर्न के लिए एक्स्ट्रैक्ट (MGT-9)	5-35
3	लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	36-38
4	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	39-56
5	31 मार्च 2022 का तुलन पत्र	57-58
6	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण	59-60
7	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण	61-62
8	31 मार्च 2022 पर समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां	63-96



**मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
(भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन का संयुक्त उपक्रम)

**कॉरपोरेट जानकारी**

**संचालक मण्डल :** (वार्षिक साधारण सभा की तिथि को)

स. क्र.	नाम	पदनाम
1	<b>श्री सुरेन्द्रकुमार बागड़े</b> अतिरिक्त सचिव (आवास), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष एवं नामांकित संचालक (भारत सरकार)
2	<b>श्रीमती डी. थारा</b> संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	नामांकित संचालक (भारत सरकार)
3	<b>श्री बी.के. गुप्ता</b> कार्यकारी संचालक/परियोजना निगरानी (एसएजी/आईआरएसई), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	नामांकित संचालक (भारत सरकार)
4	<b>श्री संजय मिश्रा</b> संचालक (परियोजना), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नामांकित संचालक (भारत सरकार)
5	<b>श्री ओ.एच. पांडे</b> संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नामांकित संचालक (भारत सरकार)
6	<b>श्री नीरज मंडलोई</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग	नामांकित संचालक (म.प्र. शासन)
7	<b>श्री मनीष रस्तोगी</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग	नामांकित संचालक (म.प्र. शासन)
8	<b>श्री मनीष सिंह</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	नामांकित संचालक (म.प्र. शासन)

स. क्र.	नाम	पदनाम
9	<b>श्री डी.बी. पाटिल</b> सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	नामांकित संचालक (म.प्र. शासन)
10	<b>श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव</b> प्रबन्ध संचालक, एमपीएमआरसीएल	प्रबंध संचालक (म.प्र. शासन)
11	<b>श्री अजय शर्मा</b> संचालक परियोजना, एमपीएमआरसीएल	पूर्णकालिक संचालक
12.	<b>श्रीमती नीति कोठारी</b> संचालक वित्त, एमपीएमआरसीएल	पूर्णकालिक संचालक

**सांविधिक लेखा परीक्षक:**

मैसर्स संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या- 008773C

**आंतरिक लेखापरीक्षक:**

मैसर्स कमल मिश्रा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

**सचिवीय लेखा परीक्षक:**

मैसर्स नीलेश गुप्ता एंड कंपनी

व्यावसायिक कंपनी सचिव

**कंपनी सचिव:**

श्री संदीप जैन

- बैंक :
1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
  2. बैंक ऑफ बड़ौदा
  3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

**पंजीकृत कार्यालय:**

सेकंड फ्लोर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग,  
काली बाड़ी रोड, बी.एच.ई.एल., सेक्टर-ए, बरखेड़ा, भोपाल 462022

सीआईएन संख्या : U75100MP2015SGC034434



**सूचना**

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक रिपोर्ट मूल अंग्रेजी भाषा की हिन्दी में अनुवादित प्रति है। उक्त अनुवादित रिपोर्ट के अर्थ घटना या संदर्भ समझने के हेतु या किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या स्पष्टीकरण/सुनिश्चिति की आवश्यकता होने पर, अंग्रेजी वार्षिक रिपोर्ट के अर्थ घटन/संदर्भ को आखिरी तथा निर्णायक समझें।





## संचालकों की रिपोर्ट

### प्रिय शेयरधारकगण,

आपके संचालकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के काम-काज पर लेखापरीक्षित लेखों, ऑडिट रिपोर्ट तथा उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ सातवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता है।

### 1. वित्तीय विवरण सारांश:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन संक्षेप में प्रस्तुत है: -

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
कुल आय	18.91	9.65
कर्मचारी लाभ प्रभार	3.45	2.01
अन्य व्यय	6.93	7.33
<b>ब्याज, मूल्यहास एवं कर से पूर्व आय (ईबीआईडीटी)</b>	<b>8.53</b>	<b>0.31</b>
मूल्यहास	0.57	0.67
अपवाद मदें	1.13	1.98
कर व्यय	(0.06)	(0.09)
<b>कर के बाद वर्ष के लिए लाभ /(हानि)</b>	<b>6.89</b>	<b>(2.25)</b>

- 1.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 9.65 करोड़ रुपये के विरुद्ध कुल राजस्व 18.91 करोड़ रुपये सृजित हुआ था जिसमें मुख्य रूप से बैंकों से प्राप्त ब्याज और निविदा विक्रय की आय से अन्य आय सम्मिलित थी। इसी अवधि में 7.96 करोड़ रुपए की असाधारण मद और कर प्रभार से पूर्व लाभ देते हुए वहन किया गया कुल व्यय 10.95 करोड़ रुपए था। असाधारण मदों और कर प्रभारों के समायोजन के बाद, वर्ष के दौरान 6.89 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया था।
- 1.2 वर्ष के दौरान, दोनों हितधारकों नामशः भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन को पूंजी की राशि के 855.82 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर समान अनुपात में आवंटित किए गए थे। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 1,208.00 करोड़ रुपये थी।
- 1.3 यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से कंपनी को 307.28 करोड़ रुपये के वित्त पोषण के विरुद्ध भारत सरकार से पास थ्रू एसिस्टेंस (पीटीए) प्राप्त हुआ है। हालांकि, 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ईआईबी द्वारा भारत सरकार को कोई संवितरण नहीं किया गया है।

- 1.4 वर्ष के दौरान भारत सरकार से केंद्रीय करों के लिए 42.67 करोड़ रुपये के तथा केंद्रीय करों, राज्य करों, भूमि, आरएंडआर और आईडीसी के लिए म.प्र. शासन से 262.00 करोड़ रुपये के अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुए। 31 मार्च 2022 तक अधीनस्थ ऋणों के विरुद्ध कुल योगदान 373.81 करोड़ रुपये था।
- 1.5 वर्ष के दौरान, कंपनी को एमआरटीएस के तहत किए जाने वाले सर्वेक्षण और अध्ययन के संबंध में म.प्र.शासन से रु.1.44 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ और वर्ष के दौरान अनुदान के संदर्भ में किए गए राजस्व व्यय को कम करने के बाद 31 मार्च, 2022 तक अनुदान के विरुद्ध कुल योगदान 19.61 करोड़ रुपये था।

## 2. भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की स्थिति इस प्रकार है:

- यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)-भोपाल मेट्रो रेल परियोजना हेतु दूसरी टेंच के लिए वित्त अनुबंध के प्रारूप प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)-इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए ऋण अनुबंध और परियोजना अनुबंध के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- एशियाई विकास बैंक (एडीबी)-प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत की गई है।

## 3. कंपनी के काम-काज की स्थिति:

### 3.1 भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए सिविल कार्यों की स्थिति:

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना में 27.87 किमी की कुल लंबाई में 30 स्टेशनों के साथ 2 लाइनों यानी पर्पल-लाइन और रेड-लाइन शामिल हैं। करोंद सर्कल से एम्स तक पर्पल-लाइन में 12.58 किमी एलिवेटेड, 2.41 किमी अंडरग्राउंड सेक्शन और 16 स्टेशन (14 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड) हैं। भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहा तक की रेडलाइन में 12.88 किमी एलिवेटेड सेक्शन और 14 स्टेशन हैं। एक स्टेशन "पुल-बोगदा" दोनों लाइनों के लिए इंटरचेंज स्टेशन है। सुभाषनगर में एक रोलिंग स्टॉक डिपो की योजना बनाई गई है जो दोनों लाइनों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

तकनीकी आधारों पर पर्पल लाइन के एलिवेटेड सेक्शन की लंबाई 12.58 किमी से बढ़ाकर 13.35 किमी तथा रेडलाइन पर 12.88 किमी से 14.21 किमी तथा भूमिगत सेक्शन की लंबाई 2.41 किमी से बढ़ाकर 3.39 किमी करने का प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया के अंतर्गत है।

सुभाष नगर से एम्स पर्पल लाइन के 6.226 किमी के प्राथमिकता सेक्शन में वायाडक्ट के निर्माण के लिए निविदा अक्टूबर 2018 में सौंपी गई थी। इस प्राथमिकता सेक्शन (अनुबंध बीएच-01) में वायाडक्ट का कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 2022 तक पूरा होना निर्धारित है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए पर्पल लाइन (अनुबंध बीएच-02) के प्राथमिकता वाले सेक्शन में 8 स्टेशनों के निर्माण के लिए निविदा नवंबर 2021 में सौंपी गई थी और मार्च 2024 तक पूरा होना निर्धारित है। सुभाष नगर में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉक डिपो का निर्माण मार्च 2022 में सौंपा गया था जिसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है।



इंदौर मेट्रो रेल परियोजना में 31.55 किमी की कुल लंबाई और 30 स्टेशनों के साथ बंगाली चौराहा-विजय नगर-भवरसला-एयरपोर्ट-पलासिया-बंगाली चौराहा की रिंग लाइन (येलो लाइन) शामिल है। तकनीकी आधारों पर येलो लाइन के एलिवेटेड सेक्शन की लंबाई 21.24 किमी से बढ़ाकर 24.02 किमी, अंडरग्राउंड सेक्शन की लंबाई 3.22 किमी से 7.44 किमी और ग्रेड की लंबाई 7.09 किमी से घटाकर शून्य किमी तथा एलिवेटेड स्टेशनों की संख्या 20 से बढ़ाकर 23 करने, भूमिगत स्टेशनों को 4 से 6 तक और ग्रेड स्टेशनों को 6 से शून्य तक करने का प्रस्ताव भी अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।

5.29 किमी लंबे वायाडक्ट के निर्माण कार्य का ठेका (अनुबंध आईएन-01) दिसंबर 2018 में दिया गया था और इसे अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021-2022 में 9 मेट्रो रेल स्टेशनों के साथ 10.93 किमी लंबे वायाडक्ट के लिए (अनुबंध आईएन-03) और स्टेशन भाग के 1.05 किमी लंबे वायाडक्ट सहित 7 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए अनुबंध (आईएन-02) किया गया है जिनको क्रमशः जनवरी 2024 और फरवरी 2024 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। निर्माण कार्यक्रम में 5 मेट्रो स्टेशनों के साथ 5.98 किमी लंबे वायाडक्ट को पूरा करने की इस प्रकार योजना बनाई गई है कि सितंबर 2023 तक 5.98 किमी लंबे सर्वोच्च प्राथमिकता कॉरिडोर को चालू किया जा सके और 12 स्टेशनों के साथ 11.29 किमी लंबे वायाडक्ट के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर का शेष कार्य फरवरी 2024 तक पूरा किया जा सके। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए गांधी नगर में रोलिंग स्टॉक डिपो का निर्माण फरवरी 2022 में दिया गया था और भवनों के महत्वपूर्ण घटक, शेड्स को सितंबर 2023 से पहले पूरा करने का प्रस्ताव है ताकि सर्वोच्च प्राथमिकता कॉरिडोर को चालू किया जा सके।

880 रेल, 1080 रेल और टर्न आउट की आपूर्ति तथा ट्रैक की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और एजेंसी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।

### 3.2 भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए व्यवस्था कार्य (सिस्टम वर्क) की स्थिति:

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना दोनों के लिए रोलिंग स्टॉक की आपूर्ति, सिग्नलिंग की आपूर्ति और अधिष्ठापना, ट्रेन नियंत्रण और दूरसंचार, तीसरी रेल एवं उप-स्टेशन (रिसीविंग सब-स्टेशन) सहित ट्रैक्शन और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था और अधिष्ठापना, लंबवत (हारिजोनटल) और क्षैतिज (वर्टिकल) परिवहन प्रणाली की आपूर्ति और अधिष्ठापना तथा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डसहित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली की आपूर्ति और अधिष्ठापना जैसे प्रमुख कार्यों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

पैकेज बीएच एंड आईएन 02-आर एस एवं एस एंड टी की विशिष्टियों को अंतिम रूप देने के साथ-साथ निविदा दस्तावेजों की तैयारी और समीक्षा का कार्य पूर्ण हो गया था। इस संयुक्त निविदा, जिसमें रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, ट्रेन नियंत्रण और दूरसंचार की आपूर्ति और अधिष्ठापना के साथ-साथ आरएस का 15 वर्ष तक रखरखाव और एस एंड टी का 7 वर्ष तक रखरखाव सम्मिलित हैं। यह निविदा भारतीय मेट्रो में अपनी तरह की अनूठी है।

**4. भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के सामाजिक कार्य:**

पुनर्वास एवं पुनःस्थापना गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु पुनर्वास कार्यान्वयन सहायता एजेंसी को नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मेट्रो संरक्षण (एलाइनमेंट) के कुछ हिस्सों में परियोजना प्रभावित परिवारों की पहचान की गई थी। अधिकांश परियोजना प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया है और तदनुसार मुआवजा दिया गया है।

**5. डिपो/रिसीविंग सब-स्टेशन, भूमि और वित्त पोषण के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट के लिए राज्य स्तरीय समिति:**

एशियाई विकास बैंक द्वारा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु डिपो/रिसीविंग सब-स्टेशन भूमि और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं।

**6. भावी विस्तार और परियोजनाएं:**

कंपनी मध्य प्रदेश के पांच (5) शहरों (इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल) के लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट सहित व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करने में संलग्न है। कंपनी इंदौर से उज्जैन क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन में भी संलग्न है।

**7. मेक इन इंडिया पहल:**

सभी इक्विटी वित्त पोषित निविदा पैकेजों में मेक इन इंडिया प्रेफरेंस क्लॉज़ शामिल हैं। इसके अलावा, रोलिंग स्टॉक निविदा, मेक इन इंडिया पहल के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार है।

**8. कोविड-19 महामारी के कारण आने वाली चुनौतियाँ:**

संभावित बोलीदाताओं के अनुरोध के आधार पर लगभग सभी निविदा पैकेजों के लिए बोली की देय तिथियां बढ़ा दी गई थीं। निर्माण स्थलों को भी महामारी फैलने से जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ा है।

**9. लाभांश:**

कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक परिचालन आरंभ नहीं किया है और इसलिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की जा रही है।

**10. रिजर्व:**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

**11. जमा:**

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (31), 73 और 74 के तहत जनता से कोई भी डिपॉजिट आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया है। 31 मार्च, 2022 को कोई दावा न किया गया या अदत्त डिपॉजिट नहीं था।

**12. पूंजी संरचना:**

31 मार्च, 2022 को, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी, 10/-रुपये प्रत्येक के 500,00,00,000 (पांच सौ करोड़) इक्विटी शेयर्स में विभाजित 5000,00,00,000/-रुपये (पांच हजार करोड़ रुपये मात्र) है। कंपनी



की प्रदत्त शेयरपूंजी, 10/-रुपये प्रत्येक के 1,20,80,00,000/- (एक सौ बीस करोड़ अस्सी लाख) इक्विटी शेयर्स में विभाजित पूंजी 12,08,00,00,000/-रुपये (एक हजार दो सौ आठ करोड़ रुपये मात्र) है। कंपनी के पास प्रदत्त पूंजी का भाग बनने वाले इक्विटी शेयर्स के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

**13. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो:**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

**14. नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं:**

इस अवधि के दौरान, नियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित किया जा सके।

**15. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की दिनांक के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं यदि कोई हों:**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष और इस रिपोर्ट की दिनांक के बीच कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो।

**16. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या बंद हो गई हैं या समाप्त हो गई हैं:**

कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां नहीं हैं।

**17. धारा 92(3) के तहत वार्षिक रिटर्न:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) में संदर्भित वार्षिक रिटर्न फॉर्म संख्या एमजीटी-9 परिशिष्ट- "ए" में संलग्न है।

**18. सांविधिक लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने अपने पत्र सं./सीएवी/सीओवाई/मध्य प्रदेश, एमपीएमआरसीएल(1)/1964 दिनांक 15/03/2022 द्वारा मैसर्स संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (सीआर-2650), भोपाल-462016 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट स्व-व्याख्यात्मक है और इसमें कोई अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है। वर्ष के दौरान, कंपनी के लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत किसी तरह की धोखाधड़ी प्रतिवेदित नहीं की है।

**19. भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और उनके प्रबंधन के उत्तर परिशिष्ट-"बी" में संलग्न हैं।**

**20. आंतरिक लेखा परीक्षक:**

मैसर्स कमल मिश्रा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंतरिक लेखा परीक्षा

आयोजित करने के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी रिपोर्ट की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

## 21. सचिवीय लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी ने मैसर्स नीलेश गुप्ता एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सीपी नंबर 6846) को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए को नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा जारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट- "सी" में रखी गई है। सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:-

1. संचालक मंडल की वर्ष के दौरान तीन (3) बार बैठक हुई। जिन तारीखों को बैठकें आयोजित की गईं, वे हैं: 16 अगस्त, 2021, 29 नवंबर, 2021 और 28 मार्च, 2022। हालांकि, कंपनी को कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम चार बोर्ड बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता थी।
2. समीक्षा अवधि के दौरान 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को सीएजी की टिप्पणियों की अनुपलब्धता के कारण 29 नवंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में नहीं अपनाया गया था और इसे 22 अप्रैल, 2022 को स्थगित वार्षिक आयोजित आम बैठक में अपनाया गया था।

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:-

1. भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करेंगे
2. सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन स्व-व्याख्यात्मक है और इसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

## 22. लागत लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को न तो लागत अभिलेखों को बनाए रखने की और न ही लागत लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

## 23. जनसंपर्क और सोशल मीडिया:

कंपनी की तीन प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मौजूदगी है। इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग परियोजना से संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ कंपनी की विभिन्न पहलों की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है।

## 24. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विवरण:-

### (ए) ऊर्जा का संरक्षण:

एमपीएमआरसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं में प्रणालियों की योजना बनाते समय



ऊर्जा संरक्षण को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है। एमपीएमआरसीएल ने कई ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करके, ओपन एक्सेस के तहत बिजली का क्रय और अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके अपनी ऊर्जा खपत में कटौती करने और अपनी ऊर्जा क्रय प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं।

कुछ प्रमुख पहल हैं, डिपो और स्टेशन भवनों पर सौर पैनल, स्टेशनों और डिपो के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) प्लेटिनम रेटिंग प्रमाणन की योजना, रोलिंग स्टॉक के ब्रेक के लिए पुनरुज्जीवित (रिजनरेटिव) प्रौद्योगिकी का प्रावधान आदि।

### (बी) प्रौद्योगिकी अवशोषण:

एमपीएमआरसीएल में किसी भी मशीनरी या अन्य तकनीकी उत्पादों का क्रय करते समय आयातित उत्पादों पर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। कंपनी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए “मेक इन इंडिया” के दिशानिर्देशों का पालन करती है।

### (सी) विदेशी मुद्रा आय और व्यय: शून्य

## 25. संचालक मंडल:

- 31 मार्च 2022 तक बोर्ड में 11 संचालक शामिल थे, जिनमें से 1 क्रियाशील संचालक हैं, अध्यक्ष सहित 5 संचालक भारत सरकार द्वारा नामित किए गए थे और प्रबंध संचालक सहित 5 संचालक म.प्र.शासन द्वारा नामित किए गए थे। नामित संचालक और पूर्णकालिक क्रियाशील संचालक बरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनके पास सरकार के काम-काज में व्यापक अनुभव है और उनके पास उच्चस्तरीय प्रशासनिक कौशल, वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता है।
- वर्ष के दौरान संचालकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन का विवरण

क्रमांक	नाम	डीआईएन	नियुक्ति / समाप्ति की तिथि	परिवर्तन की प्रकृति
1	<b>श्री कामरान रिजवी</b> अतिरिक्त सचिव (डी एंड यूटी), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	01653503	01/07/2021	समाप्ति
2	<b>श्री सुरेन्द्रकुमार बागड़े</b> अतिरिक्त सचिव, (आवास) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	02305641	01/07/2021	नियुक्ति
3	<b>श्री नितेश व्यास</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन शहरी विकास एवं आवास विभाग	02320055	19/05/2021	समाप्ति

क्रमांक	नाम	डीआईएन	नियुक्ति / समाप्ति की तिथि	परिवर्तन की प्रकृति
4	<b>श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव</b> आयुक्त, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग	02008508	10/06/2021	नियुक्ति
5	<b>श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव</b> आयुक्त, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग	02008508	31/08/2021	समाप्ति
6	<b>श्रीमती छवि भारद्वाज</b> अतिरिक्त सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय	06499360	31/08/2021	प्रबंध संचालक के रूप में नियुक्ति
7	<b>श्री मनीष सिंह</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	02947579	25/01/2021	संचालक के रूप में पुनः नामित
8	<b>श्री अजय शर्मा</b> संचालक परियोजना, एमपीएमआरसीएल	08644408	23/03/2022	पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति

iii वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर संचालकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण:

स. क्र.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1	<b>श्री सुरेन्द्रकुमार बागड़े</b> अतिरिक्त सचिव, (आवास) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	02305641	अध्यक्ष एवं संचालक
2	<b>श्रीमती डी. थारा</b> संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	01911714	संचालक
3	<b>श्री बी.के. गुप्ता</b> कार्यकारी संचालक/परियोजना निगरानी (एसएजी/आईआरएसई), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	08121844	संचालक
4	<b>श्री संजय मिश्रा</b> संचालक (परियोजना), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	08102041	संचालक

स. क्र.	नाम	डीआईएन	पदनाम
5	<b>श्री ओ.एच. पांडे</b> संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।	08397090	संचालक
6	<b>श्री मनोज गोविल</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग	07651991	संचालक
7	<b>श्री नीरज मंडलोई</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग	02037213	संचालक
8	<b>श्री मनीष रस्तोगी</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग	02579544	संचालक
9	<b>श्री मनीष सिंह</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन शहरी विकास एवं आवास विभाग	02947579	संचालक
10	<b>श्रीमती छवि भारद्वाज</b> अतिरिक्त सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय	06499360	प्रबंध संचालक
11	<b>श्री अजय शर्मा</b> संचालक परियोजना, एमपीएमआरसीएल	08644408	पूर्णकालिक संचालक
12	<b>श्रीमती सुषमा दुबे</b>	ईआरपीडी8773जे	संचालक (वित्त) और सीएफओ
13	<b>श्री संदीप जैन</b>	एम.न.एफ7847	कंपनी सचिव

iv स्वतंत्र संचालक द्वारा घोषणा और पुनः नियुक्ति, यदि कोई हो:

कंपनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

**अ बोर्ड की बैठकों की संख्या:**

1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय वर्ष के दौरान संचालक मंडल की तीन (3) बैठकें हुईं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिन दिनांकों पर बैठकें हुईं, वे हैं:- 16 अगस्त, 2021, 29 नवंबर, 2021 एवं 28 मार्च 2022।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों का 6 जुलाई, 2022 को हुई बोर्ड बैठक में अनुमोदन किया गया है।



**26. संचालक मंडल की समितियाँ:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार, संचालक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समितियों का विवरण इस प्रकार है:

समिति	31/03/2022 को समिति सदस्य	प्रतिवेदन की तिथि के अनुसार सदस्य	पदनाम	बैठकों की संख्या
लेखा परीक्षा समिति	<b>श्री मनोज गोविल</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	अध्यक्ष	1 (एक) बैठक दिनांक 26.11.2021
	<b>श्री ओ.एच. पांडे</b> संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार के नामित	<b>श्री ओ.एच. पांडे</b> संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार के नामित	सदस्य	
	<b>श्रीमती छवि भारद्वाज,</b> प्रबंध संचालक एमपीएमआरसीएल	संचालक (परियोजना) एमपीएमआरसीएल	सदस्य	
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	<b>श्री नीरज मंडलोई</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग	<b>श्री नीरज मंडलोई</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग	अध्यक्ष	निरंक
	<b>श्री ओ.एच. पांडे</b> संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी), भारत सरकार के नामित	<b>श्री ओ.एच. पांडे</b> संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी), भारत सरकार के नामित	सदस्य	
	<b>श्रीमती छवि भारद्वाज,</b> प्रबंध संचालक एमपीएमआरसीएल	प्रबंध संचालक एमपीएमआरसीएल	सदस्य	
	<b>श्री जयदीप</b> ओएसडी (यूटी), एमओएचयूए		स्थायी आमंत्रित	



**27. शेयरधारकों की शिकायत समिति:**

एमपीएमआरसीएल एक सरकारी कंपनी है, वर्तमान में कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 100 प्रतिशत 50:50 के अनुपात में भारत सरकार और मध्यप्रदेश शासन के पास है। शेयरधारक संख्या में 10 हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत शेयरधारकों की न्यूनतम संख्या का अनुपालन करने के लिए किया गया है। इसलिए कंपनी को शिकायत का कोई कारण नहीं दिखता और उसने शेयरधारकों की शिकायत समिति का गठन नहीं किया है।

**28. कर्मचारियों का विवरण:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

**29. धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:**

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा,

- किसी व्यक्ति या अन्य कॉर्पोरेट निकाय को कोई ऋण नहीं दिया गया;
- किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई; तथा
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय की प्रतिभूतियाँ, सदस्यता, क्रय या अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं की गई।

**30. संबंधित पार्टि लेनदेन:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है।

**31. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कंपनी कोई लाभ अर्जित नहीं कर रही है और इसलिए वह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय करने के लिए बाध्य नहीं है। तदनुसार, बोर्ड की उप-समिति गठित करने या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वपर नीति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**32. जोखिम प्रबंधन:**

कंपनी की परियोजनाएं निर्माणाधीन चरण में हैं और भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए सामान्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। सामान्य सलाहकार निरंतर आधार पर जोखिम को समझता है और उसका मूल्यांकन करता है और अपने अवलोकन को नियमित रूप से प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर कंपनी द्वारा जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

**33. मानव संसाधन प्रबंधन:**

31 मार्च, 2022 तक, कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 99 (रोल पर 40 कर्मचारी और आउटसोर्स किए गए 59 कर्मचारी) थी। इसके अलावा, विभिन्न पदों के लिए भर्ती विभिन्न चरणों में है। एमपीएमआरसीएल में

मानव संसाधन विभाग का उद्देश्य एक स्थिर कार्य वातावरण बनाना है। तदनुसार, वर्ष के दौरान विभिन्न मानव संसाधन नीतियां और नियम बनाए और कार्यान्वित किए गए हैं।

### 34. आजादी का अमृत महोत्सव:

वर्ष के दौरान कंपनी ने हमारे देश की आजादी के 75 वर्ष और अपने लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, विविधता और उपलब्धियों के अवसर पर “आजादी का अमृत महोत्सव” मनाया। भोपाल के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एण्ड आयाम इन्क्लुजन में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई थीं।

### 35. कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट [www.mpmetrorail.com](http://www.mpmetrorail.com) है और इसे हाल ही में नया रूप दिया गया है। परियोजना, निविदाएं, अनुबंध, नौकरी, भर्ती प्रक्रिया और परिणाम आदि सहित कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी समय-समय पर वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है।

### 36. सूचना का अधिकार:

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू किया है। वर्ष के दौरान कुल 20 आरटीआई आवेदनों और अपीलों पर कार्रवाई की गई थी।

### 37. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न:

वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर कामगार/कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

### 38. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही:

वित्तीय वर्ष के अंत में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत वर्ष के दौरान कोई आवेदन नहीं किया गया और कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

### 39. संचालकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (सी) में संदर्भित संचालकों के उत्तरदायित्व कथन के अनुसार, यह कहा गया है कि:

ए) वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

बी) संचालकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि, वित्तीय वर्ष के अंत में उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि; कंपनी के काम-काज की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

सी) संचालकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी थी;

डी) संचालकों ने वार्षिक लेखाओं को निरंतर संस्था के आधार पर तैयार किया था; तथा



ई) संचालकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

#### 40. अभिस्वीकृति:

- संचालक मंडल, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन, निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए उनका आभार अभिलेखों पर रखता है।
- संचालक मंडल, भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के लिए वित्त पोषण एजेंसियों का भी आभारी है।
- संचालक मंडल, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकर्स विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों, सलाहकारों, तकनीकी विशेषज्ञों और आपूर्तिकर्ताओं को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए वास्तविक धन्यवाद देता है।
- संचालक मंडल, कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए उनकी गहरी सराहना करता है और आने वाले वर्षों में कंपनी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम बनाने के लिए उत्साह और समर्पण के साथ उनकी सेवाओं के लिए तत्पर है।

#### संचालक मंडल के आदेश से

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

स्थान: भोपाल  
दिनांक: 22/09/ 2022

(हस्ताक्षर कृत/-)  
नीति कोठारी  
संचालक (वित्त)  
डीआईएन: 09608369

(हस्ताक्षर कृत/-)  
निकुंज कुमार श्रीवास्तव  
प्रबंध संचालक  
डीआईएन: 02008508

## फॉर्म नं.एमजीटी 9

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति में वार्षिक विवरणी का सारांश

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

### I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

1.	सी आई एन	U75100MP2015SGC034434
2.	रजिस्ट्रेशन दिनांक	09 जुलाई 2015
3.	कंपनी का नाम	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	मेट्रो रेल परिवहन सेवा
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	द्वितीय तल, स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कॉर्पोरेशन कार्यालय भवन, कालीबाड़ी रोड, बीएचईएल,सेक्टर ए, बरखेड़ा भोपाल -462022
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
7.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो,	लागू नहीं

### II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ

(कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान करने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियाँ बताई जाएंगी)

स. क्र.	मुख्य उत्पादों /सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा के एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	शहरी और उप-शहरी मेट्रो रेलवे परिवहन सेवाएं	99641112	100

### III. होल्डिंग, सहयोगी और सहायक कंपनियों का विवरण -

स. क्र.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन	"होल्डिंग/सहायक /सहयोगी	शेयर्स रखने का प्रतिशत	लागू योग्य धारा
1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल का विश्लेषण)

i) श्रेणी-वार शेयर धारिता

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में रखे गए शेयर्स की संख्या			वर्ष के अंत में रखे गए शेयर्स की संख्या				वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का %	
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर्स का %	डीमैट	भौतिक	कुल		कुल शेयर्स का %
ए. संस्थापक									
(i) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत / एचयूएफ									
बी) केन्द्रीय सरकार	-	176090000	176090000	50%		604000000	604000000	50%	343%
सी) राज्य सरकार	-	176090000	176090000	50%	-	604000000	604000000	50%	343%
डी) निगमित निकाय									
ई) बैंक/वित्तीय संस्थान									
एफ) कोई अन्य									
<b>उप-जोड़ (ए) (1)</b>	<b>-</b>	<b>352180000</b>	<b>352180000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>1208000000</b>	<b>1208000000</b>	<b>100%</b>	<b>343%</b>
(ii) विदेशी									
ए) अनिवार्य-व्यक्ति									
बी) अन्य-व्यक्ति									
सी) निगमित निकाय									
डी) बैंक/वित्तीय संस्थान									
ई) कोई अन्य									
<b>उप-जोड़</b>									
(ए) (1)(2)									
<b>योग संस्थापक की शेयरधारिता (ए) = (ए) (1)+(ए) (2)</b>									
	<b>-</b>	<b>352180000</b>	<b>352180000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>1208000000</b>	<b>1208000000</b>	<b>100%</b>	<b>343%</b>

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में रखे गए शेयर्स की संख्या			वर्ष के अंत में रखे गए शेयर्स की संख्या				वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का %	
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर्स का %	डीमैट	भौतिक	कुल		कुल शेयर्स का %
बी) सार्वजनिक शेयरधारिता संस्थान ए) म्यूचुअल फण्ड बी) बैंक/वित्तीय संस्थान सी) केन्द्रीय सरकार डी) राज्य सरकार ई) उद्यम कैपिटल फण्ड एफ) बीमा कंपनियाँ जी) एफ आई आई एस एच) विदेशी उद्यम पूंजी निधि आई) अन्य (उल्लेख करें)									
उप-जोड़ (बी) (I):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर- संस्थान ए) निगमित निकाय भारतीय विदेशी बी) व्यक्तिगत व्यक्तिगत शेयरधारक सांकेतिक शेयर पूंजी रु. 1 लाख तक 1 लाख से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक									





iii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन (निर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है)

स. क्र.	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान शेयरधारिता	
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का %
1	मध्य प्रदेश शासन।		
	वर्ष के आरंभ में	176090000	50%
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयरधारिता में वृद्धि /कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए तिथि-वार वृद्धि /कमी, (उदाहरण के लिए आवंटन /स्वीट इक्विटी आदि):	*427910000 (28.03.2022 को आवंटित)	-
ए	वर्ष के अंत में	604000000	50%
II	भारत के राष्ट्रपति		
	वर्ष के आरंभ में	176090000	50%
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयरधारिता में वृद्धि /कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए तिथि-वार वृद्धि /कमी, (उदाहरण के लिए आवंटन /स्वीट इक्विटी आदि):	*427910000 (28.03.2022 को आवंटित)	-
बी	वर्ष के अंत में	604000000	50%
<b>महायोग (ए+बी)</b>		<b>1208000000</b>	<b>100%</b>

\*वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रदत्त शेयर पूंजी को 352.18 करोड़ रुपये (रुपये 10/- प्रत्येक के 35,21,80,000 इक्विटी शेयर) को भारत के राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल प्रत्येक को 42,79,10,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन के माध्यम से 1,208.00 करोड़ रुपये (रुपये 10/- प्रत्येक के 120,80,00,000 इक्विटी शेयर) तक बढ़ा दिया है।

iv) शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स की शेयरधारिता का पैटर्न

(संचालकों, प्रमोटर्स और जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा): निरंक

(100% शेयर केवल प्रमोटर द्वारा ही लिए जाते हैं, अर्थात् कंपनी के पद के अनुसार क्षमता के अपने नामितों के माध्यम से म.प्र.शासन)

स. क्र.	शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में				
2	शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तिथि वार वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए कमी (जैसे आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	लागू नहीं			



3	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग किया गया हो)				
---	---	--	--	--	--

**V) संचालकों एवं प्रधान प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता**

स.क्र.	संचालकों एवं प्रधान प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता	
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में				
2	शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तिथि वार वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए कमी (जैसे आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	भारत के राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के 10 नामित व्यक्तियों के शेयर।			
3	वर्ष के अंत में				

**VI) ऋणग्रस्तता**

बकाया/अर्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान देय नहीं।

(राशि रुपये में)

विवरण	जमा राशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
मूल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ब्याज देय किन्तु भुगतान नहीं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ब्याज उपार्जित किन्तु देय नहीं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
<b>योग (i+ii+iii)</b>	<b>निरंक</b>	<b>निरंक</b>	<b>निरंक</b>	<b>निरंक</b>
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
परिवर्धन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कमी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

विवरण	जमा राशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
शुद्ध परिवर्तन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
मूल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ब्याज देय किन्तु भुगतान नहीं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ब्याज उपार्जित किन्तु देय नहीं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
<b>योग (i+ii+iii)</b>	<b>निरंक</b>	<b>निरंक</b>	<b>निरंक</b>	<b>निरंक</b>

VI) संचालकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक-

ए. प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक: निरंक

स. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री अजय शर्मा संचालक, (परियोजना) कुल राशि 23.03.2022 से
1	सकल वेतन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) के अधीन लाभों का मूल्य	1,07,847 (23.03.2022 से 31.03.2022)
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	
2	स्टाक विकल्प	
3	स्वीट इक्विटी	
4	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	
	<b>योग (ए)</b>	
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	

## बी. अन्य संचालकों को पारिश्रमिक

स. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	संचालकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र संचालक		
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए फ़ीस		
	कमीशन		
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		निरंक
	<b>योग (1)</b>		
2	अन्य गैर-कार्यकारी संचालक		निरंक
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए फ़ीस कमीशन		
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	योग (2)		निरंक
	<b>योग बी= (1+2)</b>		<b>निरंक</b>
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		निरंक

सी. प्रबंध संचालक / प्रबंधक पूर्णकालिक संचालक के अलावा प्रधान प्रबंधकीय कर्मचारियों को पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

स.क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रधान प्रबंधकीय कर्मचारी			
		मु.का.अ.	कंपनी सचिव	मु.वि.अ.	योग
1	सकल वेतन	00	14,94,464	00	00
	(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अधीन लाभों का मूल्य	00	00	00	00
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	00	00	00	00

स.क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रधान प्रबंधकीय कर्मचारी			
		मु.का.अ.	कंपनी सचिव	मु.वि.अ.	योग
2	स्टाक विकल्प	00	00	00	00
3	स्वीट इक्विटी	00	00	00	00
4	कमीशन -लाभ के प्रतिशत के रूप में -अन्य, निर्दिष्ट करें	00	00	00	00
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	00	00	00	00
	<b>योग</b>	<b>00</b>	<b>14,94,464</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

## VII) शास्तियाँ/दंड/अपराधों की समाप्ति (कंपाउंडिंग) :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित शास्ति /दंड/कंपाउंडिंग का विवरण	प्राधिकारी {आर डी/एन सीएलटी/ न्यायालय}	अपील यदि की गई (विवरण दें)
<b>ए. कंपनी</b>					
शास्ति					
कोई नहीं					
दण्ड					
कंपाउंडिंग					
<b>बी. संचालक</b>					
शास्ति					
कोई नहीं					
दण्ड					
कंपाउंडिंग					
<b>सी. अन्य चूककर्ता अधिकारी</b>					
शास्ति					
कोई नहीं					
दण्ड					
कंपाउंडिंग					



## अनुलग्नक - 'बी'

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत वित्तीय प्रतिवेदन हेतु निर्धारित रूपरेखा अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षक, इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अनुसार लेखापरीक्षा पर नियत मानकों के अनुसार किए गए स्वतंत्र लेखा परीक्षण के आधार पर अभिमत देने के लिए अधिनियम, की धारा 143 के अंतर्गत उत्तरदायी हैं। उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 13 जुलाई 2022 द्वारा यह किया जाना बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संपादित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के परिकलन से गुजरे बिना स्वतंत्र रूप से संपादित की है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कर्मियों से पूछ-ताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगी जो मेरे ध्यान में आये हैं और जो मेरे दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है।

### लाभप्रदता पर टिप्पणी

#### लाभ और हानि का विवरण

##### 1. व्यय

#### अन्य व्यय (नोट-29) ₹ 693.74 लाख।

उपरोक्त में ₹ 11.40 लाख की (माह मार्च 2022 का किराया व्यय ₹ 8.64 लाख और विद्युत प्रभार ₹ 2.76 लाख) राशि सम्मिलित नहीं है। किराए और विद्युत प्रभार के प्रावधान सृजित न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्यय (नोट-29) का न्यून कथन, प्रावधान (नोट-23) का न्यून कथन और लाभ का ₹ 11.40 लाख तक न्यून कथन हुआ है।

#### प्रबंधन का जवाब

भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएससीडीसीएल) और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) के बीच लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक निष्पादित और पंजीकृत नहीं किया गया था, जो दोनों पक्षों के बीच कुछ नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के कारण लंबित था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किराया व्यय के लिए

₹ 95,13,790/- का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही किया गया था। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

## सामान्य

### 2) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन न होना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) के गैर-अनुपालन में कंपनी ने चार बैठकों के बजाय वर्ष 2021-22 के दौरान संचालक मंडल की केवल तीन बैठकें आयोजित की थीं।

## प्रबंधन का जवाब

कोविड-19 महामारी को इसके संचालक मंडल की न्यूनतम बैठकों की संख्या को पूरा नहीं करने में योगदान करने वाले कारकों में से एक माना जा सकता है। तथापि, एमपीएमआरसीएल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित न्यूनतम संख्या में बोर्ड बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रपत्र संख्या. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार और कंपनी  
(कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक ) नियम, 2014 का नियम 9}

सेवा में,

सदस्यगण,

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

द्वितीय तल, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय भवन,

कालीबाड़ी रोड, बी.एच.ई.एल, सेक्टर ए, बरखेड़ा

भोपाल म.प्र. 462022 आईएन

सीआईएन: U75100MP2015SGC034434

हमने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा प्रवर्तित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से संचालित की गयी थी जो हमें कॉर्पोरेट व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान कर सके।

कंपनी का संचालक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के मामलों के लिए उत्तरदायी है। हमारी जिम्मेदारी वर्ष के दौरान किए गए अनुपालनों की नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा करने की है। हमने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, भरे गए रिटर्न एवं फार्म और कंपनी द्वारा संधारित अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट्स और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए हमारे सत्यापन के आधार पर ऐसी विधियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है। हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि रिपोर्टिंग के अध्यक्षीन कंपनी के पास उस सीमा तक उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-प्रणाली है।

हमने, 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा संधारित की गई पुस्तकों, दस्तावेजों कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- ii. मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और उसके नियम;



- iii. मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 और उसके नियम, और
- iv. कंपनी का मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और अभ्यावेदनों के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अधीन, कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

### हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी द्वारा संधारित पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- i. विभिन्न वैधानिक रजिस्ट्रों और दस्तावेजों का संधारण कर उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना;
- ii. कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक फॉर्म, रिटर्न, दस्तावेज और संकल्प फाइल करना;
- iii. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखा परीक्षकों और कंपनी रजिस्ट्रार को दस्तावेज प्रस्तुत करना;
- iv. संचालकों को बोर्ड और विभिन्न समितियों की बैठकों की सूचना देना;
- v. संचालकों और संचालकों की सभी समितियों की बैठकें आयोजित करना;
- vi. 22 अप्रैल, 2022 को आयोजित 6वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना दी और आयोजन किया;
- vii. बोर्ड की बैठकों, समिति और सदस्यों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त जारी करना;
- viii. जहां कहीं आवश्यक हो, संचालक मंडल, संचालकों की समिति, सदस्यों और शासकीय प्राधिकारियों का अनुमोदन लेना;
- ix. संचालक मंडल का गठन, संचालकों की समितियां और संचालकों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति करना;
- x. संचालकों और प्रबंध संचालक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करना;
- xi. सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक देना;
- xii. कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण, निर्गम एवं आवंटन करना;
- xiii. पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के नाम एवं संपर्क का प्रकाशन करना;
- xiv. संचालक मंडल की रिपोर्ट तैयार करना;
- xv. कंपनी की निधियों का निवेश करना;



- xvi. सामान्य रूप से, अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधान और उसके तहत नियमों का पालन करना;
- xvii. हमारी राय में, कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है और लागू वैधानिक प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, लागू सचिवीय मानकों, आदि का अनुपालन किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है और कंपनी के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत निर्धारित है।

#### हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- i. संचालकों ने अनुबंधों और व्यवस्थाओं में हितों और चिंताओं अन्य कंपनियों एवं अन्य इकाईयों में शेरधारिता और संचालक के रूप में प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है;
- ii. कंपनी ने जहां भी आवश्यक हो, कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं;
- iii. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के तहत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमा प्रारंभ नहीं हुआ था या कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था।
- iv. समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए संचालक मंडल की संरचना में परिवर्तन कंपनी अधिनियम के अनुरूप भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन शहरी विकास और आवास विभाग के आदेशों के अनुपालन में किए गए थे।

#### हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान:

मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के मध्य 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम के साथ कंपनी की स्थिति एक शासकीय कंपनी के रूप में बनी हुई है। इसके अलावा, हमारा विचार है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 (कंपनी को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कार्य) के लागू प्रावधानों का अनुपालन करने में नियमित है।

- i. कंपनी द्वारा संधारित विभिन्न अभिलेखों के अवलोकन से इस तथ्य की जांच की गई है कि इस आशय का अनुपालन किया गया है।
- ii. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के संचालक मंडल का विधिवत गठन किया गया था और संचालकों की नियुक्ति और समाप्ति कंपनी अधिनियम, 2013 और संबंधित सरकारी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार की गई है। कंपनी ने सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।  
लागू कानूनों के संबंध में विशिष्ट टिप्पणियों/लेखापरीक्षा अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियों पर कंडिका-वार रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न "परिशिष्ट ए" (रिपोर्ट के अभिन्न भाग) में संलग्न है।

#### हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

कंपनी की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्न दृष्टांत नहीं थे:

- (i) शेयर्स/डिबेंचर्स/स्वीट इक्विटी का सार्वजनिक निर्गम।

- (ii) प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी-क्रय।
- (iii) विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण आदि।
- (iv) विदेशी तकनीकी सहयोग।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:**

कंपनी की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित दृष्टांत थे:

## 1. शेयर्स का आवंटन

वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के साथ सममूल्य के साथ एक ही समय में राइट इश्यू के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करके प्रदत्त शेयर पूंजी को रु. 352.18 करोड़ (रुपये 10/प्रत्येक के 35,21,80,000 इक्विटी शेयर्स) से रु.1208 करोड़ (रुपये 10/प्रत्येक के 1,208,000,000 इक्विटी शेयर्स) तक बढ़ा दिया है। कंपनी ने आवंटियों को 855,820,000 इक्विटी शेयर्स का आवंटन किया है, जिसकी सूची यहां दी गई है:

क्र.सं.	आवंटी का नाम	रुपये 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर्स की संख्या
1	भारत के राष्ट्रपति	42,79,10,000
2	मध्य प्रदेश के राज्यपाल	42,79,10,000

## 2. 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित वार्षिक आम बैठक का आयोजन

कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 29 नवंबर, 2021 को स्थगित वार्षिक आम बैठक आयोजित की और सदस्यों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए संचालकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाया।

## 3. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित वार्षिक आम बैठक का आयोजन

कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 29 नवंबर, 2021 को स्थगित वार्षिक आम बैठक आयोजित की और सदस्यों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संचालकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाया।

## 4. 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित वार्षिक आम बैठक का आयोजन

कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 28 मार्च, 2022 को स्थगित वार्षिक आम बैठक आयोजित की और सदस्यों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए संचालकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाया।

## 5. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक और स्थगित वार्षिक आम बैठक का आयोजन

कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 29 नवंबर, 2021 को वार्षिक आम बैठक आयोजित की और वार्षिक आम बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और 22 अप्रैल, 2022 को स्थगित वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई और सदस्यों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए संचालकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाया।

नीलेश गुप्ता एंड कंपनी के लिए  
कंपनी सचिव

दिनांक : 16/08/2022

हस्ताक्षर कृत/-  
सी.एस. नीलेश गुप्ता  
प्रोपराइटर  
सीपी नं. 6846  
सदस्यता क्र.एफसीएस:6381  
यूडीआईन: F006381D000797028



## परिशिष्ट ए

वर्ष के दौरान संचालक मंडल की तीन (3) बार बैठक हुई। जिन दिनांकों को बैठकें आयोजित की गईं, वे हैं:

1. 16 अगस्त, 2021, 29 नवंबर, 2021 एवं 28 मार्च, 2022। तथापि, कंपनी को कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम चार बोर्ड बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता थी।
2. समीक्षा अवधि के दौरान 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को सीएजी की टिप्पणियों की अनुपलब्धता के कारण 29 नवंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में नहीं अपनाया गया था और इसे 22 अप्रैल, 2022 को आयोजित स्थगित वार्षिक आम बैठक में अपनाया गया था।

सेवा में,

सदस्यगण,  
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
द्वितीय तल, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय भवन,  
कालीबाड़ी रोड, बीएचईएल, सेक्टर ए, बरखेड़ा,  
भोपाल म.प्र. 462022 आईएन

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

### प्रबंधन का उत्तरदायित्व

1. यह कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है कि वह सचिवीय अभिलेख संधारित करे, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित हैं।

### लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

2. हमारा उत्तरदायित्व सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा संधारित इन सचिवीय अभिलेखों, पालन किए गए मानकों और प्रक्रियाओं पर राय व्यक्त करना है।
3. हमें विश्वास है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारी, हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।
4. जहां कभी भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

### अस्वीकरण

5. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के काम-काज का संचालन किया है।
6. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखों की पुस्तकों की यथार्थता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

**नीलेश गुप्ता एंड कंपनी के लिए  
कंपनी सचिव**

दिनांक 16/08/2022

हस्ताक्षर कृत/-  
सी.एस. नीलेश गुप्ता  
प्रोपराइटर  
सीपी नं. 6846  
सदस्यता क्र.एफसीएस: 6381



कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय ) म. प्र. 53,  
अरेरा हिल्स,होशंगाबाद रोड, भोपाल दूरभाष 0755- 2553677-78  
Office of the Accountant General (Audit-II) MP 53,  
Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal Tele- 0755- 2553677-78

क्र. /ए.एम.जी-2/ओ.ए.डी-1 /लेखा प्रमाणन/जा. 298

दिनांक:- 7/9/22

प्रति

प्रबंध निदेशक,  
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,  
पालिका भवन, शिवाजी नगर  
भोपाल,  
मध्य प्रदेश, 452 003

विषय:- मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

विषयांतर्गत, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है। जिसे आप संचालकों के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित करें। वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद उसकी 05 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं इस पत्र की पावती भिजवाएं।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी ॥



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022**

The preparation of financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited, Bhopal for the year ended 31 March 2022 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor's appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 13 July 2022.

I, on behalf of Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditor and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditor and Company personnel and selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matter under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which, in my view, are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:

**Comment on Profitability  
Statement of Profit and Loss**

**1) Expenses**

**Other expenses (Note-29) Rs 693.74 lakh**

The above does not include an amount of Rs 11.40 lakh (towards rent expenses Rs. 8.64 lakh and Rs. 2.76 lakh towards electricity charges for the month of March 2022). Non creation of provision for rent and electricity charges has resulted in understatement of Other Expenses (Note-29), understatement of provision (Note-23) and understatement of profit by Rs 11.40 lakh.

**General**

**2) Non-compliance of provisions of the Companies Act, 2013.**

The Company held only three meeting of the Board of Directors during the year 2021-22 instead of the four meetings in non-compliance to Section 173(1) of the Companies Act, 2013.

**For and on the behalf of the  
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF  
INDIA**



**(Priya Parikh)  
Accountant General,  
Audit-II  
Madhya Pradesh, Bhopal**

**Place: Bhopal**

**Date: 06.09.2022**

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट और समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो विवरण एवं इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश सम्मिलित है।

### राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 को कंपनी के काम-काज की स्थिति (वित्तीय स्थिति) की अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, और इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इसका कैश लौ और उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी की आवश्यक तरीके से सही और निष्पक्ष छवि देते हैं।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन निर्दिष्ट मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के सेक्शन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए जो प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं हैं, हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यवसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, हम इन मामलों पर अलग राय नहीं देते हैं।

### वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का संचालक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरणों और उन पर हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं



है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ने की है कि इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

### वित्तीय विवरणों के लिए सुशासन प्रभार के साथ प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का संचालक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी के काम-काज की स्थिति (वित्तीय स्थिति), इक्विटी में परिवर्तन और कैश फ्लो का निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक सहित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन) का सही सत्य एवं सुस्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण एवं गबन व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग; निर्णय लेना तथा तर्कसंगत और विवेकपूर्ण अनुमान लगाना; और आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन व संधारण, जो कि सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित थे, सत्य एवं सुस्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करने वाले और वस्तुगत मिथ्यालेख जिसका कारण गबन अथवा त्रुटि, चाहे जो हों, से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से सरोकार रखने वाले उत्तरदायित्व भी सम्मिलित हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन, कंपनी को एक निरंतर संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, निरंतर संस्था से संबंधित मामलों और निरंतर संस्था के आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

**संचालक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।**

### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है, कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। मिथ्या विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि अलग-अलग या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी



लेखा परीक्षा में व्यवसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम:

- ए.** वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और क्रियान्वित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण का पता नहीं लगाने के जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक हैं क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- बी.** परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा अपनी राय व्यक्त करने का उत्तरदायित्व भी है, कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।
- सी.** प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- डी.** प्रबंधन द्वारा निरंतर संस्था के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं से संबंधित कोई अर्थपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या ऐसी स्थितियाँ जो एक निरंतर संस्था के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या यदि ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष ऑडिटर की रिपोर्ट की दिनांक तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी निरंतर संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- ई.** प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से वर्णन करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति उपलब्ध होती है। भौतिकत्व, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन का परिमाण है, जो अलग-अलग या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्वपूर्णता एवं गुणात्मक कारकों पर ध्यान रखते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, शासन के प्रभारी लोगों के साथ, लेखा परीक्षा का समय, नियोजित दायरा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं। हम उन लोगों को एक विवरण भी प्रदाय करते हैं जिन पर सुशासन का प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का

अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी लागू योग्य सुरक्षा उपाय से संबंधित अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है। शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या नियमन मामले को सार्वजनिक करने से नहीं रोकता हो; अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों, में हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में एक मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक लाभ अधिक होने की अपेक्षा की जाएगी।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

### अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 197(16) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची V सहपठित धारा 197 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों और सीमाओं के अनुसार वर्ष के दौरान अपने संचालकों को रुपये 12,40,902.00 (पिछले वर्ष शून्य) का पारिश्रमिक भुगतान किया है।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में लागूयोग्य सीमा तक निर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण "परिशिष्ट ए" में संलग्न करते हैं।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिसका अनुपालन निर्धारित "परिशिष्ट-बी" में किया गया है।
4. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:
  - ए) हमने सभी जानकारियाँ और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
  - बी) हमारी राय में कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
  - सी) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट में व्यवहार में लाए गए लेखों की पुस्तकों से मिलान करता है;
  - डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133, सहपठित लेखा मानक के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;
  - ई) संचालकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों और संचालक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिए जाने के आधार पर, 31 मार्च 2022 तक संचालकों में से कोई भी संचालक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों में अयोग्य घोषित नहीं हुआ है;



- एफ) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में “परिशिष्ट सी” में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- जी) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और “परिशिष्ट-डी” में अलग से रिपोर्ट की गई हमारी अभ्युक्तियों/टिप्पणियों के अध्यक्षीन:-
- कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है;
  - कंपनी ने लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत दीर्घावधि अनुबंधों पर संभावित महत्वपूर्ण हानि, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है;
  - 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।
5. भारत सरकार कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 463 (ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान, शासकीय कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

**संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी**

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 008773C

हस्ताक्षर कृत/-

सीए संजीव गर्ग

भागीदार

सदस्यता संख्या: 077944

यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761

स्थान: भोपाल

दिनांक: 13 जुलाई, 2022

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट ए

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” क्लॉज़ के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित हमारी सम तिथि की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 11 के क्लॉज़ (i) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 पर रिपोर्ट।

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखों की पुस्तकों और अन्य अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा जांच की गई एवं हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i. (ए) कंपनी ने **परिशिष्ट-डी** में हमारी टिप्पणियों के अधीन संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की पहचान सहित मात्रात्मक विवरण अपेक्षित स्थिति और पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख संधारित किए हैं।
  - (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वार्षिक सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के अनुसार उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का सत्यापन किया गया और इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।
  - (सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- ii. कंपनी मेट्रो रेल परियोजनाओं को विकसित करने के व्यवसाय में है और उसके पास कोई भौतिक इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश के क्लॉज़ 3 (ii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं तदनुसार, आदेश के क्लॉज़ 3 (iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निवेश करने के संबंध में जहां कहीं लागू हो, अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी ने ऋण देने, और गारंटी और प्रतिभूतियां प्रदान करने के किसी भी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, तदनुसार, आदेश के क्लॉज़ 3 (iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के क्लॉज 3(v) के प्रावधानों के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।
- vi. कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार आदेश के क्लॉज 3 (vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- vii. सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

(ए) कंपनी आम तौर पर उचित अधिकारियों के साथ आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2022 को देय होने की दिनांक से जबकि वे देय हो गई थीं, छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया में आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया के संबंध में सिवाय निम्नलिखित विवरण के अनुसार कोई भी निर्विवाद राशियाँ देय नहीं थीं:

विवरण	राशि
मूल संगठन को सीजीआईएस-ए	₹ 8160.00
मूल संगठन को डीआरएम फंड	₹ 240.00
मूल संगठन को-ईजीआईएस	₹ 120.00
प्रतिनियुक्ति-नियोक्ता को पेंशन अंशदान देय	₹ 1,10,772.00
मूल संगठन को ईपीएफ	₹ 9,01,135.00
प्रतिनियुक्ति-जीएसएलआई नियोक्ता अंशदान देय	₹ 3033.00
मूल संगठन को-एचआरडी	₹ 1800.00
मूल विभाग को नर्मदा सीबीएल	₹ 4800.00
मूल संगठन को वाहन का किराया	₹ 1,000.00
मूल संगठन को वीपीएफ	₹ 48,814.00
<b>योग</b>	<b>₹ 10,79,874.00</b>

उपरोक्त बकाया अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ये राशियाँ मूल संगठन/विभाग के निर्देश के अनुसार प्रेषित की जाएंगी जहां से



संबंधित कर्मचारी को कंपनी में प्रतिनियुक्त किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, असमायोजित प्रारंभिक शेष राशियों को पिछले वर्षों की तरह अग्रेषित किया जा रहा है।

- (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर सब-क्लाज़(ए) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है।
- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी भी लेन-देन का आय के रूप में समर्पण या प्रकटीकरण नहीं किया गया था, जिसे लेखों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।
- ix. (ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सरकार को ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी के पास वित्तीय संस्थानों और बैंकों से कोई डिबेंचर धारिता और ऋण नहीं है।
- (बी) कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों को उसी उद्देश्य के लिए लागू किया गया था जिसके लिए उन्हें स्वीकृति दी गई थी, हालांकि अनुदान के अप्रयुक्त भाग को सावधि जमा के रूप में रखा गया है और उससे अर्जित ब्याज लाभ और हानि विवरण में क्रेडिट किया गया है।
- (डी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान या किसी पिछले वर्ष में अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के क्लाज़ 3 (ix) (डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए सब-क्लाज़ (ई) और (एफ) की रिपोर्टिंग अपेक्षाएं इस पर लागू नहीं होती हैं।
- x. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेखों सहित) या सावधि ऋणों के माध्यम से धन जुटाया है और न ही शेयरों का कोई अधिमन्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से) परिवर्तनीय डिबेंचर बनाया है और इसलिए रिपोर्टिंग आदेश के क्लाज़ 3 (x) के अंतर्गत अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- xi. (ए) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे ऑडिट द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या रिपोर्ट ध्यान में नहीं आई है।

- (बी) हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के लिए अधिनियम की धारा 143(12) के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- (सी) कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को किसी मुखबिर (व्हिसलब्लोअर) से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii. हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के क्लॉज 3 (xii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- xiii. हमारी राय में संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन, जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और वित्तीय विवरणों आदि में अपेक्षित विवरण का प्रकटीकरण किया गया है, जैसा कि लागू भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित है।
- xiv. (ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आवश्यक है जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
- (बी) हमने कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की अवधि के लिए अब तक जारी की गई रिपोर्टों को ध्यान में रखा है।
- xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने संचालकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xvi. (ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के क्लॉज 3 (xvi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- (बी) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के बिना वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्तीय गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
- (सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है जैसा कि आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के क्लॉज 3(xvi)(सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं। क्लॉज 3 का सब-क्लॉज(डी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xvii. चूंकि कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक गतिविधियां आरंभ नहीं की हैं और यह कार्यान्वयन चरण में है, इस प्रकार, इस क्लॉज के अंतर्गत नकद हानियों के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षाएं उस पर लागू नहीं होती हैं।
- xviii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का

- कोई त्यागपत्र नहीं है। तदनुसार, आदेश के क्लॉज 3 (xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- xix. चूंकि कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक गतिविधियाँ आरंभ नहीं की हैं और यह कार्यान्वयन चरण में है, इस प्रकार, वित्तीय अनुपात, पुराना होने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के संबंध में इस क्लॉज के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।
- xx. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किसी भी चालू या चल रही परियोजना के अलावा अन्य के संबंध में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के क्लॉज 3(xx) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- xxi. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में क्लॉज 3 (xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं। तदनुसार, इस रिपोर्ट के अंतर्गत उक्त क्लॉज के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

**संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 008773C

**हस्ताक्षर कृत/-**

**सीए संजीव गर्ग**

भागीदार

सदस्यता संख्या: 077944

यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761

स्थान: भोपाल

दिनांक: 13 जुलाई, 2022



## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट-बी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ 3 में संदर्भित हमारी सम तिथि की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 5 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

1. क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ लेखों की प्रामाणिकता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।
  - मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। सॉफ्टवेयर पासवर्ड से सुरक्षित है और ऐसे सॉफ्टवेयर तक पहुँचने का अधिकार केवल अधिकृत व्यक्ति के पास है।
2. क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्चना की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/अग्रिमों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।
  - ऋणों की कोई पुनर्चना नहीं की गयी है।
3. क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।
  - हाँ, मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार से परियोजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का स्वीकृति के नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन और उपयोग किया गया है।
4. क्या कंपनी ने अपने स्वामित्व वाली भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। क्या कंपनी की किसी भूमि पर मुकदमेबाजी के अंतर्गत अतिक्रमण किया गया है जिसका उपयोग नहीं किया गया है या अधिशेष घोषित किया गया है? विवरण दिया जा सकता है।
  - वर्तमान में कंपनी के स्वामित्व में कोई भूमि नहीं है।
5. क्या सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत आरंभ की जाने वाली परियोजना की पहचान के लिए प्रचलित प्रणाली सरकार के दिशा-निर्देशों/नीतियों के अनुरूप है? विचलन पर टिप्पणी, यदि कोई हो।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत आरंभ की जाने वाली परियोजना की पहचान के लिए प्रचलित प्रणाली सरकार के दिशा-निर्देशों/नीतियों के अनुरूप है। इसके अलावा, वर्तमान में कोई सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं आरंभ नहीं की गई हैं।

6. क्या अनुबंध में निर्धारित माइलस्टोन की तुलना में कार्य के निष्पादन की निगरानी के लिए प्रणाली अस्तित्व में है और लागत वृद्धि, यदि कोई हो, अनुबंधों से होने वाले राजस्व/हानि आदि का प्रभाव उचित रूप से लेखा पुस्तकों में लिया गया है।
  - कार्य के निष्पादन के लिए माइलस्टोन अनुबंध में निर्धारित हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुबंधों की लागत में वृद्धि के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि वित्त वर्ष 21-22 में कोई अनुबंध बंद नहीं हुआ है।
7. क्या बैंक गारंटियों का समय पर पुनर्वैधीकरण किया गया है।
  - हां, जहां कहीं आवश्यक है सभी बैंक गारंटियों का समय पर पुनर्वैधीकरण कर दिया गया है।
8. व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देनदारियों, सावधि जमा, बैंक खाते और नकद प्राप्तियों के शेष की पुष्टि पर टिप्पणी करें।
  - हां, सावधि जमा सहित बैंक खातों की शेष राशि की पुष्टि कर ली गई है। 31.03.2022 को कोई व्यापार देय/प्राप्त/हस्तगत नकद नहीं है।
9. परित्यक्त परियोजनाओं पर व्यय की गई लागत की मात्रा निर्धारित की जा सकती है और वास्तव में अपलिखित की गई राशि का उल्लेख किया जाएगा।
  - वित्तीय वर्ष 21-22 में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा गया है।

संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 008773C

हस्ताक्षर कृत/-

सीए संजीव गर्ग

भागीदार

सदस्यता संख्या: 077944

यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761

स्थान: भोपाल

दिनांक: 13 जुलाई, 2022



## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट-सी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ 4(एफ) में संदर्भित हमारी सम तिथि की रिपोर्ट।

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के क्लॉज (प) के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (“कंपनी”) के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ हमने उस दिनांक को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का संचालक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट (“दिशानिर्देश नोट”) में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने सहित रोकथाम और इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और संधारण कर लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना सम्मिलित है जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है।

### लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की संस्था द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों एवं आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार संचालित की है और इसे कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए निर्धारित सीमा तक लागू किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और संधारित किए गये थे और इस तरह के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को



समझना, जोखिम का आकलन करना कि क्या महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान है, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, परिचालन और प्रभावशीलता का परीक्षण करना और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण त्रुटिपूर्ण कथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का आकलन सम्मिलित है।

हमें विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा के साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है जो कि: (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, कि उचित विस्तार से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और प्रकृति को यथार्थ और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन, सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में दर्ज किए गए हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और संचालकों की अनुज्ञा के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों पर अधिभावी होने की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण विवरण त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति (डिग्री) खराब हो सकती है।

## अभिमत

हमारी राय में, आईसीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किये गये थे और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

**संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी**

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 008773C

हस्ताक्षर कृत/-

सीए संजीव गर्ग

भागीदार

सदस्यता संख्या: 077944

यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761

स्थान: भोपाल

दिनांक: 13 जुलाई, 2022

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट - डी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ 4(जी) में संदर्भित हमारी सम तिथि की रिपोर्ट

1. कंपनी अचल संपत्तियों की पहचान/सत्यापन के लिए अचल संपत्तियों पर पहचान चिह्न लगाने की प्रक्रिया में है।
2. मासिक वेतन भुगतान के समय कंपनी नियमित रूप से विभिन्न राशियों की कटौती कर रही है, कंपनी द्वारा निम्नलिखित राशि की कटौती की गई थी लेकिन कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कर्मचारी के संबंधित मूल संगठन/विभाग को प्रेषित नहीं की गई थी। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्हें संबंधित कर्मचारी के मूल संगठन/विभाग से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है जहां यह राशि प्रेषित की जानी है, इसलिए उसे प्रेषित नहीं किया जा सका। हमारी राय में यदि निम्नलिखित में से किसी भी राशि के भुगतान की देय तिथि व्यतीत हो जाती है तो कंपनी संबंधित विभाग द्वारा दंड के लिए भागी हो सकती है। बकाया राशि का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	राशि
मूल संगठन को सीजीआईएस-ए	₹ 9,960.00
मूल संगठन को डीआरएम फंड	₹ 360.00
मूल संगठन को-ईजीआईएस	₹ 120.00
प्रतिनियुक्ति पर-नियोक्ता पेंशन अंशदान देय	₹ 7,87,060.00
मूल संगठन को-ईपीएफ	₹ 8,41,993.00
प्रतिनियुक्ति पर-ग्रेच्युटी अंशदान/4.81: देय	₹ 18,498.00
प्रतिनियुक्ति पर -जीएसएलआई नियोक्ता अंशदान देय	₹ 800.00
मूल संगठन को-एचआरडी	₹ 2,532.00
प्रतिनियुक्ति पर -अवकाश वेतन अंशदान देय	₹ 42,304.00
मूल विभाग को-नर्मदा सीबीएल	₹ 7,200.00
मूल संगठन को- वाहन का किराया	₹ 1,000.00
मूल संगठन को-वीपीएफ	₹ 48,814.00
<b>योग</b>	<b>₹ 17,60,641.00</b>

उपरोक्त में से 07.06.2022 तक ₹ 10,25,324.00 को प्रेषित कर दिया गया है।



3. कंपनी ने सामान्य सलाहकार के इन्चायस से काटी गई शास्ति पर 11,80,454.00 रुपये के माल और सेवा कर का भुगतान किया है जबकि सामान्य सलाहकार ने क्रेडिट नोट जारी किए थे और उसके लिए माल और सेवा कर को उलट दिया था। कंपनी का प्रबंधन कटौती की राशि को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में मान रहा है, जबकि आम बोलचाल के अनुसार दंड को सहमति की शर्तों को पूरा नहीं करने पर जुर्माने की वसूली कहा जाता है और शास्ति जीएसटी सलाहकार से वसूल की गयी है और जीएसटी विभाग को भुगतान किया गया है। तथापि, हमारी राय है कि यह माल या सेवाओं की आपूर्ति नहीं है।
4. कंपनी ने दिसंबर 2021 के वेतन से 5,200.00 रुपये का वृत्ति कर काट लिया है, तथापि, 05.01.2022 को 4784.00 रुपये का भुगतान किया गया है, 416.00 रुपये की देनदारी का भुगतान 31.05.2022 को किया गया है।
5. कंपनी ने 4,12,844.00, रुपये के रिवर्स चार्ज पर भुगतान किए गए माल और सेवा कर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया है जबकि यह आईटीसी का लाभ उठाने की पात्र नहीं थी, इसलिए इसका भुगतान 06.06.2022 को डीआरसी-03 के माध्यम से किया गया है।
6. कंपनी ने बिल संख्या 41, 42, 43, 44 और 45 दिनांक 01.02.2022, पर मैसर्स विजय-लक्ष्मी टूर्स एंड ट्रेवल्स को भुगतान किए गए वाहन किराया प्रभार पर आरसीएम के तहत सीजीएसटी और एमपीजीएसटी के क्रमशः 3,795.00 रुपये और 3,795.00 रुपये के माल और सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। हालांकि इसका भुगतान 06.06.2022 को डीआरसी-03 के माध्यम से किया गया है।
7. कंपनी नियमित रूप से माल और सेवा कर (जीएसटी का टीडीएस) काट रही है और यह देखा गया है कि कंपनी द्वारा जीएसटी-टीडीएस के लिए 95,356.00 रुपये की कटौती की गई और नियमित जीएसटी रजिस्ट्रेशन के तहत इसका भुगतान किया गया और नियमित जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डीआरसी 06.06.2022 को फ़ाइल किया गया है। हालांकि, हमारी राय में इसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जमा किया जाना था जो नियमित जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा अन्य है।
8. बिना पुनर्मिलान किए निम्नलिखित प्रारंभिक शेष (01.04.2021 को) को पिछले वर्षों की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है:

विवरण	राशि
सीजीएसटी टीडीएस	22,481.00
एसजीएसटी टीडीएस	22,481.00

उपरोक्त शेष राशि को नोट संख्या 22 के अंतर्गत देय सांविधिक दायित्व के अंतर्गत सूचित किया गया है, हम इसके पुनर्मिलान का सुझाव देते हैं और इसे उचित शीर्ष के अंतर्गत जमा किया जाना चाहिए।

9. कंपनी ने भारत संचार निगम लिमिटेड को इंटरनेट लीज लाइन के लिए 14,49,796.00 रुपये की राशि का भुगतान किया है हमारी राय में एवं वर्तमान कानून के अनुसार कंपनी उस पर स्रोत पर आयकर कटौती के लिए जवाबदेह है। हालांकि, प्रबंधन की राय के अनुसार इस पर आयकर (टीडीएस) काटने का कोई दायित्व नहीं है और इस प्रकार उन्होंने इस पर स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की है। कंपनी को इसके बारे में विधिक राय लेनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए।

संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 008773C

हस्ताक्षर कृत/-

सीए संजीव गर्ग

भागीदार

सदस्यता संख्या: 077944

यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761

स्थान: भोपाल

दिनांक: 13 जुलाई, 2022

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन नंबर U75100MP2015SGC034434

31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट

(सभी राशियाँ भारतीय मुद्रा के रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा जाए)

विवरण		नोट	31 मार्च 2022 की स्थिति	31 मार्च 2021 की स्थिति
	परिसंपत्तियाँ			
(1)	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(ए)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	1,47,59,045	1,67,82,495
(बी)	प्रागतिरत पूंजीगत कार्य	3	7,03,74,11,046	2,96,85,86,651
(सी)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) निवेश	4	-	-
	(ii) जमा	5(ए)	54,56,208	54,56,208
(डी)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	5(बी)	19,53,732	13,26,300
(ई)	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	6	1,32,24,10,561	34,54,36,454
	<b>योग गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ</b>		<b>8,38,19,90,592</b>	<b>3,33,75,88,109</b>
(2)	वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(ए)	इंवेन्ट्रीज़	7	-	-
(बी)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) प्राप्त व्यापार	8	-	-
	(ii) नकद और नकद समतुल्य	9	11,25,63,73,549	4,50,32,98,854
	(iii) ऋण	10	25,42,37,288	-
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	-	-
(सी)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	12	87,21,647	97,69,873
	<b>योग वर्तमान परिसंपत्तियाँ</b>		<b>11,51,93,32,484</b>	<b>4,51,30,68,727</b>
	<b>योग परिसंपत्तियाँ</b>		<b>19,90,13,23,076</b>	<b>7,85,06,56,836</b>
	इक्विटी एवं देनदारियाँ			
(1)	इक्विटी			
(ए)	इक्विटी शेयर पूंजी	13	12,08,00,00,000	3,52,18,00,000
(बी)	अन्य इक्विटी	14	(83,85,953)	(7,73,14,377)
	<b>योग इक्विटी</b>		<b>12,07,16,14,047</b>	<b>3,44,44,85,623</b>
	देनदारियाँ			
(2)	गैर-वर्तमान देनदारियाँ			
(ए)	वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) उधारी	15(ए)	6,81,09,00,000	69,14,00,000
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	15(बी)	32,20,13,848	3,02,21,15,252



विवरण		नोट	31 मार्च 2022 की स्थिति	31 मार्च 2021 की स्थिति
(बी)	प्रावधान	16	-	-
(सी)	आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	17	-	-
	<b>योग गैर वर्तमान देनदारियाँ</b>		<b>7,13,29,13,848</b>	<b>3,71,35,15,252</b>
(3)	<b>वर्तमान देनदारियाँ</b>			
(ए)	<b>वित्तीय देनदारियाँ</b>			
	(i) उधारी	18	-	-
	(ii) भुगतान योग्य व्यवसाय	19	-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	20	4,73,27,328	4,53,76,619
(बी)	वर्तमान कर देनदारियाँ (शुद्ध)	21	-	-
(सी)	अन्य वर्तमान देनदारियाँ	22	5,63,28,998	1,77,27,249
(डी)	प्रावधान	23	59,31,38,855	62,95,52,093
	<b>योग वर्तमान देनदारियाँ</b>		<b>69,67,95,181</b>	<b>69,26,55,961</b>
	<b>योग इक्विटी एवं देनदारियाँ</b>		<b>19,90,13,23,076</b>	<b>7,85,06,56,836</b>

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

1 से 32

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है

संचालक मंडल के लिए और उसकी ओर से

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न  
संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ताक्षर कृत/-

सी.ए.

भागीदार

सदस्यता क्र.-077944

एफ.आर.,न.-08773सी

यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761

स्थान: भोपाल

दिनांक: 13 जुलाई, 2022

हस्ताक्षर कृत/-

(संदीप जैन)

कंपनी सचिव

एफसीएस: 7847

हस्ताक्षर कृत/-

(मनीष सिंह)

संचालक

डीआईएन: 02947579

हस्ताक्षर कृत/-

(नीति कोठारी)

संचालक(वित्त)

डीआईएन: 09608369

हस्ताक्षर कृत/-

(छवि भारद्वाज)

प्रबंध संचालक

डीआईएन: 06499360

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन नंबर U75100MP2015SGC034434

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा

(सभी राशियाँ भारतीय मुद्रा के रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	नोट	31 मार्च 2022 की स्थिति	31 मार्च 2021 की स्थिति
i. परिचालनों से राजस्व	24	-	-
ii. अन्य आय	25	18,91,64,849	9,64,85,941
<b>iii. कुल राजस्व (i+ii)</b>		<b>18,91,64,849</b>	<b>9,64,85,941</b>
<b>iv. व्यय :</b>			
संचालन व्यय	26	-	-
इन्वेन्ट्री में बदलाव	27	-	-
कर्मचारी हितलाभ व्यय	28	3,44,78,764	2,01,12,406
अन्य व्यय	29	6,93,73,630	7,33,28,929
वित्तीय लागत	30	-	-
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	3	56,62,495	67,28,334
<b>कुल व्यय (iv)</b>		<b>10,95,14,889</b>	<b>10,01,69,669</b>
v. असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) (iii-iv)		7,96,49,960	(36,83,728)
vi. अपवाद मदें	31	1,13,48,968	1,98,20,837
<b>vii. कर पूर्व लाभ/(हानि) (v-vi)</b>		<b>6,83,00,993</b>	<b>(2,35,04,565)</b>
<b>viii. कर व्यय:</b>			
(1)वर्तमान कर		-	-
(2) आस्थगित कर		(6,27,432)	(9,18,220)
<b>ix. अवधि के लिए लाभ/(हानि)</b>		<b>6,89,28,424</b>	<b>(2,25,86,345)</b>
<b>x. अन्य व्यापक आय</b>			
ए(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	25.1	-	-
ए(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
बी(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
बी(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
<b>xi. अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX-X) जिसमें लाभ (हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल हैं)</b>		<b>6,89,28,424</b>	<b>(2,25,86,345)</b>

विवरण	नोट	31 मार्च 2022 की स्थिति	31 मार्च 2021 की स्थिति
xii. प्रति इक्विटी शेयर आय	32		
(1) मूल		0.19	(0.20)
(2) हायल्यूटेड		0.19	(0.20)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स 1 से 32

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संचालक मंडल के लिए और उसकी ओर से

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न  
संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ताक्षर कृत/-  
सी.ए.

भागीदार

सदस्यता क्र.-077944

एफ.आर.न.-08773सी

यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761

स्थान: भोपाल

दिनांक: 13 जुलाई, 2022

हस्ताक्षर कृत/-  
**(संदीप जैन)**  
कंपनी सचिव  
एफसीएस: 7847

हस्ताक्षर कृत/-  
**(मनीष सिंह)**  
संचालक  
डीआईएन: 02947579

हस्ताक्षर कृत/-  
**(नीति कोठारी)**  
संचालक(वित्त)  
डीआईएन: 09608369

हस्ताक्षर कृत/-  
**(छवि भारद्वाज)**  
प्रबंध संचालक  
डीआईएन: 06499360



**मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

सीआईएन नंबर U75100MP2015SGC034434

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण

(सभी राशियाँ भारतीय मुद्रा के रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए.परिचालन गतिविधियों से कैशफ्लो				
कराधान एवं असाधारण मदों के बाद शुद्ध लाभ	6,83,00,993		(2,35,04,565)	
समायोजन के लिए : मूल्यहास	56,62,495		67,28,334	
अन्य व्यापक आय	-		-	
एफडीआर पर ब्याज	(18,56,83,515)		(9,64,15,001)	
विविध शेष अपलेखित	-		-	
वित्तीय लागत	-		-	
<b>कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पुर्य परिचालन लाभ</b>		<b>(11,17,20,027)</b>		<b>(11,31,91,232)</b>
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(97,69,74,107)		8,87,48,135	
इन्वेंट्रीज में (वृद्धि)/कमी	-		-	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ में (वृद्धि)/कमी	(25,42,37,288)		-	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	10,48,226		(1,68,458)	
वित्तीय देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	(2,69,81,50,695)		1,69,53,527	
अन्य वर्तमान देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	21,88,511		28,69,16,709	
ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	-		-	
		<b>(3,92,61,25,353)</b>		<b>39,24,49,913</b>
<b>परिचालनों से सृजित कैशफ्लो</b>		<b>(4,03,78,45,380)</b>		<b>27,92,58,681</b>
वर्ष के दौरान आयकर वापसी /(भुगतान)				
<b>परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) से शुद्ध कैशफ्लो</b>		<b>(4,03,78,45,380)</b>		<b>27,92,58,681</b>
<b>बी.निवेश गतिविधियों से कैशफ्लो</b>				
स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय/प्रगति में पूँजी कार्य	(4,07,24,63,440)		(1,82,02,38,135)	
(परिवर्धन)सावधि जमा जारी करना	-		-	
एफडीआर पर ब्याज	18,56,83,515		9,64,15,001	
<b>निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) से शुद्ध कैशफ्लो</b>		<b>(3,88,67,79,925)</b>		<b>(1,72,38,23,134)</b>
<b>सी. वित्तीय गतिविधियों से कैशफ्लो</b>				

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
शेयर आवेदन राशि	-		-	
अंशपूजी में वृद्धि	8,55,82,00,000		3,22,18,00,000	
मध्यप्रदेश शासन से अनुदान	-		(98,18,00,000)	
भारत सरकार से अनुदान	-		-	
दीर्घकालिक उधार से आय	6,11,95,00,000		-	
दीर्घकालिक उधार का पुर्नभुगतान	-		-	
अल्पावधि उधार (शुद्ध) की आय / (चुकोती)	-		-	
लाभाना का भुगतान	-		-	
ब्याज का भुगतान	-		-	
<b>वित्तीय गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध कैशफ्लो</b>		<b>14,67,77,00,000</b>		<b>2,24,00,00,000</b>
<b>वर्ष के दौरान नकद एवं नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि / (कमी)</b>		<b>6,75,30,74,695</b>		<b>79,54,35,547</b>
अवधि के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		4,50,32,98,854		3,70,78,63,307
<b>अवधि के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य</b>		<b>11,25,63,73,549</b>		<b>4,50,32,98,854</b>

नोट: कैशफ्लो अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है

संचालक मंडल के लिए और उसकी ओर से

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न  
संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ताक्षर कृत/-  
सी.ए.

भागीदार

सदस्यता क्र.-077944

एफ.आर.,न.-08773सी

यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761

स्थान: भोपाल

दिनांक: 13 जुलाई, 2022

हस्ताक्षर कृत/-  
(संदीप जैन)

कंपनी सचिव

एफसीएस: 7847

हस्ताक्षर कृत/-  
(मनीष सिंह)

संचालक

डीआईएन: 02947579

हस्ताक्षर कृत/-  
(नीति कोठारी)

संचालक(वित्त)

डीआईएन: 09608369

हस्ताक्षर कृत/-  
(छवि भारद्वाज)

प्रबंध संचालक

डीआईएन: 06499360

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण  
(सभी राशियाँ भारतीय मुद्रा के रूप में जब तक कि अन्यथा न कहा जाए)  
ए. इक्विटी शेयर पूंजी

रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 को	वर्ष 2021-22 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को
इक्विटी शेयर पूंजी	3,52,18,00,000	8,55,82,00,000	12,08,00,00,000
	3,52,18,00,000	8,55,82,00,000	12,08,00,00,000

विवरण	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	पूँजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित	पुनर्मुल्यांकन आरक्षित	आरक्षित और अधिशेष	म.प्र. शासन से अनुदान	भारत सरकार से अनुदान	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	योग
<b>बी. अन्य इक्विटी</b>										
<b>विवरण</b>										
1 अप्रैल, 2021 को रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेयर राशि	-	-	-	-	-	-	-	(7,73,14,377)	-	(7,73,14,377)
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि / आवंटित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	6,89,28,424	-	6,89,28,424
भारतीय लेखा मानक समाचौजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभभंश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1:1 में जारी बोनस शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेयर राशि	-	-	-	-	-	-	-	(83,85,953)	-	(83,85,953)

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न  
संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ताक्षर कृत/-  
सी.ए.  
भागीदार  
सदस्यता क्र.-077944  
एफ.आर. नं.-08773सी  
यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761  
स्थान: भोपाल  
दिनांक: 13 जुलाई, 2022

हस्ताक्षर कृत/-  
(सदीप जैन)  
कंपनी सचिव  
एफसीएन: 7847  
हस्ताक्षर कृत/-  
(मनीष सिंह)  
संचालक  
डीआईएन: 02947579

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षर कृत/-  
(नीति कोठारी)  
संचालक (वित्त)  
डीआईएन: 09608369  
हस्ताक्षर कृत/-  
(छवि भारद्वाज)  
प्रबंध संचालक  
डीआईएन: 06499360



## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण  
(सभी राशियाँ भारतीय मुद्रा के रूप में जब तक कि अन्यथा न कहा जाए)  
ए.इक्विटी शेयर पूँजी

रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेयर	31 मार्च, 2020 को वर्ष 2020-21 के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 को
इक्विटी शेयर पूँजी	30,00,00,000	3,52,18,00,000
	30,00,00,000	3,52,18,00,000

विवरण	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	पूँजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित	पुनर्मुल्यांकन आरक्षित	आरक्षित और अधिशेष	म.प्र. शासन से अनुदान	भारत सरकार से अनुदान	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	योग
बी.अन्य इक्विटी										
1 अप्रैल, 2020 को रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेयर राशि	-	-	-	-	-	-	-	(5,47,28,032)	-	(5,47,28,032)
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि / आवंटित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	(2,25,86,345)	-	(2,25,86,345)
भारतीय लेखा मानक समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभभंडार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1:1 में जारी बोनस शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेयर राशि	-	-	-	-	-	-	-	(7,73,14,377)	-	(7,73,14,377)

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न संपीय औपप्रकाश गर्ग एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ताक्षर कृत/-  
सी.ए.  
भागीदार  
सदस्यता क्र:-077944  
एफ.आर.नं:-08773सी  
यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761  
स्थान: भोपाल  
दिनांक: 13 जुलाई, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षर कृत/-  
(नीति कोठारी)  
संचालक (वित्त)  
डीआईएन: 09608369  
हस्ताक्षर कृत/-  
(उषा भारद्वाज)  
प्रबंध संचालक  
डीआईएन: 06499360

हस्ताक्षर कृत/-  
(सदीप जैन)  
कंपनी सचिव  
एफसीएन: 7847  
हस्ताक्षर कृत/-  
(मनीष सिंह)  
संचालक  
डीआईएन: 02947579

**मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स (सभी राशियां भारतीय मुद्रा के रूप में जब तक कि अन्यथा न कहा जाए)  
**नोट-3 संपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण**

विवरण	सकल लागत		मूल्यहास/परिशोधन		शुद्ध लागत
	01.04.2021 को अवधि के दौरान परिकल्पित	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	31.03.2022 को कुल	अवधि के लिए मूल्यहास	
(C) भूमि					
(डी) भवन					
I. स्थल का विकास					
II. फ्रेवर्टरी भवन					
III. प्रशासन एवं गतिम भवन					
सी. संयंत्र एवं उपकरण					
डी. इन्जीनियरिंग फिलिस्वर्स					
ई. वाहन					
एफ. कार्यालय उपकरण					
I. फ्रम-यूटर्स	34,74,168	74,07,097	60,81,265	8,90,731	23,99,687
II. अन्य कार्यालय उपकरण	37,22,443	19,51,948	47,54,391	8,47,517	11,24,204
<b>योग</b>	<b>2,79,59,728</b>	<b>36,39,045</b>	<b>3,11,97,773</b>	<b>56,62,495</b>	<b>1,67,82,495</b>
प्रगति में पूंजीगत कार्य	2,96,80,86,651	4,08,88,74,395	7,03,74,11,046	-	2,96,80,86,651
<b>योग</b>	<b>2,99,67,45,379</b>	<b>4,07,24,63,440</b>	<b>7,06,86,08,819</b>	<b>56,62,495</b>	<b>2,99,53,69,146</b>
<b>विवरण</b>	<b>01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष</b>	<b>अवधि के दौरान परिकल्पित</b>	<b>वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती</b>	<b>अवधि के लिए मूल्यहास/परिशोधन</b>	<b>31 मार्च 2021 को शुद्ध लागत</b>
(C) भूमि					
(डी) भवन					
I. स्थल का विकास					
II. फ्रेवर्टरी भवन					
III. प्रशासन एवं गतिम भवन					
सी. संयंत्र एवं उपकरण					
डी. इन्जीनियरिंग फिलिस्वर्स					
ई. वाहन					
एफ. कार्यालय उपकरण					
I. फ्रम-यूटर्स	31,89,125	2,80,043	34,74,168	19,32,253	8,57,594
II. अन्य कार्यालय उपकरण	37,16,094	6,349	37,22,443	20,14,123	7,68,547
<b>योग</b>	<b>71,26,561</b>	<b>2,04,32,167</b>	<b>2,75,58,728</b>	<b>49,47,698</b>	<b>67,28,334</b>
प्रगति में पूंजीगत कार्य	1,16,87,80,483	1,79,98,05,968	2,96,80,86,651	-	2,96,80,86,651
<b>योग</b>	<b>1,17,59,07,244</b>	<b>1,82,02,38,135</b>	<b>2,03,67,117</b>	<b>1,00,522</b>	<b>51,02,193</b>
<b>विवरण</b>	<b>31.03.2021 को प्रारम्भिक शेष</b>	<b>वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती</b>	<b>वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती</b>	<b>अवधि के लिए मूल्यहास</b>	<b>31 मार्च 2020 को शुद्ध लागत</b>
(C) भूमि					
(डी) भवन					
I. स्थल का विकास					
II. फ्रेवर्टरी भवन					
III. प्रशासन एवं गतिम भवन					
सी. संयंत्र एवं उपकरण					
डी. इन्जीनियरिंग फिलिस्वर्स					
ई. वाहन					
एफ. कार्यालय उपकरण					
I. फ्रम-यूटर्स	27,90,847	19,32,253	34,74,168	8,57,594	27,90,847
II. अन्य कार्यालय उपकरण	27,82,670	20,14,123	37,22,443	7,68,547	27,82,670
<b>योग</b>	<b>1,07,76,233</b>	<b>49,47,698</b>	<b>2,75,58,728</b>	<b>67,28,334</b>	<b>1,07,76,233</b>
प्रगति में पूंजीगत कार्य	2,96,80,86,651	-	2,96,80,86,651	-	2,96,80,86,651
<b>योग</b>	<b>1,07,76,233</b>	<b>49,47,698</b>	<b>2,03,67,117</b>	<b>67,28,334</b>	<b>1,17,18,59,346</b>
<b>विवरण</b>	<b>31.03.2022 तक कुल प्रातिरिक्त पूंजीगत कार्य</b>	<b>1-2 वर्ष</b>	<b>2-3 वर्ष</b>	<b>3-3 वर्ष</b>	<b>31.03.2022 तक कुल प्रातिरिक्त पूंजीगत कार्य</b>
कुल निपटित कार्य व्यय	1,57,48,49,950	47,49,97,846	11,50,17,733	31,12,35,063	1,57,48,49,950
कुल परामर्श शुल्क	48,43,74,656	39,03,66,846	19,94,80,643	10,46,03,634	48,43,74,656
<b>योग</b>	<b>2,05,92,24,606</b>	<b>76,52,69,892</b>	<b>31,44,98,376</b>	<b>41,58,38,697</b>	<b>2,05,92,24,606</b>

नोट: परामर्श शुल्क/फीस को कुल प्रयोजन लागत के आधार पर आनुपातिक किया गया है।

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
4 (ए)	गैर-वर्तमान निवेश	-	-
	लागत पर मापा गया निवेश	-	-
	सहायक कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-
	गैर-उद्धृत पूर्ण प्रदत्त	-	-
		-	-
	एसोसिएट्स कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-
	गैर-उद्धृत पूर्ण चुकता	-	-
	कुल गैर-उद्धृत गैर-वर्तमान निवेश	-	-
	एसोसिएट्स कंपनियों के वरीयता शेयर	-	-
	गैर-उद्धृत पूरी तरह चुकता	-	-
	कुल गैर-वर्तमान निवेश	-	-
(बी)	लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया निवेश	-	-
	पूरी तरह से चुकता उद्धृत	-	-
	कुल गैर-उद्धृत गैर-वर्तमान निवेश		
	श्रेणी-वार गैर-वर्तमान निवेश	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
	लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
	योग उद्धृत गैर-वर्तमान निवेश	-	-



**मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
 (भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
5(ए)	<b>गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां :</b>		
	<b>जमा</b>		
	<b>सुरक्षा जमा:</b>		
(i)	अपोलो क्रिएशन्स प्रा. लिमिटेड (इंदौर कार्यालय किराया समझौते के तहत)	54,42,816	54,42,816
(ii)	बीएसएनएल के पास	13,392	13,392
	<b>कुल ऋण</b>	<b>54,56,208</b>	<b>54,56,208</b>
5(बी)	जमा स्थायी प्रकृति के हैं और 31.03.2022 तक कोई परिशोधन नहीं है।		
	<b>आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध):</b>		
	वर्ष के आरंभ में	13,26,300	4,08,080
	लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित/(क्रेडिट)	6,27,432	9,18,220
	<b>कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)</b>	<b>19,53,732</b>	<b>13,26,300</b>
	<b>व्याख्यात्मक नोट के संदर्भ में नोट 17 : आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)”</b>		
	<b>विवरण</b>	<b>31, मार्च 2022 को</b>	<b>31, मार्च 2021 को</b>
	आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली मदों पर कर प्रभाव		
	आयकर अधिनियम के अनुसार अवलेखित मूल्य	2,22,73,399	2,18,83,650
	पुस्तकों के अनुसार अवलेखित मूल्य	1,47,59,045	1,67,82,495
	<b>उप-जोड़ (1)</b>	<b>75,14,354</b>	<b>51,01,155</b>
	कर दर	26%	26%
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	19,53,732	13,26,300
नोट	<b>विवरण</b>	<b>31, मार्च 2022 को</b>	<b>31, मार्च 2021 को</b>
6	अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति (सुरक्षित और अच्छा माना गया)		
(i)	सरकारी अधिकारियों के पास शेष राशि	-	-
(ii)	बैंक गारंटियों के एवज में ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन एडवांस # (असुरक्षित और अच्छा माना गया है)	1,32,22,09,695	34,54,36,454
(iii)	प्रीपेड व्यय*	2,00,866	-
	<b>योग अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियाँ</b>	<b>1,32,24,10,561</b>	<b>34,54,36,454</b>
	#संबंधित अनुबंधों के नियमों और शर्तों के अनुसार वसूली योग्य। *प्रीपेड व्यय 12 महीने से अधिक की अवधि से संबंधित है।		

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
7	इन्वेंट्रीज़	-	-
	योग इन्वेंट्रीज़	-	-
8	वर्तमान वित्तीय परिसंतियों - प्राप्य व्यापार (असुरक्षित अच्छा माना गया है)		
	प्राप्य व्यापार	-	-
	योग प्राप्य व्यापार	-	-

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
<b>9</b>	<b>नकद और नकद समतुल्य #</b>		
	ए. हस्तगत रोकड़	-	
	बी. चालू लेखोंमें बैंकों के पास शेष राशि	3,82,40,070	51,39,722
	सी. तीन माह से कम की परिपक्वता वाली उस पर अर्जित ब्याज सहित जमा राशियां	11,21,81,33,479	4,49,81,59,132
	<b>अन्य बैंक शेष</b>		
	मार्जिन मनी जमा के रूप में धारित बैंकों के पास शेष राशि	-	-
	<b>योग नकद और बैंक शेष</b>	<b>11,25,63,73,549</b>	<b>4,50,32,98,854</b>
<b>10</b>	<b>ऋण-(असुरक्षित और अच्छा माना गया है)</b>		
ए	ऋण और अग्रिम - संबंधित पक्ष	-	-
बी	ऋण और अग्रिम - अन्य		
(I)	पश्चिम मध्य रेलवे के पास जमा*	25,42,37,288	-
	<b>योग ऋण</b>	<b>25,42,37,288</b>	<b>-</b>
	#31.3.2022 को कोई परिशोधन नहीं है *भूमि के उपयोग का अधिकार प्राप्त करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के पास जमा		



## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
11	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
	अन्य	-	-
	<b>योग ऋण</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
(ए)	स्रोत पर आयकर कटौती	70,53,617	95,51,415
(बी)	अन्य		
(i)	प्रीपेड व्यय रु	14,55,301	-
(ii)	एमपी भवन के पास जमा	46,061	1,88,458
(iii)	कर्मचारी अग्रिम	-	30,000
(iv)	एमएपी आईटी के लिए अग्रिम	1,66,668	-
	<b>योग अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ</b>	<b>87,21,647</b>	<b>97,69,873</b>
	# प्रीपेड व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में किए गए व्यय हैं और जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपार्जित होंगे।		

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को		31, मार्च 2021 को	
		शेयर्स की संख्या	भारतीय रुपये में	शेयर्स की संख्या	भारतीय रुपये में
13	शेयर पूंजी				
<b>ए</b>	<b>अधिकृत</b>				
	रुपये 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर।	5,00,00,00,000	50,00,00,00,000	5,00,00,00,000	50,00,00,00,000
	रुपये 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर वरीयता शेयर।				
	<b>जारी, सबक्राइड और पूरी तरह से भुगतान किया गया</b>	1,20,80,00,000	12,08,00,00,000	35,21,80,000	3,52,18,00,000
	रुपये 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर।	<b>1,20,80,00,000</b>	<b>12,08,00,00,000</b>	<b>35,21,80,000</b>	<b>3,52,18,00,000</b>

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को		31, मार्च 2021 को	
<b>बी</b>	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयर्स की संख्या का मिलान नीचे दिया गया है:				
		<b>मार्च 31, 2022 को</b>		<b>31, मार्च 2021 को</b>	
		शेयर्स की संख्या	भारतीय रुपये में	शेयर्स की संख्या	भारतीय रुपये में
	अवधि के आरंभ में बकाया शेयर्स की संख्या	35,21,80,000	3,52,18,00,000	3,00,00,000	30,00,00,000
	जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	85,58,20,000	8,55,82,00,000	32,21,80,000	3,22,18,00,000
	अवधि के अंत में बकाया शेयर्स की संख्या	1,20,80,00,000	12,08,00,00,000	35,21,80,000	3,52,18,00,000
<b>सी</b>	इक्विटी शेयर्स से जुड़ी शर्तें/अधिकार				
	i) कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स का केवल एक वर्ग है, जिसका मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर्स का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।				
	ii) कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर्स के धारक कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर्स की संख्या के अनुपात में होगा।				
<b>डी</b>	iii) प्रत्येक शेयरधारक को संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है और यह आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।				
	कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले इक्विटी शेयरधारकों का विवरण	<b>31, मार्च 2022 को</b>		<b>31, मार्च 2021 को</b>	
		शेयर्स की संख्या	प्रतिशत	शेयर्स की संख्या	प्रतिशत
	संस्थापकों/शेयरधारकों का नाम				
	मध्य प्रदेश के राज्यपाल	60,39,99,995	49.999%	17,60,89,995	49.999%
	भारत के राष्ट्रपति	60,39,99,995	49.999%	17,60,89,995	49.999%
	इसके अलावा, 5 शेयर भारत सरकार के नामितों के पास हैं और 5 शेयर एमपीएमआरसीएल में उनके पद के आधार पर म.प्र. शासन के नामितों के पास हैं।				



## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
<b>14</b>	<b>अन्य इक्विटी</b>		
(ए)	प्रतिधारित आय		
	वर्ष के आरंभ में अधिशेष	(7,73,14,377)	(5,47,28,032)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ/हानि	6,89,28,424	(2,25,86,345)
	जोड़ें : संक्रमण दिनांक समायोजन	-	-
	जोड़ें / घटाएं : पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में स्थानांतरण	-	-
	जोड़ें / घटाएं : सामान्य पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में स्थानांतरण	-	-
	घटाएं:इक्विटी शेयर्स पर लाभांश	-	-
	घटा: लाभांश पर कर	-	-
	<b>योग</b>	<b>(83,85,953)</b>	<b>(7,73,14,377)</b>
(बी)	कैपिटल रिजर्व	-	-
	जोड़ें/घटाएं:वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय/विनियोग से स्थानांतरित	-	-
	सामान्य रिजर्व- अंतशेष	-	-
	<b>योग अन्य इक्विटी</b>	-	-
सी	<b>सामान्य रिजर्व</b>		
	जोड़ें/घटाएं:वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय/विनियोग से स्थानांतरित		
	सामान्य रिजर्व- अंतशेष		
	<b>योग अन्य इक्विटी</b>	<b>(83,85,953)</b>	<b>(7,73,14,377)</b>

### मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
15(ए)	<b>गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं:</b>		
	उधारी (असुरक्षित)		
	- ऋण - संचालक और शेयरधारक	-	-
	- अंतर कॉर्पोरेट जमा - संबंधित पक्ष	-	-
	- अन्यो से	3,73,81,00,000	69,14,00,000
	<b>उधार (सुरक्षित)</b>		
	- बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से (पीटीए - भारत सरकार)	3,07,28,00,000	-
	- अन्यो से	-	-
	<b>कुल उधार</b>	<b>6,81,09,00,000</b>	<b>69,14,00,000</b>
15(बी)	<b>अन्य वित्तीय देयताएं:</b>		
	सुरक्षा जमा और प्रतिधारण राशि र#	12,58,42,240	3,95,26,452
	मध्यप्रदेश सरकार से अनुदान ##	18,25,23,108	2,96,89,40,300
	भारत सरकार से अनुदान ##	1,36,48,500	1,36,48,500
	<b>योग अन्य वित्तीय देनदारियां</b>	<b>32,20,13,848</b>	<b>3,02,21,15,252</b>
16	<b>गैर वर्तमान प्रावधान</b>		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (प्रेच्युटी)		
	<b>योग प्रावधान</b>		
17	<b>आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)</b>		
	वर्ष के आरंभ में		
	लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित/(क्रेडिट)		
	<b>कुल आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)</b>		
	#चूंकि परियोजनाएं निष्पादन चरण में हैं, इसलिए प्रतिधारण राशि का भुगतान प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही देय है। इसलिए, ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की राशि से कटौती के रूप में प्रतिधारण राशि को अन्य वित्तीय देनदारियों (गैर चालू) के तहत वर्गीकृत किया गया है।		

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
	##राजस्व व्यय के लिए सरकारी गैर-सरकारी या अन्य प्राधिकरणों से अनुदान शुरु में अन्य वित्तीय देनदारियों (गैर-वर्तमान) के तहत "अनुदान" के रूप में दिखाया जाता है। वर्ष के दौरान किया गया राजस्व व्यय को संबंधित अनुदानों के वहन मूल्य से घटा दिया जाता है।		
	<b>नोट 15 (ए): "अन्यों से असुरक्षित उधार लेना-" के संदर्भ में व्याख्यात्मक नोट</b>		
(ए)	अन्यों से असुरक्षित (भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण)	1,11,81,00,000	69,14,00,000
(बी)	अन्यों से असुरक्षित (म.प्र.शासन से अधीनस्थ ऋण)	11,00,00,000	-
(सी)	अन्यों से असुरक्षित (म.प्र.शासन से एसजीएसटी के लिए अधीनस्थ ऋण)	1,00,00,000	-
(डी)	अन्यों से असुरक्षित (भूमि और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए म.प्र. शासन से)	2,00,00,00,000	-
(ई)	अन्यों से असुरक्षित (आईडीसी के लिए म.प्र.शासन से)	50,00,00,000	-
	<b>योग</b>	<b>3,73,81,00,000</b>	<b>69,14,00,000</b>
	<b>"अन्यों से असुरक्षित उधार लेना-" नोट. 15 (ए) के संदर्भ में अतिरिक्त प्रकटीकरण</b>		
	1. भारत सरकार/ म.प्र.शासन द्वारा प्रदान किए गए ऋण/अधीनस्थ ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर हैं जिन पर ऐसे ऋण अन्य मेट्रो परियोजनाओं को प्रदान किए जाते हैं और इसलिए उन्हें उचित मूल्य पर माना जाता है।		
	2. परियोजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त 307.28 करोड़ रुपये शामिल हैं, लेकिन राशि ईआईबी से भारत सरकार को जारी नहीं की गई है। इसलिए ऋण की शर्तें अज्ञात हैं। यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) ने 250 मिलियन यूरो (लगभग 2000 करोड़ रुपये) के वित्तपोषण के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एमपीएमआरसीएल को सकल बजटीय संसाधनों के माध्यम से भारत सरकार से पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए) के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। ईआईबी ऋण सॉवरेन ऋण हैं और इसलिए भारत सरकार कायों के निष्पादन के लिए पीटीए की व्यवस्था कर रही है। हालांकि, ईआईबी द्वारा भारत सरकार को कोई संवितरण नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने भोपाल परियोजना के निष्पादन के लिए एमपीएमआरसीएल को पीटीए के तहत 307.28 करोड़ रुपये जारी किए। उक्त पीटीए को उधार के तहत गैर चालू देनदारियों के रूप में दिखाया गया है।		
	3. भारत सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण ब्याज वाले बाहरी उधारों के पुनर्भुगतान के बाद चुकाने योग्य हैं।		
	4. म.प्र. सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण ब्याज वाले बाहरी उधारों के पुनर्भुगतान के बाद चुकाने योग्य हैं।		



## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
	वर्तमान वित्तीय देयताएं :		
18	उधारी		
(ए)	बैंक से सुरक्षित ऋण		
	- मांग पर चुकाने योग्य ऋण -कार्यशील पूंजी ऋण	-	-
	- अल्पकालिक ऋण	-	-
(बी)	अन्यों से सुरक्षित ऋण	-	-
(सी)	लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता		
	कुल उधारी	-	-
19	व्यापार देनदारियां		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
	अन्य	-	-
	कुल व्यापार देय	-	-

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
20	<b>अन्य वित्तीय देयताएं :</b>		
(ए)	अग्रिम और विविध जमा*	16,59,408	16,59,408
(बी)	अन्य देय (12 माह के भीतर देय)		
(i)	ठेकेदारों को देय (सीडब्ल्यूआईपी)	1,86,59,490	1,88,27,953
(ii)	ठेकेदारों को देय के अलावा अन्य देय (सीडब्ल्यूआईपी)	2,70,08,430	2,48,89,258
	<b>योग अन्य वित्तीय देयताएं रु :</b>	<b>4,73,27,328</b>	<b>4,53,76,619</b>
21	<b>वर्तमान कर देयताएं (नेट)</b>		-
	आयकर के लिए प्रावधान	-	-
	घटाएं : अग्रिम कर/टीडीएस	-	-
	वर्तमान कर देयताएं (नेट)	-	-
	<b># 31.3.2022 को कोई परिशोधन नहीं है।</b>		
	<b>*छोटे विक्रेताओं/ठेकेदारों की विविध जमा राशियां</b>		

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
22	<b>अन्य वर्तमान देनदारियाँ :</b>		
	<b>अन्य सांविधिक देय:</b>		
(ए)	गुड्स एंड सर्विस टैक्स	57,20,907	54,24,471
(बी)	स्रोत पर आयकर कटौती	4,68,74,154	96,49,136
(सी)	श्रम उपकर	36,96,519	26,50,264
(डी)	वृत्ति कर	37,418	3,378
	<b>योग अन्य वर्तमान देनदारियाँ</b>	<b>5,63,28,998</b>	<b>1,77,27,249</b>
23	<b>प्रावधान</b>		
(ए)	सीडब्ल्यूआईपी के लिए बिल न की गई देनदारी के विरुद्ध प्रावधान	56,24,30,809	62,13,17,139
(बी)	अप्रत्यक्ष व्यय के लिए प्रावधान	3,03,75,946	80,53,454
(सी)	लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान	3,32,100	1,81,500
	<b>कुल प्रावधान</b>	<b>59,31,38,855</b>	<b>62,95,52,093</b>



## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
24	संचालन से राजस्व	-	-
	योग	-	-
25	अन्य आय		
	ब्याज आय	18,56,83,515	9,64,15,001
	निविदा प्रपत्रों की बिक्री	30,13,188	42,373
	अन्य #	4,68,146	28,567
	योग	18,91,64,849	9,64,85,941
	# 1. चालू वर्ष के लिए अन्य आयकर रिफंड के कारण ब्याज से संबंधित है।		
	2. पिछले वर्ष के अन्य बैंक द्वारा वापस किए गए टीडीएस से संबंधित हैं।		
25.1	अन्य व्यापक आय		
	वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-
	अवास्तविक लाभ	-	-
	योग	-	-

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
26	संचालन व्यय	-	-
		-	-
27	इन्वेंट्रीज में परिवर्तन	-	-
		-	-

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
<b>28</b>	<b>कर्मचारी लाभ व्यय</b>		
	वेतन और मजदूरी	3,15,23,533	1,90,58,750
	संचालकों का पारिश्रमिक	12,40,902	-
	भविष्य निधि और अन्य में योगदान	17,14,329	10,53,656
	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
	<b>योग</b>	<b>3,44,78,764</b>	<b>2,01,12,406</b>



## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
<b>29</b>	<b>अन्य प्रभार:</b>		
(i)	विज्ञापन प्रभार	1,04,99,298	1,91,60,647
(ii)	बैंक प्रभार	1,830	486
(iii)	कंप्यूटर उपभोग व्यय	73,400	12,760
(iv)	होटल और गैस्ट हाउस व्यय	1,42,397	2,200
(v)	जनशक्ति भर्ती एजेंसी	79,16,691	47,73,804
(vi)	सदस्यता शुल्क	15,89,900	23,60,000
(vii)	विधिक शुल्क	6,45,000	2,95,000
(viii)	मुद्रण व्यय	2,04,097	1,61,074
(ix)	किराया व्यय	2,88,47,693	2,29,12,750
(x)	स्टाम्प ड्यूटी व्यय	-	32,21,800
(xi)	स्टेशनरी व्यय	4,15,395	25,960
(xii)	दौरा और यात्रा व्यय	2,98,060	1,75,364
(xiii)	प्रशिक्षण और संगोष्ठी व्यय	-	53,615
(xiv)	वाहन किराए पर लेने का व्यय	66,65,623	34,61,359
(xv)	केंद्रीय सार्वजनिक क्रयपोर्टल (सीपीपीपी) व्यय	9,69,638	-
(xvi)	वित्तीय सहायता (मुआवजा)	4,00,000	-
(xvii)	यात्रा भत्ता	2,18,251	-
(xviii)	भर्ती व्यय	4,23,858	-
(xix)	बिजली व्यय	32,38,152	-
(xx)	कार्यालय का व्यय	12,79,606	8,77,720
(xxi)	परामर्श व्यय	2,39,968	1,33,89,880
(xxii)	इंटरनेट और टेलीफोन व्यय	19,80,276	15,80,263
(xxiii)	शुल्क और कर	5,80,171	2,500
(xxiv)	प्रतिपूर्ति व्यय	25,55,527	7,73,247
(xxv)	लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	-	-
	- सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	88,500	88,500
	- टैक्स ऑडिट शुल्क	11,800	-
	- आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	88,500	-
	<b>योग</b>	<b>6,93,73,630</b>	<b>7,33,28,929</b>

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
	<b>नोट संख्या 29 के लिए व्याख्यात्मक नोट:</b>		
1.	प्रतिपूर्ति व्यय में परिवहन व्यय, मांबाइल/लैपटॉप, जनशक्ति आदि के प्रति प्रतिपूर्ति शामिल है।		
2.	छूटी और करों में वृत्ति कर, जीएसटी, आदि जैसे करों के लिए भुगतान शामिल है।		
3.	इंटरनेट और टेलीफोन व्यय में इंटरनेट शुल्क, टेलीफोन शुल्क, विविध नवीनीकरण शुल्क शामिल हैं।		
<b>30</b>	<b>वित्त लागत :</b>		
	ब्याज व्यय	-	-
	विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन हानि	-	-
	अन्य उधार लागत	-	-
	<b>योग</b>	-	-

## मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(भारतीय रुपये में जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
<b>31</b>	<b>अपवाद मदें</b>		
	प्रधान कार्यालय का किराया	12,06,132	1,98,20,837
	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जनशक्ति व्यय की प्रतिपूर्ति।	7,00,937	-
	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बिजली व्यय की प्रतिपूर्ति	92,16,914	-
	शुल्क और कर	2,47,185	-
	पिछले वर्ष के अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन	(22,200)	-
	<b>कुल असाधारण मदें</b>	<b>1,13,48,968</b>	<b>1,98,20,837</b>
<b>32</b>	<b>प्रति शेयर आय (ईपीएस)</b>		
	इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर पश्चात लाभ	6,89,28,424	(2,25,86,345)
	इक्विटी शेयर्स की भारित औसत संख्या (संख्या में) - मूल	36,15,58,849	11,05,45,000
	इक्विटी शेयर्स की भारित औसत संख्या (संख्या में) - मंदित	36,15,58,849	11,05,45,000
	प्रति शेयर इक्विटी का नाममात्र मूल्य (रुपये में)		
	प्रति शेयर मूल आय (रुपये में)	0.19	(0.20)
	प्रति शेयर मंदित आय (रुपये में)	0.19	(0.20)



## 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ

### 1. कॉर्पोरेट जानकारी

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ में सरकारी कंपनी होने के नाते 09 जुलाई, 2015 को निगमित हुई है। कंपनी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 100 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ स्थापित किया गया था और बाद में भोपाल और इंदौर शहर में व्यापक तीव्र पारगमन व्यवस्था (मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को लागू करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की 50:50 शेयरधारिता के साथ संयुक्त उद्यम विशेष प्रयोजन कंपनी में परिवर्तित किया गया था। कंपनी को मेट्रो रेल प्रदान करके, स्थायी संचालन सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार, इसके संचालन, रखरखाव और संबद्ध गतिविधियों के कार्य सौंपे गये हैं।

### 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं। ऐसी लेखांकन नीतियाँ इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर निरंतर लागू की गई हैं जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो।

#### 2.1 अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

#### 2.2 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कुछ संपत्तियों और देनदारियों के अपवाद के साथ जिन्हें भारतीय लेखा मानक द्वारा उचित मूल्य पर ले जाने की आवश्यकता होती है ऐतिहासिक लागत रूपांतरण के तहत तैयार किए गए हैं। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप दिनांक पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

#### 2.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मूल लागत से संचित मूल्यहास और संचित निष्क्रियता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर बताए गए हैं। जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण भागों को अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी बदले गए भाग की पहचान हटाती है, और नए भाग को उसके स्वयं के संबद्ध उपयोगी जीवन के साथ पहचानती है, तदनुसार मूल्यहास किया जाता है। सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, या तो निपटान पर या सक्रिय उपयोग से विरत होने पर वित्तीय विवरणों से निकाल दिए जाते हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सेवानिवृत्ति के मामले में होने वाली हानि और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से होने वाले लाभ या हानि को घटना के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन पर डब्लूडीवी आधार पर परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया गया है। परिवर्धन कटौती पर मूल्यहास की गणना, परिवर्धन/कटौती की अवधि के अनुपात में की जाती है।

5,000.00 रुपये या उससे कम की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का भौतिक पहलू ध्यान में रखते हुए क्रय के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास/परिशोधन किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यहास प्रभारित करने के लिए परिसंपत्ति की मूल लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखकर कटौती की गई है।

संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

## 2.4 अमूर्त संपत्ति

सॉफ्टवेयर की लागत और अन्य अमूर्त संपत्ति को बैलेंस शीट में अमूर्त संपत्ति के रूप में सम्मिलित किया जाता है, जब यह संभावना होती है कि संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे। इस मामले में उन्हें आरंभ में अधिग्रहण की लागत पर मापा गया है और फिर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर डब्लूडीवी आधार पर परिशोधित किया गया है। अन्य सभी लागतों को व्यय होने पर लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है। अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है जिसमें वह व्यय किया गया है।

## 2.5 प्रगति में -पूँजीगत कार्य

प्रगति में पूँजीगत कार्यों में ऐसे व्यय और बाद की लागतें सम्मिलित हैं, जिनका विश्वसनीय रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है जब परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है और जब लागतों को दृढ़ता से मापा जाता है तब पूँजीकृत किया जाता है।

## 2.6 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की निष्क्रियता -संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक पर मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त संपत्ति या संपत्ति का समूह खराब हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो किसी परिसंपत्ति की हानि की सीमा, यदि कोई हो, उसकी वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस नकद उत्पादन इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। निष्क्रियता को लाभ और हानि के विवरण में उस सीमा तक मान्य जाता है, जिस सीमा तक परिसंपत्ति



की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य को घटाई राशि से अधिक होती है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के आधार पर आधारित पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर बनता है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है।

यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन हुआ है, तो पूर्व लेखा अवधि में मान्य निष्क्रियता हानि को उलट दिया जाता है।

## 2.7 वित्त लागत

उधार लेने की लागत में विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय का अंतर शामिल है, जिस हद तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होती हैं, उन्हें ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक संपत्ति वह है जो उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।

विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, अर्हक परिसंपत्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दी जाती है।

अन्य सभी उधारी लागतें, यदि कोई हों, उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित की जाती हैं, जिसके लिए वे व्यय की गई हैं।

## 2.8 इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

- कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर का मूल्यांकन लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारत औसत के आधार पर लागत का पता लगाया जाता है।
- संबंधित उपरिव्यय सहित लागत पर प्रगति में कार्य।
- तैयार माल और स्टॉक-इन ट्रेड का मूल्यांकन लागत या अनुमानित वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में सामग्री, श्रम और लागू उपरिव्यय प्रभार शामिल हैं।

इन्वेंटरी की लागत में क्रय की लागत, रूपांतरण की लागत और अन्य लागतें शामिल हैं, जिसमें उन्हें उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए उपरिव्यय का निर्माण शामिल है।

हालाँकि, वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं रहती है, इसलिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएं उस पर लागू नहीं होती हैं।

## 2.9 विदेशी मुद्रा लेनदेन

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं किया गया है।



## 2.10 राजस्व मान्यता

राजस्व को, प्राप्त या प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि लाभ, व्यवसायिक छूट, मूल्य वर्धित करों और तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र की गई राशि को मिलाकर होती है।

कंपनी राजस्व को मान्य करती है जब राजस्व की मात्रा को दृढ़ता से मापा जा सकता है, कि भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होना संभावित है और कंपनी की प्रत्येक गतिविधियों के लिए विशिष्ट मानदंड पूरे किए गए हैं। कंपनी अपने अनुमानों को ग्राहक के प्रकार, लेनदेन के प्रकार और प्रत्येक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इतिहासपरक परिणामों के आधार पर बनाती है।

कंपनी ने अभी तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियाँ आरंभ नहीं की हैं, इसलिए इस क्लाज़ की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

### 2.10.1 ब्याज आय

लंबित राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए, ब्याज को समय के अनुपात में मान्यता दी गई है।

### 2.10.2 अन्य आय

अन्य आय को तब मान्यता दी जाती है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

## 2.11 कर्मचारी लाभ

### (i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवा प्रदान करने के बारह माह के भीतर पूरी तरह से देय होने वाले सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 31.03.2022 को कंपनी के पास कोई अल्पकालिक कर्मचारी लाभ योजना नहीं है।

### (ii) रोजगार के बाद के लाभ

**क) परिभाषित अंशदान योजनाएं:** कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति दायित्व एक परिभाषित अंशदान योजना है। भुगतान/देय अंशदान को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। कंपनी ने अंशदान योजनाओं को परिभाषित किया है जहां कंपनी पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान करती है और रोजगार के बाद के लाभों के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

31.03.2022 तक कंपनी की कोई परिभाषित अंशदान योजना नहीं है।

**बी) परिभाषित लाभ योजनाएं:** 31.03.2022 को कंपनी के पास कोई परिभाषित लाभ योजना नहीं है।

## 2.12 आय पर करों के लिए लेखांकन

संचित हानियों के कारण, आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर रिपोर्टिंग दिनांक पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच रिपोर्टिंग दिनांक पर अस्थायी अंतर पर बैलेंस शीट दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है, जो उस वर्ष में प्रयुक्त होने की आशा है, जिसमें परिसंपत्ति का कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर अर्जन होता है या देयता का निपटान किया जाता है जो रिपोर्टिंग दिनांक पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं।

लाभ और हानि के विवरण के बाहर मान्य मदों से संबंधित आस्थगित कर।

आस्थगित कर मदों को या तो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेनदेन के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियां ऑफसेट हैं यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान आयकर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समंजन (सेट ऑफ) करने के लिए मौजूद है एवं आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और एक ही कराधान प्राधिकारी से संबंधित हैं।

## 2.13 वित्तीय विलेख

### 2.13.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

#### ए) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। लेन-देन की लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या निर्गम के कारण होती हैं, जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होती हैं, वे प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में समायोजित की गई हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रय और विक्रय को व्यापार दिनांक लेखांकन का उपयोग करके मान्य किया गया है।

#### बी) बाद की माप

बैलेंस शीट की दिनांक से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, इन विलेखों की अल्प परिपक्वता के कारण अग्रेणीत राशि लगभग उचित मूल्य पर है।

### 2.13.2 वित्तीय दायित्व

#### ए) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर और ऋणों के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार शुद्ध लागत मान्यता दी गई है। आवर्ती प्रकृति के शुल्क को सीधे लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्य किया गया है।



**बी) बाद की माप**

बैलेंस शीट की दिनांक से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देयों के लिए इन विलेखों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया गया है।

**2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

**ए)** प्रावधान, देनदारियों के लिए मान्य किए जाते हैं जिन्हें केवल पर्याप्त डिग्री में अनुमान का उपयोग करके मापा जा सकता है, यदि

- (i) पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व है।
- (ii) संसाधनों के संभावित बहिर्वाह से दायित्व का निपटान होने की आशा है, एवं
- (iii) दायित्व की राशि का दृढ़ता से अनुमान लगाया जा सकता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधानों में विद्यमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

**बी)** एक प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति है, उसे केवल तभी मान्य किया जाता है जब यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।

**सी)** आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण निम्न मामलों में किया गया है:-

- (i) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।
- (ii) एक वर्तमान दायित्व जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है, और
- (iii) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक संभावित दायित्व जहां संसाधन के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

**डी)** आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण किया गया है, जहां आर्थिक लाभ की संभावना है।

**ई)** प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की दिनांक पर की गई है।

**2.15 प्रति शेयर आय**

मूल प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना वर्ष के दौरान बकाया साधारण शेयर्स की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ या हानि को विभाजित करके की गई है। मंदित ईपीएस की गणना सामान्य इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ या हानि को समायोजित करके और सभी संभावित मंदित साधारण शेयर्स के प्रभावों के लिए साधारण इक्विटी शेयर्स की भारित औसत संख्या को समायोजित करके की गई है।



## 2.16 सेगमेंट रिपोर्टिंग - सेगमेंट्स की पहचान

प्रबंधन की राय में, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी "ऑपरेटिंग सेगमेंट" पर भारतीय लेखा मानक 108 द्वारा परिकल्पित केवल एक रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय सेगमेंट है। तदनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों में सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए अलग से कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल पर आधारित द्वितीयक, विभाजन प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से भारत में काम करती है और कंपनी का मानना है कि भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से संचालन में इसके जोखिम और रिटर्न में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

"प्रबंध संचालक" मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता है जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति का आकलन करते हैं और रणनीतिक निर्णय लेते हैं।

## 2.17 अनुमानों और निर्णयों का प्रयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है कि कंपनी का प्रबंधन अनुमान और धारणाएं बनाता है जो अवधि की आय और व्यय के वित्तीय विवरणों की दिनांक पर रिपोर्ट की गई राशियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई शेष राशि और आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करता है। रिपोर्टिंग दिनांक पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन करने का एक सार्थक जोखिम है। कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए जाने पर उपलब्ध मापदंडों पर अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया है। तथापि, विद्यमान परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, बाजार में बदलाव या प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं।

## 2.18 लेखों के लिए अतिरिक्त नोट

1. ऐसे कोई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं हैं, जिन पर कंपनी का बकाया है, सिवाय इसके कि 31 मार्च, 2022 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की देय राशि 2,39,52,709.00 रुपये है। चूंकि मामला विचाराधीन है और 31 मार्च, 2022 तक दायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। इसलिए, ब्याज की गणना और प्रकटीकरण नहीं किया जा सका है। इसके अलावा इस तथ्य का प्रकटीकरण आकस्मिक दायित्व के तहत किया गया है।  
इस जानकारी का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत किया जाना आवश्यक है, जिसे कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनर्समूहीकृत, पुनर्वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
3. एक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद होने वाली घटनाओं पर विचार करने के लिए लेकिन वित्तीय विवरणों को अनुमोदित करने से पहले, कट ऑफ दिनांक 06.06.2022 ली गई है।

इसके अलावा, 06.07.2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक वित्तीय विवरण को कंपनी के संचालक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

4. कैश फ्लो स्टेटमेंट भारतीय लेखा मानक 7 “कैश फ्लो स्टेटमेंट” की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

5. मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के समझौता ज्ञापन के संबंध में प्रकटीकरण:

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) के बीच समझौता ज्ञापन 19 अगस्त 2019 को निष्पादित किया गया है। जिसके अनुसरण में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मध्यप्रदेश सरकार से 412.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से 777.86 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान (50:50 अनुपात सुनिश्चित करने के लिए) भारत सरकार को 42,79,10,000 इक्विटी शेयर्स और मध्य प्रदेश शासन को 42,79,10,000 इक्विटी शेयर्स जारी किए गए हैं।

6. आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रकटीकरण:

क्र.	विवरण (भामले का विवरण)	पार्टी(1)	पार्टी(2)	विवाद की राशि	दिनांक जब मामला दर्ज किया गया है	31.3. 2022 की स्थिति
1.	भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए डीपीआर परामर्श शुल्क के संबंध में	रोहित एसोसिएट्स	एमपीएमआरसीएल	रु.47.81 करोड़ (50.21-2.40)# (समाधान एमएसईएफसी, मुंबई)	इब्ल्यूपी 1271/2020 (20.02.2020)	माननीय एमएसईएफसी, मुंबई के समक्ष लंबित
2.	भोपाल नगर अंचल के खसरा क्रमांक 920/1, 938,939 एवं 940 एवं गोविंदपुरा सर्कल के खसरा क्रमांक 37 एवं 38 के अंतर्गत भूमि विवाद के संबंध में	भोपाल ग्लू एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	जिला कलेक्टर - अन्य (एमपीएमआरसीएल प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में)	*	28.03.2022	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष लंबित
3.	खसरा क्रमांक 208 के अंतर्गत भूमि पार्सल के स्वामित्व के संबंध में (30.23 एकड़) बाग मकब्ररा शरीफ, शाहजहाँनाबाद	औक़ाफ-ए-शाही, भोपाल।	एमपीएमआरसीएल	*	सिविल सूट नंबरए-17/2021 (08.11.2021)	एमपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित
4.	खसरा क्रमांक 1187 (0.275एचए) और 1189 (0.975 एचए) भारत टॉकीज के दाईं ओर बरखेड़ी रोड के तहत भूमि पार्सल के स्वामित्व के संबंध में	औक़ाफ-ए-शाही, भोपाल।	एमपीएमआरसीएल	*	सिविल सूट नंबरए-18/2021 (08.11.2021)	एमपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित



क्र.	विवरण (मामले का विवरण)	पार्टी(1)	पार्टी(2)	विवाद की राशि	दिनांक जब मामला दर्ज किया गया है	31.3. 2022 की स्थिति
5.	एमपीएमआरसीएल द्वारा मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली के लिए मेट्रो परियोजना में सुभाष नगर रोलिंग स्टॉक डिपो सह कार्यशाला के निर्माण के लिए निविदा से अयोग्यता हेतु दायर कैविएट आवेदन	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	एमपीएमआरसीएल		429/2022 (14.02.2022)	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष लंबित
6	एमपीएमआरसीएल द्वारा मेसर्स एसएमएस लिमिटेड, नागपुर के लिए मेट्रो परियोजना में सुभाष नगर रोलिंग स्टॉक डिपो सह कार्यशाला के निर्माण के लिए निविदा से अयोग्यता हेतु दायर कैविएट आवेदन	मेसर्स एसएमएस लिमिटेड,	एमपीएमआरसीएल		428/2022 (14.02.2022)	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष लंबित
7	एमपीएमआरसीएल द्वारा मेसर्स एसएमएस लिमिटेड, नागपुर के लिए इन्दौर मेट्रो परियोजना में गाँधी नगर रोलिंग स्टॉक डिपो सह कार्यशाला के निर्माण के लिए निविदा से अयोग्यता हेतु दायर कैविएट आवेदन	मेसर्स एसएमएस लिमिटेड,	एमपीएमआरसीएल		276/2022 (31.01.2022)	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष लंबित
8	एमपीएमआरसीएल द्वारा मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली के लिए इन्दौर मेट्रो परियोजना में गाँधी नगर रोलिंग स्टॉक डिपो सह कार्यशाला के निर्माण के लिए निविदा से अयोग्यता हेतु दायर कैविएट आवेदन		एमपीएमआरसीएल		277/2022 31.01.2022	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष लंबित
9	अपोलो टावर किराया, इंदौर	अपोलो प्रीमियर	एमपीएमआरसीएल	₹.45,70,141.00	-	जैसा कि दावा किया गया है

# रोहित एसोसिएट्स, डीपीआर सलाहकार के लिए पुस्तकों के अनुसार 31.03.2022 तक शुद्ध देय राशि रु. 2,39,52,709.00 है।

\* पता लगाने योग्य नहीं।



**7. व्याज आय के संबंध में प्रकटीकरण:**

भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज आय को भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त अधीनस्थ ऋण (ब्याज मुक्त) के रूप में प्राप्त और भारत सरकार से बजट लाइन के माध्यम से प्राप्त पास थ्रू एसिसर्टेंस (पीटीए) निधियों सहित लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है जबकि 31.03.2022 तक यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) द्वारा ऋण का संवितरण किया जाना बाकी है।

**8. प्रीपेड व्यय के संबंध में प्रकटीकरण:**

(राशि रुपये में)

कुल प्रीपेड व्यय	प्रीपेड (वर्तमान)	प्रीपेड (गैर वर्तमान)
16,56,167.00	14,55,301.00	2,00,866.00

**9. पूंजी प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रकटीकरण:**

बैलेंस शीट की दिनांक को पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाली शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि रु. 3124.29 करोड़ है।

**10.** कंपनी अधिनियम 2013 कॉर्पोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर लाभ में से कुछ राशि व्यय करने/ निर्धारित करने के लिए मानदंड पूरा करने वाली कंपनियों को अनिवार्य करता है। 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, सीएसआर प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के तहत उल्लिखित कंपनियों की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है।

**11.** भारतीय लेखा मानक 24 “संबंधित पार्टि प्रकटीकरण”के अनुसार प्रकटीकरण संबंधित पार्टि प्रकटीकरण पर भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, कंपनी के संबंधित पार्टियों के नाम इस प्रकार हैं:

**ए.** संबंधित पार्टियों की सूची जहां नियंत्रण मौजूद है और उनके संबंध:

i. प्रमुख प्रबंधन कर्मी	
1.	<b>श्रीमती छवि भारद्वाज</b> प्रबंध संचालक (31.08.2021 से)
2.	<b>श्री अजय शर्मा</b> संचालक परियोजना (23.03.2022 से)
3.	<b>श्रीमती नीति कोठारी</b> संचालक वित्त और सीएफओ (20.05.2022 से)
4.	<b>श्री संदीप जैन</b> कंपनी सचिव

ii. गैर -कार्यकारी संचालक	
1.	<b>श्री सुरेंद्रकुमार बागड़े</b> अपर सचिव (एच), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार।
2.	<b>श्रीमती डी. थारा</b> सह सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार।
3.	<b>श्री बी.के. गुप्ता,</b> कार्यकारी संचालक/परियोजना निगरानी (एसएजी/आईआरएसई), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय।
4.	<b>श्री संजय मिश्रा</b> संचालक (परियोजना), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5.	<b>श्री ओ.एच. पांडे</b> संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	<b>श्री मनोज गोविल</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
7.	<b>श्री नीरज मंडलोई</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग
8.	<b>श्री मनीष रस्तोगी</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग
9.	<b>श्री मनीष सिंह</b> प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग

**बी. संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण (प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति):**

स.क्र.	संबंधित पार्टी	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किया गया सकल वेतन	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान किया गया सकल वेतन
1.	<b>श्रीमती छवि भारद्वाज</b> प्रबंध संचालक (31.08.2021 से)	11,33,055.00	-
2.	<b>श्री अजय शर्मा</b> संचालक परियोजना (23.03.2022से)	1,07,847.00	-

स.क्र.	संबंधित पार्टी	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किया गया सकल वेतन	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान किया गया सकल वेतन
3.	श्री संदीप जैन (कंपनी सचिव) (1.4.21 से 31.3.22 तक) (वेतन और मजदूरी को डेबिट)	14,94,464.00	10,56,000.00

कंपनी ने उपरोक्त तालिका बी में उल्लिखित प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को छोड़कर किसी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

**12. भारतीय लेखा मानक-12 (आयकर) के संबंध में प्रकटीकरण**

31.03.2022 कंपनी के पास 19,53,732.00 रुपये की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति है।

**13. ब्याज आय के संबंध में जानकारी**

वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज आय रु. 4,87,37,778.00 है।

**14. लेखापरीक्षा शुल्क के संबंध में जानकारी**

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 20-21
1.	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	88,500.00	88,500.00
2.	आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	88,500.00	-
3.	टैक्स ऑडिट शुल्क	11,800.00	-

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

संचालक मंडल के लिए और उसकी ओर से

संजीव ओम प्रकाश गर्ग एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 008773ब

हस्ताक्षर कृत/-

(संदीप जैन)

कंपनी सचिव

एफसीएस: 7847

हस्ताक्षर कृत/-

(नीति कोठारी)

संचालक(वित्त)

डीआईएन: 09608369

हस्ताक्षर कृत/-

सी.ए.

भागीदार

सदस्यता क्र.-077944

एफ.आर.,न.-08773सी

यूडीआईएन: 22077944MWBAY4761

स्थान: भोपाल

दिनांक: 13 जुलाई, 2022

हस्ताक्षर कृत/-

(मनीष सिंह)

संचालक

डीआईएन: 02947579

हस्ताक्षर कृत/-

(छवि भारद्वाज)

प्रबंध संचालक

डीआईएन: 06499360



Sr. No.	Index	Page No.
1	Corporate Information	99-100
2	Board's Report and Extract of Annual Return (MGT-9)	101-131
3	Report of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG)	132-134
4	Independent Auditor's Report	135-150
5	Balance Sheet for the Year ended 31 <sup>st</sup> March, 2022	151-152
6	Statement of Profit and loss for the Year ended 31 <sup>st</sup> March, 2022	153-154
7	Cash Flow Statement for the Year ended 31 <sup>st</sup> March, 2022	155-157
8	Notes forming part of the Financial Statements for the year ended on 31 <sup>st</sup> March, 2022	158-195



## Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

(A Joint Venture of Government Of India and Government of Madhya Pradesh)

### CORPORATE INFORMATION

Board of Directors: (As on AGM Date)

Sr. No.	Name	Designation
1.	<b>Shri Surendrakumar Bagde</b> Additional Secretary (Housing), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	Chairman & Nominee Director (Govt. of India)
2.	<b>Ms. D. Thara</b> Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	Nominee Director (Govt. of India)
3.	<b>Shri B.K. Gupta</b> Executive Director/Project Monitoring (SAG/IRSE), Railway Board, Ministry of Railways.	Nominee Director (Govt. of India)
4.	<b>Shri Sanjay Mishra</b> Director (Project), Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. (UPMRCL).	Nominee Director (Govt. of India)
5.	<b>Shri O.H. Pande</b> Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC).	Nominee Director (Govt. of India)
6.	<b>Shri Neeraj Mandloi</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Public Works Department.	Nominee Director (Govt. of M.P.)
7.	<b>Shri Manish Rastogi</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Revenue Department.	Nominee Director (Govt. of M.P.)
8.	<b>Shri Manish Singh</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	Nominee Director (Govt. of M.P.)



Sr. No.	Name	Designation
9.	<b>Shri D.B. Patil</b> Secretary, Govt. of M.P. Finance Department.	Nominee Director (Govt. of M.P.)
10.	<b>Shri Nikunj Kumar Shrivastava</b> Managing Director, MPMRCL.	Managing Director (Govt. of M.P.)
11.	<b>Shri Ajay Sharma</b> Director Project, MPMRCL.	Whole-time Director
12.	<b>Ms. Niti Kothari</b> Director Finance, MPMRCL.	Whole-time Director

**Statutory Auditors:****M/s Sanjeev Omprakash Garg & Co.,**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 008773C

**Internal Auditors:****M/s. Kamal Mishra & Company,**

Chartered Accountants

**Secretarial Auditors:****M/s Neelesh Gupta & Co.,**

Practicing Company Secretaries

**Company Secretary:****Shri Sandeep Jain****Banker: 1. Union Bank of India****2. Bank of Baroda****3. State Bank of India****Registered office:**

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,

KalibadiRaod, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal-462002

**CIN: U75100MP2015SGC034434.**

## DIRECTORS REPORT

### Dear Shareholders,

The Company's Directors have pleasure in presenting the 7th Annual Report on the affairs of the Company together with the Audited Accounts, Auditors' Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon for the financial year ended 31st March, 2022.

### 1. Financial Statement Summary:

The summary of Company's financial performance for the financial year ended 31st March, 2022 is presented below: ₹ in Crores

Particulars	Year Ended 31 <sup>st</sup> March, 2022	Year Ended 31 <sup>st</sup> March, 2021
Total Income	18.91	9.65
Employee Benefits Expense	3.45	2.01
Other Expenses	6.93	7.33
<b>Earnings Before Interest, Depreciation &amp; Tax (EBIDT)</b>	<b>8.53</b>	<b>0.31</b>
Depreciation	0.57	0.67
Exceptional Items	1.13	1.98
Tax Expense	(0.06)	(0.09)
<b>Profit/(Loss) After Tax</b>	<b>6.89</b>	<b>(2.25)</b>

- 1.1 During the year under review, the total revenue generated was ₹ 18.91 crore inclusive of other income mainly on account of interest received from banks and sale of tender income as against ₹ 9.65 crore in the previous year. The total expenditure incurred in the same period was ₹ 10.95 crore giving a profit before Tax Expense and Exceptional item amounting to ₹ 7.96 crore. After adjustment of Exceptional items and Tax expenses, a profit amounting to ₹ 6.89 crore was earned during the year.
- 1.2 During the year, equity share capital amounting to ₹ 855.82 crore was allotted to both the stakeholders viz. Government of India (GoI) and Government of Madhya Pradesh (GoMP) in equal proportion. As on 31st March, 2022 the paid-up equity share capital of the Company was ₹ 1208.00 crores.
- 1.3 The company has received Pass Through Assistance (PTA) from GoI against funding from European Investment Bank is of ₹ 307.28 Crores. However, there is no disbursement

made by EIB to GoI, during the year ending 31.03.2022.

- 1.4 Subordinate Debts of ₹ 42.67 crore from GoI towards Central taxes and ₹ 262.00 crore from GoMP towards Central taxes, State Taxes, Land, R&R and IDC were received during the year. Total contribution against Subordinate Debts stood at ₹ 373.81 crore as on 31st March, 2022.
- 1.5 During the year, the Company received a grant of ₹ 1.44 crore from GoMP w.r.t survey and studies to be conducted under MRTS and after reducing the revenue expenditure incurred during the year w.r.t the grants the total contribution against grants stood at ₹ 19.61 crore as on 31st March, 2022.

## 2. The Status of funding for Bhopal and Indore Metro Rail Projects is as follows:

- European Investment Bank (EIB) – Draft proposal of finance contract for second trench for Bhopal Metro Rail Project is under finalization.
- New Development Bank (NDB) – Draft loan agreement and project agreement for Indore Metro Rail Project is under finalization.
- Asian Development Bank (ADB) – Preliminary Project Report (PPR) resubmitted for renewal of approval of Department of Economic Affairs (DEA), GoI.

## 3. State of the Company's Affairs:

### 3.1 Status of Civil Works for Bhopal & Indore Metro Rail Projects:

Bhopal Metro Rail Project consist of 2 lines i.e. Purple-line, and Red-line, with total length of 27.87 km and 30 Stations. Purple-line from Karond Circle to AIIMS has 12.58 km of elevated, 2.41 km of underground sections and 16 stations (14 elevated and 2 underground). Red line from Bhadbhada Square to Ratnagiri Tirahas 12.88 km of elevated section and 14 Stations. One station 'Pul-Bogda' is interchange station for both lines. One rolling stock depot has been planned at Subhash Nagar which will cater to both the lines.

On technical considerations, proposal for change in Elevated section length of Purple line from 12.58 km to 13.35 km and on Red line from 12.88 km to 14.21 km and change in Underground length from 2.41 km to 3.39 km under due process of approval.

Tender for construction of viaduct in the priority stretch of 6.226 km from Subhash Nagar to AIIMS of Purple line was awarded in October 2018. Work of viaduct in this priority stretch (Contract BH-01) is in progress and is scheduled to be completed by December 2022. Further in the F.Y. 2021-22 for Bhopal Metro Rail Project, tender for construction of 8 stations in priority stretch of purple line (Contract BH-02) was awarded in November 2021 and is scheduled to be completed by March 2024. The construction of Rolling Stock Depot for Bhopal Metro Rail Project at Subhash Nagar



was awarded in March 2022 which is scheduled to be completed by March 2025.

Indore Metro Rail Project comprises of Ring Line (Yellow Line) from Bengali Square-Vijay Nagar-Bhawarsala-Airport-Palasia- Bengali Square with total length of 31.55 km. and 30 stations.

On technical considerations, proposal for change in Elevated section length of Yellow line from 21.24 km to 24.02 km, Underground section length from 3.22 km to 7.44 km and At grade length from 7.09 km to zero km, and change in number of elevated stations from 20 to 23, underground stations from 4 to 6 and at grade stations from 6 to zero is also under due process of approval.

The contract for the work of construction of 5.29 km long viaduct (Contract IN-01) was awarded in December 2018 and is scheduled to be completed by August 2023. Further in the F.Y. 2021-2022 contract for 10.93 km long viaduct along with 9 nos. of Metro Rail Stations (Contract IN-03) and contract for construction of 7 nos. Metro Stations including 1.05 km long viaduct of station portion (Contract IN-02) have been awarded and are scheduled to be completed by January 2024 and February 2024 respectively. The construction program has been so planned to complete 5.98 km long viaduct along with 5 nos of metro stations so as to commission 5.98 km long super priority corridor by September 2023 and balance work of priority corridor 11.29 km long viaduct along with 12 stations shall be completed by February 2024. The construction of Rolling Stock Depot for Indore Metro Rail Project at Gandhi Nagar was awarded in February 2022 and important component of the buildings, stabling shades are proposed to be completed before September 2023 so as to enable commissioning of super priority corridor.

The tenders for supply of 880 rail, 1080 rail and turn out and for installation of track have been invited and process for finalization of the agency is in progress.

### **3.2 Status of System Works for Bhopal & Indore Metro Rail Projects:**

Tenders for both Bhopal Metro Rail Project and Indore Metro Rail Project, have been invited for major system works like, Supply of Rolling Stock, Supply and Installation of Signaling, Train Control & Telecommunications, Supply and Installation of Traction & Power Supply including 3rd Rail and Receiving Sub-Station (RSS), Supply & Installation of Vertical and Horizontal Transport System (VHTS) and Supply & Installation of Automatic Fare Collection System (AFC) on PPP basis including National Common Mobility Card (NCMC).

Preparation and review of tender documents along with finalization of specifications for the package BH&IN02 – RS and S&T, this combined tender including supply and installation of Rolling Stock, Signaling, Train Control and Telecommunication along with 15 Years of maintenance of RS and 7 Years of maintenance of S&T was completed. This tender is one of its kind in Indian Metros.

#### **4. Social Works of Bhopal and Indore Metro Rail Projects:**

Resettlement Implementation Support Agency (RISA) has been appointed to look after the implementation of R&R activities. During the FY 2021-22, Project Affected Families (PAFs) were identified in the parts of Metro Alignment. Most of the PAFs have been shifted and compensated accordingly.

#### **5. State Level Committee (SLC) for Depot/RSS Land and PPR for funding:**

Various SLC meetings under the Chairmanship of Chief Secretary were organized for obtaining approval for Depot/RSS land and Preliminary Project Report (PPR) for funding of Indore Metro Rail Project by ADB.

#### **6. Future Extension and Projects:**

The company is involved in preparation of Comprehensive Mobility Plan including Alternative Analysis Reports for Five (5) cities of Madhya Pradesh (Indore, Jabalpur, Gwalior, Ujjain and Bhopal). The company is also involved in Pre-feasibility study of Indore to Ujjain RRTS.

#### **7. Make in India Initiative:**

All the equity funded tender packages have make in India preference clauses included. Further, the Rolling Stock tender is as per the MoHUA guidelines under Make in India initiative.

#### **8. Challenges faced due to Covid-19 Pandemic:**

The bid due dates were extended for almost all tender packages based on the requests of prospective bidders. The construction sites have also faced scarcity of manpower in the wake of pandemic.

#### **9. Dividend:**

Company is yet to start its commercial operations and therefore, no dividend is being recommended.

#### **10. Reserves:**

During the period under review no amount has been transferred to the Reserves.

#### **11. Deposits:**

The Company has not invited/ accepted any deposits from the public under Section 2 (31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013 during the year ended on 31st March, 2022. There were no unclaimed or unpaid deposits as on 31st March, 2022.

#### **12. Capital Structure:**

As on 31st March, 2022, the Authorised share Capital of the Company is 5000,00,00,000/- (Rupees Five Thousand Crores Only) Divided in to 500,00,00,000 (Five Hundred Crore) Equity Share of ₹ 10/- each. The paid-up share capital of the Company is ₹ 12,08,00,00,000/- (Rupees Twelve Hundred Eight Crores only) divided into 1,20,80,00,000/- (One Twenty Crore



and Eighty Lacs) equity shares of ₹ 10/- each. The Company has no other type of securities except equity shares forming part of paid-up capital.

### **13. Change in the Nature of Business, if any:**

There was no change in the nature of business of the Company during the financial year ended on 31st March, 2022.

### **14. Details of Significant and Material orders passed by the regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future:**

During the period, no order(s) has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

### **15. Material Changes and Commitments if any, affecting the financial position of the Company occurred between the end of the financial year ended 31st March, 2022 and the date of the Report:**

There are no material changes occurred in between the financial year ended on 31st March, 2022 and date of this report which affects the financial position of the Company.

### **16. Names of the Companies which have become or ceased or ceased to be its subsidiaries/ Joint venture/ Associate Companies during the year:**

The Company does not have any Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associate Companies.

### **17. Annual Return under Section 92(3):**

In accordance with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return referred to in Section 92(3) of the Companies Act, 2013 in Form No. MGT - 9 is attached at Annexure - "A".

### **18. Statutory Auditors and Auditors Report:**

The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi vide their letter No./CA. V/COY/MADHYA PRADESH, MPMRCL (1)/1964 dated 15/03/2022 appointed M/s Sanjeev Omprakash Garg & Co., Chartered Accountants, (CR-2650), Bhopal-462 016 as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2021-22.

The report of the Statutory Auditors is self-explanatory and does not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer. During the year, the Auditors of the Company have not reported any fraud under section 143(12) of the Companies Act, 2013.

### **19. Comments of the Comptroller and Auditor General of India and replies of Management thereof is attached at Annexure - "B".**



## 20. Internal Auditors:

M/s. Kamal Mishra & Company, Chartered Accountants were appointed as the Internal Auditors of the Company for the F.Y. 2021-22 to conduct the Internal Audit and their report is reviewed by the Audit Committee.

## 21. Secretarial Auditors:

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 read with The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company has appointed M/s. Neelesh Gupta & Co., Practicing Company Secretaries, (CP No.6846) to undertake the Secretarial Audit of the Company the financial year 2021-22. The Secretarial Audit Report issued by the Secretarial Auditor is placed at Annexure – “C” of this report. The Secretarial Auditor has made the following observations in its report: -

1. The Board of Directors met three (3) times during the year. The dates on which the meetings were held are: 16th August, 2021, 29th November, 2021 and 28th March, 2022. However, the Company was required to hold at least Four Board meetings during the Calendar year.
2. During the review period audited financial statement for the year ended 31st March, 2021 was not adopted in the Annual General Meeting held on 29th November, 2021 due to non-availability of comments of CAG if any and same was adopted in the Adjourned Annual General Meeting held on 22nd April, 2022.

**Management Explanation to the observations of the Secretarial Auditor are as under: -**

1. Will ensure compliance in future
2. The observation of the Secretarial Auditor is self-explanatory and does not require any explanation.

## 22. Cost Auditors:

As per the provisions of the Companies Act, 2013, the Company is neither required to maintain cost records nor to appoint Cost Auditors.

## 23. Public Relations and Social Media:

The company has presence on three major social media platforms i.e. Twitter, Facebook and Instagram. These platforms are used to provide information of project related activities as well as various company initiatives.

## 24. Conservation of Energy, Technology absorption and Foreign Exchange Earning and outgo:

The particulars as required under of the Companies Act, 2013: -

**(A) Conservation of energy:**

Conservation of energy is given foremost priority while planning of systems in all projects under being implementation by MPMRCL. MPMRCL has taken a series of measures to cut down its energy consumption and rationalize its energy procurement process by implementing several energy conservation measures, procurement of power under Open Access and harnessing Renewable Energy. Some key initiatives are, Solar panels on Depot and Station buildings, planning for IGBC platinum rating certification of Stations and Depots, provision of regenerative technology for brakes of rolling stock, etc.

**(B) Technology Absorption:**

While procuring any machineries or other technological products in MPMRCL, priority is given to use of indigenous products over imported products. The Company follows the guidelines of 'Make in India' issued from time to time by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.

**(C) Foreign exchange earnings and Outgo: Nil****25. Board of Directors:**

(i) As on 31<sup>st</sup> March 2022, the Board comprised 11 directors of which 1 is Functional Director, 5 Directors including Chairman were nominated by the GoI and 5 Director including Managing Director were nominated by GoMP. The Nominee Directors and whole-time Functional Director are senior officers, who have wide range of experience in the functioning of Government and possess top order administrative skills, financial and technical expertise.

**(ii) Particular of Change in Directors and Key Managerial Personnel during the year**

Sr. No.	Name	DIN	Date of Appointment/ Cessation	Nature of change
1	<b>Shri Kamran Rizvi</b> Additional Secretary (D & UT), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	01653503	01/07/2021	Cessation
2	<b>Shri Surendrakumar Bagde</b> Additional Secretary (Housing), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	02305641	01/07/2021	Appointment

Sr. No.	Name	DIN	Date of Appointment/ Cessation	Nature of change
3	<b>Shri Nitesh Vyas</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	02320055	19/05/2021	Cessation
4	<b>Shri Nikunj Kumar Srivastava</b> Commissioner, Urban Administration and Development, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal	02008508	10/06/2021	Appointment
5	<b>Shri Nikunj Kumar Srivastava</b> Commissioner, Urban Administration and Development, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal	02008508	31/08/2021	Cessation
6	<b>Ms. Chhavi Bhardwaj</b> Addl. Secretary, Govt. of M.P., Chief Minister Office.	06499360	31/08/2021	Appointment as Managing Director
7	<b>Shri Manish Singh</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	02947579	25/01/2021	Re-designated as Director
8	<b>Shri Ajay Sharma</b> Director Project, MPMRCL.	08644408	23/03/2022	Appointment of Whole-time Director

## (iii) Details of directors and Key managerial personnel as on the closure of financial year:

Sr. No.	Name	DIN	Designation
1.	<b>Shri Surendrakumar Bagde</b> Additional Secretary (Housing), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	02305641	Chairman & Director
2.	<b>Ms. D. Thara</b> Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	01911714	Director



Sr. No.	Name	DIN	Designation
3.	<b>Shri B.K. Gupta,</b> Executive Director/Project Monitoring (SAG/IRSE), Railway Board, Ministry of Railways.	08121844	Director
4.	<b>Shri Sanjay Mishra</b> Director (Project), Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. (UPMRCL)	08102041	Director
5.	<b>Shri O.H. Pande</b> Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC).	08397090	Director
6.	<b>Shri Manoj Govil</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Finance Department.	07651991	Director
7.	<b>Shri Neeraj Mandloi</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Public Works Department	02037213	Director
8.	<b>Shri Manish Rastogi</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Revenue Department.	02579544	Director
9.	<b>Shri Manish Singh</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	02947579	Director
10.	<b>Ms. Chhavi Bhardwaj</b> Addl. Secretary, Govt. of M.P., Chief Minister Office.	06499360	Managing Director
11.	<b>Shri Ajay Sharma</b> Director Project, MPMRCL.	08644408	Whole-time Director
12.	<b>Smt. Sushma Dubey</b> Financial Advisor, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	AERPD8773J	Director (Finance) and CFO
13.	<b>Shri Sandeep Jain</b> MPMRCL	M. No. F7847	Company Secretary

**(iv) Declaration by Independent Director(s) and re- appointment, if any:**

The Company is a Joint-Venture Company, and it is exempted under the Companies Act, 2013 from appointment of Independent Directors on the Board of the Company.

**(v) Number of meetings of the Board:**

The Board of Directors met Three (3) times during the financial year from 1<sup>st</sup> April, 2021 to 31<sup>st</sup> March, 2022. The dates on which the meetings were held are: 16<sup>th</sup> August, 2021, 29<sup>th</sup> November, 2021 and 28<sup>th</sup> March, 2022, during the period under review.

The Annual Financial Statements for F.Y. 2021-22 was approved in Board Meeting held on 6<sup>th</sup> July, 2022.

**26. Committees of the Board of Directors**

Pursuant to the requirement of the Companies Act, 2013, the Board of Directors has constituted the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. Details of the Committees are as follows:

Committee	Members as on 31.03.2022	Members as on date of Report	Designation	Number of Meeting held
<b>Audit Committee</b>	<b>Shri Manoj Govil</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Finance Department	Secretary, Govt. of M.P., Finance Department	Chairman	1 (one) meeting on 26.11.2021 Member
	<b>Shri O.H. Pande</b> Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), Nominee of Gol	<b>Shri O.H. Pande</b> Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), Nominee of Gol	Member	
	<b>Ms. Chhavi Bhardwaj</b> Managing Director, MPMRCL	Director (Project), MPMRCL		
<b>Nomination and Remuneration Committee</b>	<b>Shri Neeraj Mandloi,</b> Principal Secretary, Govt. of M.P., Public Works Department	Principal Secretary, Govt. of M.P., Urban Development and Housing Department	Chairman	Nil
	<b>Shri O.H. Pande,</b> Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), Nominee of Gol	Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), Nominee of Gol	Member	
	<b>Ms. Chhavi Bhardwaj,</b> Managing Director, MPMRCL	Managing Director, MPMRCL	Member	
	<b>Shri Jaideep,</b> OSD (UT), MoHUA	-	Permanent Invitee	

## 27. Particulars of Employees:

The provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, related to Managerial Remuneration, are not applicable to the Company. Therefore, no disclosure is required to be made.

## 28. Particulars of loans, guarantees or investments under Section 186:

During the year under Report, the Company has not,

- Given any loan to any person or other body corporate:
- Given any guarantee or provided security in connection with any loan to any other body corporate or person; and
- Acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

## 29. Related Party Transactions:

During the year under review, the Company has not entered into any contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act 2013.

## 30. Corporate Social Responsibility (CSR):

In reference to the provisions under Section 135 of the Companies Act 2013, it may be stated that the Company is not earning any profit and therefore it is not obliged to spend on CSR. Accordingly, there is no necessity to constitute a Board Sub-Committee or frame a policy on CSR.

## 31. Risk Management:

The Projects of the Company are under construction stage and the General Consultant has been appointed for Bhopal and Indore Metro Rail Projects. The General Consultant perceives and evaluates risk on a continuous basis and submits its observation regular, based on which steps for mitigation of risks are taken by company.

## 32. Human Resources Management:

As on 31<sup>st</sup> March, 2022, the employees strength of the Company was 99 (40 employees on roll and 59 employees- outsourced). Further, the Recruitment for various positions is at different stages. The Human Resources Department at MPMRCL aims to create a stable work environment. Accordingly, various HR Policies & Rules were formulated and implemented during the year.

## 33. Azadi Ka Amrut Mahotsav:

During the year, the Company celebrated "Azadi ka Amrut Mahotsav" on the occasion of 75 years of our country's independence and the glorious history of its people, culture,



diversity, and achievements. Various activities were conducted under in the School of Excellence and Aayaam Inclusion in Bhopal.

### **34. Company's Website**

The Company's Website is [www.mppmetrorail.com](http://www.mppmetrorail.com) and the same has been revamped recently. All major information pertaining to the Company, including project, tenders, contracts, jobs, recruitment process and results, etc. are being posted on the website from time to time.

### **35. Right to information:**

The Company has implemented the provisions of the Right to Information Act, 2005. Total 20 RTI applications and appeals were processed during the year.

### **36. Sexual Harassment at Workplace:**

During the year no case of Sexual Harassment of workman/ employee at work place was reported.

### **37. Proceeding under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:**

During the year, no application was made and no proceeding is pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 at the end of the financial year.

### **38. Directors' Responsibility Statement:**

As per the Directors' Responsibility Statement referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013, it is stated that:

- a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

### 39. Acknowledgements:

- The Board place on record their gratitude for the invaluable guidance, continued co-operation and support extended by various Ministries, Departments and agencies of Govt. of India, Govt. of Madhya Pradesh.
- The Board is also thankful to funding agencies for financial assistance for Bhopal and Indore Metro Rail Projects.
- The Board also acknowledges and extends sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors, Bankers of the Company, various national and international contractors, consultants, technical experts and suppliers for their continued support and co-operation.
- The Board wishes to place on record their deep sense of appreciation for the sincere efforts and hard works put in by all the employees of the Company and look forward to their services with zeal and dedication in the years ahead to enable the Company to scale greater heights.

By the order of the Board

For Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Ltd.

Place: Bhopal

Date: 22/09/2022

Sd/-

(Niti Kothari)

Director (Finance)

DIN:09608369

Sd/-

(Nikunj Kumar Srivastava)

Managing Director

DIN:02008508

## Annexure-‘A’

**Form No. MGT-9****EXTRACT OF ANNUAL RETURN****As on the financial year ended on 31.03.2022**

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

**I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:**

1	CIN	U75100MP2015SGC034434
2	Registration Date	09 <sup>th</sup> July, 2015
3	Name of the Company	Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited
4	Category/Sub-Category of Company	Metro Railway Transport Services
5	Address of the Registered office and contact details	2 <sup>nd</sup> Floor, Smart City Development Corporation Office Building, Kalibadi Road, BHEL, Sector A, Berkheda, Bhopal – 462022
6	Whether listed company	No
7	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

**II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY**

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated:

S. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the Company
1	Urban & Sub-Urban Metro Railway Transport Services	99641112	100

**III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES**

S.No.	Name of the Company	CIN	Holding/ subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	NIL	NIL	NIL	Nil	Nil



#### IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

##### i) Category-wise Shareholding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 01-April 2021)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31-March-2022)				% change in Share holding during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
<b>A. Promoter(s)</b>									
<b>(1) Indian</b>									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt./President of India		176090000	176090000	50%		604000000	604000000	50%	343%
c) State Govt. (s)		176090000	176090000	50%	-	604000000	604000000	50%	343%
d) Bodies Corp.									
e) Banks/FI									
f) Any Other									
<b>Sub-total (A)(1):-</b>	-	<b>352180000</b>	<b>352180000</b>	<b>100%</b>	-	<b>1208000000</b>	<b>1208000000</b>	<b>100%</b>	<b>343%</b>
<b>1) Foreign</b>									
a) NRIs -Individuals									
b) Other - Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks/FI									
e) Any Other									
<b>Sub-total(A)(2):-</b>									
<b>Total shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)</b>									
	-	<b>352180000</b>	<b>352180000</b>	<b>100%</b>	-	<b>1208000000</b>	<b>1208000000</b>	<b>100%</b>	<b>343%</b>

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 01-April 2021)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31-March-2022)				% change in Share holding during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
<b>B.</b>									
<b>Public Shareholding</b>									
<b>1. Institutions</b>									
a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
c) Central Govt									
d) State Govt (s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others									
<b>Sub-total (B)(1):-</b>									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	352180000	352180000	100	-	1208000000	1208000000	100	343%
<b>2. Non-Institutions</b>									
a) Bodies Corporates									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs.1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs.1 lakh									

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 01-April 2021)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31-March-2022)				% change in Share holding during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
c)Others									
<b>Sub-total(B)(2):-</b>									
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grand Total (A+B+C)</b>	-	352180000	352180000	100	-	1208000000	1208000000	100	343%

## ii) Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	
1	Shares held by President of India, Governor of Madhya Pradesh and 10 nominees of Govt and GoMP.	352180000	100%	-	1208000000	100%	-	343%
	<b>Total</b>	<b>352180000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>1208000000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>343%</b>



(iii) Change in Promoters' Shareholding please specify, if there is no change)

S. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
I.	Government of Madhya Pradesh				
	At the beginning of the year	<b>176090000</b>	50%	<b>176090000</b>	50%
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/ bonus/ sweat equity, etc.)	*427910000 (allotted on 28.03.2022)	-	604000000	50%
A	At the end of the year	604000000	50%	604000000	50%
II	President of India				
	At the beginning of the year	176090000	50%	176090000	50%
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc.)	*427910000 (allotted on 28.03.2022)	-	604000000	50%
B	At the end of the year	604000000	50%	604000000	50%
<b>Grand Total (A+B)</b>		<b>1208000000</b>	<b>100%</b>	<b>1208000000</b>	<b>100%</b>

\*During the year, the Company has increased the paid-up share capital from Rs. 352.18 Crore (35,21,80,000 Equity shares of Rs 10/- each) to Rs. 1208.00 Crore (120,80,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each) by way of allotment of 42,79,10,000 equity shares each to The President of India and The Governor of Madhya Pradesh.

## (iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): NIL

S. No.	For each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	NOT APPLICABLE			
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.) Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/ bonus/ sweat equity, etc.)				
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

## (v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:-

S. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	Shares held by President of India, Governor of Madhya Pradesh and 10 Nominees of Gov and GoMP.			
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc.)				
3	At the end of the year				

## (vi) INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment:

(Amount in Rs.)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
<b>Indebtedness at the beginning of the financial year</b> i)Principal Amount	NIL	NIL	NIL	NIL
ii)Interest due but not paid	NIL	NIL	NIL	NIL
iii)Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
<b>Total(i+ii+iii)</b>	NIL	NIL	NIL	NIL

<b>Change in Indebtedness during the financial year</b>				
(i) Addition	NIL	NIL	NIL	NIL
	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii) Reduction	NIL	NIL	NIL	NIL
<b>Net Change</b>	NIL	NIL	NIL	NIL
<b>Indebtedness at the end of the financial year</b>				
i) Principal Amount	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Interest due but not paid	NIL	NIL	NIL	NIL
iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
<b>Total (i+ii+iii)</b>	NIL	NIL	NIL	NIL



## VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

### A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

S. No.	Particulars of Remuneration	Shri Ajay Sharma Director (Project) w.e.f. 23.03.2022	Total Amount in Rupees
1.	Gross salary (a)Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b)Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c)Profits in lieu of salary under section17(3) Income- tax Act, 1961		
2.	Stock Option		107,847
3.	Sweat Equity		(23.03.2022 to 31.03.2022)
4.	Commission - as % of profit - others specify		
5.	Others, please specify		
	<b>Total(A)</b>		
	Ceiling as per the Act		

### B. Remuneration to other directors: Nil

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	Total Amount
	Independent Directors: - Fee for attending board committee meetings (i) Commission (ii) Others, please specify		
	Total (1)		
	Other Non-Executive Directors: - Fee for attending board committee meetings (i) Commission (ii) Others, please specify		
	Total(2)		
	Total(B)=(1+2)		
	Total Managerial Remuneration		

**C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD**

S. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross salary	00	14,94,464	00	00
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	00		00	00
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	00		00	00
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961				
2.	Stock Option	00	00	00	00
3.	Sweat Equity	00	00	00	00
4.	Commission - as % of profit -others, specify	00	00	00	00
5.	Others; please specify	00	00	00	00
	<b>Total</b>	<b>00</b>	<b>14,94,464</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

**VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:**

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding Fees imposed	Authority [RD/ NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give details)
<b>A. COMPANY</b>					
Penalty					
Punishment					
<b>B. DIRECTORS</b>					
Penalty					
Punishment					
<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>					
Penalty					
Punishment					

**Annexure-‘B’****COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED, BHOPAL FOR THE YEAR ENDED ON 31<sup>ST</sup> MARCH 2022**

The preparation of financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited, Bhopal for the year ended on 31st March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 13th July, 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31st March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which, in my view, are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report.

**Comment on Profitability****Statement of Profit and Loss****1) Expenses****Other expenses (Note-29) Rs 693.74 lakh**

The above does not include an amount of Rs 11.40 lakh (towards rent expenses Rs. 8.64 lakh and Rs 2.76 lakh towards electricity charges for the month of March 2022). Non creation of provision for rent and electricity charges has resulted in understatement of Other Expenses (Note-29), understatement of provision (Note-23) and understatement of profit by Rs 11.40 lakh.



## Reply of Management

The Leave and Licence Agreement between BSCDCL and MPMRCL was not executed and registered till end of FY 2021-22. The above was pending due to finalisation of certain terms and conditions between both the parties. Considering above, provision towards rent exp. For Rs. 95,13,790/- for FY 2021-22 was made only after approval for competent authority. This will be taken care in future.

## General

### 2) Non-compliance of provisions of the Companies Act, 2013

The Company held only three meetings of the Board of Directors during the year 2021-22 instead of the four meetings in non-compliance to Section 173(1) of the Companies Act, 2013.

## Reply of Management

COVID-19 pandemic may be considered as one of the factors contributing to not meeting the minimum number of meetings of its Board of Directors. However, MPMRCL is committed for complying with the requirement of holding minimum number of board meetings as prescribed under the Companies Act, 2013.

**FORM NO. MR-3****SECRETARIAL AUDIT REPORT****FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31STMARCH, 2022**

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9  
of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

**The Members,****MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED****2nd Floor, Smart City Development Cor. Ltd.office Building,****Kalibadi Road, BHEL, Sector A, Berkheda****Bhopal MP 462022 IN****CIN: U75100MP2015SGC034434**

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (hereinafter called 'the company'). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

The Company's Board of Directors are responsible for the matters of Compliances of the various provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable laws. Our responsibility to conduct the audit of the Compliances made during the year upon test check basis. We have adopted such methods and procedure and based on our verification of the Company books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March,2022 has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2022 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) The Metro Railways (Construction of works) Act,1978 and Rules thereof;
- (iii) The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 and Rules thereof; and

(iv) The Memorandum and Articles of Association of the Company

During the period under review and as per the explanations and representations made by the management and subject to clarifications given to us, the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Standards, Guidelines, etc., mentioned above.

**We further report that:**

Based on our verification of books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder:

- i. maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
- ii. Forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies;
- iii. Service of documents by the Company on its Members, Auditors and the Registrar of Companies;
- iv. Notice of Board and various Committee meetings of Directors;
- v. Meetings of Directors and all the Committees of Directors;
- vi. Notice and convening of 6th Annual General Meeting held on 22nd April, 2022;
- vii. Minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee and Members Meetings;
- viii. Approvals of the Board of Directors, Committee of Directors, Members and Government authorities, wherever required;
- ix. Constitution of the Board of Directors, Committees of Directors and appointment and reappointment of Directors;
- x. Payment of remuneration to Directors and Managing Director and Key Managerial Personnel;
- xi. Appointment and remuneration of Statutory Auditors, Secretarial Auditors and Internal Auditors;
- xii. Transfer of Company's shares, issue and allotment shares;
- xiii. Contracts, registered office and publication of name of the Company;
- xiv. Report of the Board of Directors;
- xv. Investment of Company's funds;
- xvi. Generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules there under;



- xvii. The Company has, in our opinion, proper Board-processes and compliance mechanism and has complied with the applicable statutory provisions, Act(s), rules, regulations, guidelines, applicable secretarial standards, etc., mentioned above and as stipulated under the Memorandum and Articles of Association the Company.

### **We further report that:**

- i. The Directors have complied with the requirements as to disclosure of interests and concerns in contracts and arrangements, shareholdings and directorships in other Companies and interest in other entities;
- ii. The Company has obtained all necessary approvals under various provisions of the Companies Act, 2013 wherever necessary;
- iii. There was no prosecution initiated against or show cause notice received by the Company during the year under review under the Companies Act, 2013 and rules, regulations and guidelines thereunder
- iv. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance the orders of Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) and Urban Development & Housing Department, Government of Madhya Pradesh in consonance of the Companies Act..

### **We further report that during the year:**

The status of the Company remains as a Government Company with 50:50 Joint Venture of Government of Madhya Pradesh and Government of India. Further, we are of the view that the Company is regular in complying with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (Being specific acts governing the Company).

- i. The compliance to that effect have been made, this fact has been examined from the perusal of various records maintained by the Company.
- ii. During the period under review, the Board of Directors of the Company was duly constituted and the appointment and cessation of Directors has been made in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and respective Government Orders. The Company has complied with all the mandatory requirements.

Para wise Report on specific observations / audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of the applicable laws are provided in the "Annexure A" attached with this report (forming integral part of report).

### **We further report that: -**

During the audit period of the company, there were no instances of:

- (i) Public issue of shares/debentures/sweet equity.

- (ii) Redemption/buy-back of securities.
- (iii) Merger/amalgamation/reconstruction etc.
- (iv) Foreign technical collaboration.

### We further report that:

During the Audit period of the company, there were instances of:

#### 1. Allotment of Shares

During the year company has increased the paid up share capital from Rs. 352.18 Crore (35,21,80,000 Equity share of Rs. 10/ each) to Rs. 1208 Crore (1,208,000,000 Equity share of Rs. 10/ each) by issue of Equity share on the basis of Right issue with pari-passu with existing equity shares of the company.

Company has made the allotment of 855,820,000 Equity share to the allottee, list of which is mentioned herewith:

S.No.	Name of Allottee	Number of Equity shares of Rs. 10/- each
1.	President of India	42,79,10,000
2.	Governor of Madhya Pradesh	42,79,10,000

#### 2. Holding of Adjourned Annual General Meeting for the financial year ended 31st March,2018

During the year company has hold Adjourned Annual General Meeting for the financial year ended 31st March, 2018 on 29th Day of November, 2021 and members adopted the Audited financial statements together with the Director Report for the year ended 31st March, 2018.

#### 3. Holding of Adjourned Annual General Meeting for the financial year ended 31st March,2019

During the year company has hold Adjourned Annual General Meeting for the financial year ended 31st March, 2019 on 29th Day of November, 2021 and members adopted the Audited financial statements together with the Director Report for the year ended 31st March, 2019.

#### 4. Holding of Adjourned Annual General Meeting for the financial year ended 31st March,2020

During the year company has hold Adjourned Annual General Meeting for the financial year ended 31st March, 2020 on 28th Day of March, 2022 and members adopted the Audited financial statements together with the Director Report for the year ended 31st March, 2020.

**5. Holding of Annual General Meeting and Adjourned Annual General Meeting for the financial year ended 31st March,2021**

During the year company has hold Annual General Meeting for the financial year ended 31st March, 2021 on 29th Day of November, 2021 and Annual General Meeting was adjourned sine Die and Adjourned Annual General Meeting was held on 22nd April, 2022 and members adopted the Audited financial statements together with the Director Report for the year ended 31st March, 2021.

Date: 16/08/2022

**UDIN: F006381D000797028**

**For Neelesh Gupta & Co.,**  
Company Secretaries

(Sd/-)

**CS. Neelesh Gupta**  
Proprietor  
**C.P. No.6846**



**Annexure A**

1. The Board of Directors met three (3) times during the year. The dates on which the meetings were held are: – 16th August, 2021, 29th November, 2021 and 28th March, 2022. However, Company was require to hold at least Four Board meetings during the Calendar year.
2. During the review period audited financial statement for the year ended 31stMarch, 2021 was not adopted in the Annual General Meeting held on 29th November, 2021 due to non-availability of comments of CAG if any and same was adopted in the Adjourned Annual General Meeting held on 22nd April, 2022

To,

The Members,  
MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED  
2nd Floor, Smart City Development Cor. Ltd.office Building,  
Kalibadi Road, BHEL, Sector A, Berkheda  
Bhopal MP 462022 IN

Our secretarial Audit Report for the Financial year ended 31st March, 2022 of even date is to be read along with this letter.

### Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the company to maintain Secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

### Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the company with respect to secretarial compliances.
3. We believe that audit evidence and information obtained from the company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

### Disclaimer

5. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
6. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

Date: 16/08/2022

UDIN: F006381D000797028

**For Neelesh Gupta & Co.,**  
Company Secretaries

(Sd/-)  
**CS. Neelesh Gupta**  
Proprietor  
**C.P. No.6846**



कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय ) म. प्र. 53,  
अरेरा हिल्स,होशंगाबाद रोड, भोपाल दूरभाष 0755- 2553677-78  
Office of the Accountant General (Audit-II) MP 53,  
Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal Tele- 0755- 2553677-78

क्र. /ए.एम.जी-2/ओ.ए.डी-1 /लेखा प्रमाणन/जा. 298

दिनांक:- 7/9/22

प्रति

प्रबंध निदेशक,  
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड,  
पालिका भवन, शिवाजी नगर  
भोपाल,  
मध्य प्रदेश, 452 003

विषय:- मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

विषयांतर्गत, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है। जिसे आप संचालकों के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित करें। वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद उसकी 05 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं इस पत्र की पावती भिजवाएं।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी ॥



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022**

The preparation of financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited, Bhopal for the year ended 31 March 2022 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor's appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 13 July 2022.

I, on behalf of Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditor and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditor and Company personnel and selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matter under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which, in my view, are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:

**Comment on Profitability  
Statement of Profit and Loss**

**1) Expenses**

**Other expenses (Note-29) Rs 693.74 lakh**

The above does not include an amount of Rs 11.40 lakh (towards rent expenses Rs. 8.64 lakh and Rs. 2.76 lakh towards electricity charges for the month of March 2022). Non creation of provision for rent and electricity charges has resulted in understatement of Other Expenses (Note-29), understatement of provision (Note-23) and understatement of profit by Rs 11.40 lakh.

**General****2) Non-compliance of provisions of the Companies Act, 2013.**

The Company held only three meeting of the Board of Directors during the year 2021-22 instead of the four meetings in non-compliance to Section 173(1) of the Companies Act, 2013.

**For and on the behalf of the  
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF  
INDIA**



**(Priya Parikh)  
Accountant General,  
Audit-II  
Madhya Pradesh, Bhopal**

**Place: Bhopal**

**Date: 06.09.2022**

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

### To THE MEMBERS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

#### Report on the Audit of the financial statements

We have audited the accompanying financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (the 'Company'), which comprises of the Balance Sheet as at 31st March 2022, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

#### Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the 'Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including Indian Accounting Standards ('Ind AS') specified under Section 133 of the Act, of the state of affairs (financial position) of the Company as at 31 March 2022, and its Profit (financial performance including other comprehensive income), its cash flow and the changes in equity for the year ended on that date.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Information other than the Financial Statement and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises of the information included in the Annual Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. Our opinion on the



financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

### **Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the financial statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the state of affairs (financial position), profit (financial performance including other comprehensive income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on

the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- a. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3) (i) of the Act, we are also responsible for explaining our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- d. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

### Report on other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section 197(16) of the Act, we report that the Company has paid remuneration of Rs. 12,40,902.00 (Previous year Nil) to its directors during the year in accordance with the provisions of and limits laid down under Section 197 read with Schedule V to the Act.
2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Government of India in terms of Section 143 (11) of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
3. The Comptroller and Auditor General of India has issued directions indicating the areas to be examined in terms of sub-section (5) of the section 143 of the Companies Act, 2013, the compliance of which is set out in "Annexure-B".
4. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit, we report, to the extent applicable, that :
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
  - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
  - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account;
  - d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with Ind AS specified under Section 133 of the Act;
  - e) On the basis of the written representations received from the directors and taken



- on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2022 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act;
- f) With respect to the adequacy of the Internal Financial Controls with reference to Standalone Financial Statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure-C";
  - g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and subject to our comments/observations separately reported in "Annexure - D":
    - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in the financial statements;
    - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or Ind AS, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts;
    - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year ended 31 March 2022.
5. Pursuant to Gazette Notification No. 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of section 164(2) of the Act are not applicable to the company, being a Government Company.

**SANJEEV OMPRAKASH GARG & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 008773C

**Sd/-****CA SANJEEV GARG**

Partner

**Membership No.: 077944**

UDIN:22077944AMWBAY4761

**Place: Bhopal****Date: July 13, 2022**

## ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section our Report of even date to the Members of MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED on the Financial Statements for the year ended 31st March 2022

Report on the Company (Auditor's Report) Order, 2020 under Clause (i) of Sub-section 11 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

Based on the audit procedures performed for the purpose of reporting a true and fair view on the financial statements of the Company and taking into consideration the information and explanations given to us and the books of account and other records examined by us in the normal course of audit, and to the best of our knowledge and belief, we report that:

- i.
  - (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details, exact situation and identification of Property, Plant & Equipments subject to our comments in Annexure D.
  - (b) As per the information and explanation given to us, the Company has a regular program of physical verification of its property, plant and equipment under which property, plant and equipment are verified annually, which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. In accordance with this program, property, plant and equipment were verified during the year and no material discrepancies were noticed on such verification.
  - (c) As per the information and explanation given to us, there are no immovable properties held in the name of the Company.
- ii. The Company is in the business of developing Metro Rail Projects and does not have any physical inventories. Accordingly, reporting requirement under clause 3 (ii) of the Order is not applicable to the Company.
- iii. According to the information and explanations given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, reporting requirements under clause 3 (iii) of the Order is not applicable to the Company.
- iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Act in respect of making investments, wherever applicable. The Company has not entered into any transactions of granting loans, and providing guarantees and securities, accordingly, reporting requirements under clause 3 (iv) of the Order is not applicable to the Company.



- v. According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits within the meaning of Sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (as amended). Accordingly, the reporting requirements under the provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.
- vi. The maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the business activities carried out by the Company. Thus reporting requirements under clause 3(vi) of the order is not applicable to the Company.
- vii. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:
- (a) The Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Income Tax, Sales Tax, Goods and Service Tax and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.

Further, there were no undisputed amounts payable in respect of Income Tax, Sales Tax, Goods and Service Tax, and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2022 for a period of more than six months from the date they became payable except as per following details

Particulars	Amount
CGIS-A to Parent Organisation	₹8160.00
DRM Fund Parent Organisation	₹240.00
EGIS-Parent Organisation	₹ 120.00
Employers Pension Contribution Payable-Depu.	₹1,10,772.00
EPF to Parent Organisation	₹9,01,135.00
GSLI Employer Contribution Payable-Depu	₹3033.00
HRD-Parent Organisation	₹1800.00
Narmada CBL Parent Department	₹4800.00
Vehicle Rent to Parent Organisation	₹ 1,000.00
VPF to Parent Organisation	₹ 48,814.00
<b>Total</b>	<b>₹10,79,874.00</b>

In respect to above outstanding undisputed statutory dues, it is explained by the management that these amount shall be remitted as per parent organization/department's instruction from where the respective employee was deputed to the company.

In addition to above, the unreconciled opening balances are being carried forward as it is from previous years.



- (a) According to the information and explanations given to us, there are no statutory dues referred to in subclause (a) above that have not been deposited with the appropriate authorities on account of any dispute.
- i. According to the information and explanations given to us, no transactions were surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) which have not been recorded in the books of accounts.
- ix. (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of loans or borrowings to Government. The Company does not have any debenture holders and loans from financial institutions & banks.
- (b) According to the information and explanations given to us including representation received from the management of the Company, and on the basis of our audit procedures, we report that the Company has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.
- (c) According to the information and explanations given to us, loans granted by Government were applied for the purpose for which they were sanctioned, however unutilized portion of grant is kept with the in the mode of time deposits and interest earned therefrom has been credited to profit and loss statement.
- (d) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not raised any funds on short term basis during the year or in any previous year. Accordingly, reporting requirements under clause 3(ix) (d) of the Order is not applicable to the Company.
- The company does not have any subsidiaries, therefore reporting requirements of subclause (e) & (f) are not applicable to it.
- x. The Company has neither raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loans nor made any preferential allotment or private placement of shares or (fully, partially or optionally) convertible debentures during the year and hence reporting requirements under clause 3 (x) of the Order is not applicable to the Company.
- xi. (a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the period covered by our audit.
- (b) No report under section 143(12) of the Act has been filed with the Central Government for the period covered by our audit.
- (c) According to the information and explanations given to us including the representation made to us by the management of the Company, there are no whistle-blower complaints received by the Company during the year.

- xii. In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, provisions of clause 3(xii) of the Order are not applicable.
- xiii. In our opinion all transactions with the related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of Act, where applicable, and the requisite details have been disclosed in the financial statements etc., as required by the applicable Ind AS.
- xiv. (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system as required under section 138 of the Act which is commensurate with the size and nature of its business.
- (b) We have considered the reports issued by the Internal Auditors of the Company till date for the period under audit.
- xv. According to the information and explanation given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them and accordingly, provisions of section 192 of the Act are not applicable to the Company.
- xvi. (a) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, reporting requirements under clause 3(xvi) of the Order is not applicable to the Company.
- (b) The Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities during the year without a valid Certificate of Registration (CoR) from the RBI as per the Reserve Bank of India Act, 1934.
- (c) According to the information and explanations given to us, the Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the RBI. Accordingly, reporting requirements under clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable to the Company.
- Sub clause (d) of the clause 3 is not applicable to the Company.
- xvii. Since the company is not yet commenced commercial activities and it is under implementation stage, thus, reporting requirements under this clause with respect to cash losses is not applicable to it.
- xviii. Based on the information and explanations given to us, there has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, reporting requirements under clause 3(xviii) of the Order is not applicable to the Company.
- xix. Since the company is not yet commenced commercial activities and it is under implementation stage, thus, reporting requirements under this clause with respect to financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities is not applicable to it.
- xx. According to the information and explanations given to us, the Company does not have any unspent amount w.r.t Corporate Social Responsibility in respect of any ongoing or

other than ongoing project as at the expiry of the financial year. Accordingly, reporting requirements under clause 3(xx) of the Order is not applicable to the Company.

- xxi. The reporting requirements under clause 3(xxi) is not applicable in respect of audit of standalone financial statements of the Company. Accordingly, no comment has been included in respect of said clause under this report.

**SANJEEV OMPRAKASH GARG & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 008773C

**Sd/-**

**CA SANJEEV GARG**

Partner

**Membership No.: 077944**

UDIN:22077944AMWBAY4761

**Place: Bhopal**

**Date: July 13, 2022**



## ANNEXURE - B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Referred to in paragraph 3 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section our Report of even date to the Members of MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED on the Financial Statements for the year ended 31st March 2022

Report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General under Sub-section 5 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

1. Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? IF yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.
  - Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL) has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. Software is Password protected and authorization to access such software is only with the person authorized.
2. Whether there is any restructuring of an existing loans or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by lender to the Company due to company's inability to repay the loan? IF yes, the financial impact may be stated.
  - No restructuring of loans has been done.
3. Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.
  - Yes, funds received from GoMP & GOI has been properly accounted for and utilized for the projects as per the terms and condition of the sanction.
4. Whether the Company has taken adequate Measures to prevent encroachment of the land owned by it. Whether any land of the Company is encroached under litigation not put to use or declared surplus? Details may be provided.
  - No land is currently owned by the company.
5. Whether the system in vogue for identification of project to be taken up under Public Private Partnership is in line with the guidelines/Policies of the Government? Comment on deviation if any.
  - The system in vogue for identification of project to be taken up under Public Private Partnership is in line with the guidelines/Policies of the Government. Further, there are no PPP projects undertaken currently.

6. Whether system for monitoring the execution of work vis-à-vis the milestones stipulated in the agreement is in existence and the impact of cost escalation, if any, revenues/losses from contracts, etc., have been properly accounted for in the books.
  - Milestones for execution of work are stipulated in the agreement and there have been no losses due to cost escalation from contracts in the FY 2021-22 as there have been no contract closures in FY 21-22.
7. Whether the bank guarantees have been revalidated in time.
  - Yes, all the bank guarantees have been revalidated in time, wherever required.
8. Comment on the confirmation of balances of trade receivables. Trade payables. Term deposits, bank accounts and cash obtained.
  - Yes, confirmation of balances of bank accounts including term deposits have been obtained. There is no trade payable/receivable/cash-in-hand as on 31.03.2022.
9. The cost incurred on abandoned projects may be quantified and the amount actually written off shall be mentioned.
  - No such instance has been observed in FY 21-22.

**SANJEEV OMPRAKASH GARG & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 008773C

**Sd/-****CA SANJEEV GARG**

Partner

**Membership No.: 077944**

UDIN:22077944AMWBAY4761

**Place: Bhopal****Date: July 13, 2022**



## ANNEXURE C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Referred to in paragraph 4(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section our Report of even date to the Members of **MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED** on the Financial Statements for the year ended 31st March 2022

Report on the Internal Financial Controls with reference to Standalone Financial Statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

In conjunction with our audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (the "Company") as at and for the year ended 31 March 2022, we have audited the internal financial controls over financial reporting of the Company as of that date.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of the Company's business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing, issued by the ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting and the Guidance Note issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting.



## Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

## Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting.

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

## Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note issued by the ICAI.

## **SANJEEV OMPRAKASH GARG & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 008773C

Sd/-

**CA SANJEEV GARG**

Partner

**Membership No.: 077944**

UDIN:22077944AMWBAY4761

**Place: Bhopal**

**Date: July 13, 2022**



## ANNEXURE D TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Referred to in paragraph 4(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section our Report of even date to the Members of MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED on the Financial Statements for the year ended 31st March 2022

1. The Company is in process of affixing the Identification Marks on Fixed Assets for Identification/verification of Fixed Assets.
2. At the time of making monthly salary payment the Company is regularly deducting various amounts, following amount was deducted by the company but not remitted to the respective parent organization/department of the employee who is working with the company on deputation. In this regard it is informed by the management that they have not received any instruction from the parent organization/department of the respective employee to where these amount is remitted thus the same could not be remitted. In our opinion in case if due date of payment of any of the following amount is passed the company may liable for penalty by the concerned department. Details of the outstanding amount is as follows:

Particulars	Amount
CGIS-A to Parent Organisation	₹ 9,960.00
DRM Fund to Parent Organisation	₹ 360.00
EGIS- to Parent Organisation	₹ 120.00
Employers Pension Contribution Payable-Deputation	₹ 7,87,060.00
EPF to Parent Organisation	₹ 8,41,993.00
Gratuity Contribution @ 4.81% Payable-Deputation	₹ 18,498.00
GSLI Employer Contribution Payable-Deputation	₹ 800.00
HRD-Parent Organisation	₹ 2,532.00
Leave Salary Contribution Payable-Depu.	₹ 42,304.00
Narmada CBL Parent Department	₹ 7,200.00
Vehicle Rent to Parent Organisation	₹ 1,000.00
VPF to Parent Organisation	₹ 48,814.00
<b>Total</b>	<b>₹ 17,60,641.00</b>

Out of above of Rs. 10,25,324.00 has been remitted till 07.06.2022.

3. The company has paid Goods and Service Tax of Rs.11,80,454.00 on Penalty deducted from Invoice of General Consultant whereas the General Consultant had issued Credit notes and reversed Goods and Service Tax for the same. The Management of the Company is treating the amount of deduction as Supply of Services whereas as per the common parlance the Penalty is termed as recovery of a fine of not doing the agreed terms of reference and GST on penalty has been recovered from the Consultant and paid to the GST Department.



However, we are of the opinion that it is neither supply of goods or services.

4. The Company has deducted Professional Tax of Rs.5,200.00 from Salary of December 2021 however payment of Rs. 4784.00 is only made on 05.01.2022, the liability of Rs. 416.00 has been paid on 31.05.2022.
5. The Company has availed Input Tax Credit (ITC) in respect of Goods and Service Tax paid on reverse charge of Rs. 4,12,844.00, for which it was not eligible to avail ITC hence the same is paid through DRC-03 on 06.06.2022.
6. The Company has not paid Goods and Service Tax of Rs. 3,795.00 & Rs. 3,795.00 of CGST & MPGST respectively under RCM on Vehicle Hiring Charges paid to M/s Vijay-Laxmi Tours & Travels on Bill No. 41, 42, 43, 44 & 45 dated 01.02.2022, however the same is paid through DRC-03 on 06.06.2022.
7. The company is regularly deducting Goods and Service Tax (TDS of GST) and it is observed that an amount of Rs. 95,356.00 got deducted by company towards GST-TDS and paid the same under regular GST Registration and DRC in regular GST Registration has been filed on 06.06.2022. However, in our opinion the same was to be deposited under GST registration which is other than regular GST registration.
8. The following un-reconciled opening balances (as on 01.04.2021) are being carried forward as it is from previous years:

Particulars	Amount
CGST TDS	22,481.00
SGST TDS	22,481.00

The above balances have been reported under Statutory Liability Payable under Note No. 22 We hereby suggest to reconcile the same and should be deposited under appropriate head.

9. The Company has paid an amount of Rs.14,49,796.00 towards Internet Leased Line to BSNL, in our opinion and as per the prevailing law the Company is liable to Deduct Income tax at source on the same, however, as per Management's opinion there is no liability to deduct Income Tax (TDS) on it and thus they have not deducted income tax at source on it. The company should seek a legal opinion about the same and follow it.

#### **SANJEEV OMPRAKASH GARG & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 008773C

Sd/-

**CA SANJEEV GARG**

Partner

**Membership No.: 077944**

UDIN:22077944AMWBAY4761

**Place: Bhopal**

**Date: July 13, 2022**





**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

CIN No. U75100MP2015SGC034434

**BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022****(Rupees in INR , unless otherwise stated)**

Particulars		Note No.	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>ASSETS :</b>				
<b>(1) Non-current Assets</b>				
(a)	Property, Plant & Equipment	3	1,47,59,045	1,67,82,495
(b)	Capital Work in Progress	3	7,03,74,11,046	2,96,85,86,651
(c)	Financial Assets			
	(i) Investments	4	-	-
	(ii) Deposits	5(a)	54,56,208	54,56,208
(d)	Deferred Tax Assets (Net)	5(b)	19,53,732	13,26,300
(e)	Other Non current Assets	6	1,32,24,10,561	34,54,36,454
<b>Total Non-Current Assets</b>			<b>8,38,19,90,592</b>	<b>3,33,75,88,109</b>
<b>(2) Current Assets</b>				
(a)	Inventories	7	-	-
(b)	Financial Assets			
	(i) Trade Receivables	8	-	-
	(ii) Cash and cash equivalents	9	11,25,63,73,549	4,50,32,98,854
	(iii) Loans	10	25,42,37,288	-
	(iv) Other Financial Assets	11	-	-
(c)	Other Current Assets	12	87,21,647	97,69,873
<b>Total Current Assets</b>			<b>11,51,93,32,484</b>	<b>4,51,30,68,727</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>			<b>19,90,13,23,076</b>	<b>7,85,06,56,836</b>
<b>EQUITY AND LIABILITIES:</b>				
<b>(1) Equity</b>				
(a)	Equity Share capital	13	12,08,00,00,000	3,52,18,00,000
(b)	Other Equity	14	(83,85,953)	(7,73,14,377)
<b>Total Equity</b>			<b>12,07,16,14,047</b>	<b>3,44,44,85,623</b>
<b>Liabilities</b>				
<b>(2) Non-current Liabilities :</b>				
(a)	Financial Liabilities			
	(i) Borrowings	15(a)	6,81,09,00,000	69,14,00,000

(ii) Other financial liabilities	15(b)	32,20,13,848	3,02,21,15,252
(b) Provisions	16	-	-
(c) Deferred Tax Liabilities (Net)	17	-	-
<b>Total Non-current Liabilities</b>		<b>7,13,29,13,848</b>	<b>3,71,35,15,252</b>
<b>(3) Current Liabilities</b>			
<b>(a) Financial Liabilities</b>			
(i) Borrowings	18	-	-
(ii) Trade Payables	19	-	-
(iii) Other financial liabilities	20	4,73,27,328	4,53,76,619
(b) Current Tax Liabilities (net)	21	-	-
(c) Other current liabilities	22	5,63,28,998	1,77,27,249
(d) Provisions	23	59,31,38,855	62,95,52,093
<b>Total Current Liabilities</b>		<b>69,67,95,181</b>	<b>69,26,55,961</b>
<b>TOTAL EQUITY AND LIABILITIES</b>		<b>19,90,13,23,076</b>	<b>7,85,06,56,836</b>

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 32

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

**For Sanjeev Omprakash Garg & Co.**

**For and on behalf of the Board of Directors**

**Chartered Accountants**

Sd/-

**(CA Sanjeev Garg)**  
Partner  
M. No. 077944

FRN No: 08773C  
UDIN: 22077944AMWBAY4761

Date : July 13, 2022  
Place : Bhopal

Sd/-

**(Sandeep Jain)**  
Company Secretary  
FCS: 7847

Sd/-

**(Niti Kothari)**  
Director (Finance)  
DIN: 09608369

Sd/-

**(Manish Singh)**  
Director  
DIN: 02947579

Sd/-

**(Chhavi Bhardwaj)**  
Managing Director  
DIN: 06499360

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

CIN No. U75100MP2015SGC034434

**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022**

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

S.No	Particulars	Note No.	For the year ended 31.03.2022	For the year ended 31.03.2021
I	Revenue from Operations	24	-	-
II	Other Income	25	18,91,64,849	9,64,85,941
III	<b>Total Income (I+II)</b>		<b>18,91,64,849</b>	<b>9,64,85,941</b>
IV	<b>Expenses</b>			
	Operating expense	26	-	-
	Change in inventories	27	-	-
	Employee benefits expense	28	3,44,78,764	2,01,12,406
	Other expenses	29	6,93,73,630	7,33,28,929
	Finance costs	30	-	-
	Depreciation and amortization expense	3	56,62,495	67,28,334
	<b>Total expenses (IV)</b>		<b>10,95,14,889</b>	<b>10,01,69,669</b>
V	<b>Profit/(loss) before exceptional items and tax (III-IV)</b>		<b>7,96,49,960</b>	<b>(36,83,728)</b>
VI	<b>Exceptional Items</b>	31	1,13,48,968	1,98,20,837
VII	<b>Profit/(loss) before tax (V-VI)</b>		<b>6,83,00,993</b>	<b>(2,35,04,565)</b>
VIII	<b>Tax Expense:</b>			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		(6,27,432)	(9,18,220)
IX	<b>Profit (Loss) for the period</b>		<b>6,89,28,424</b>	<b>(2,25,86,345)</b>
X	<b>Other Comprehensive Income</b>			
A(i)	Items that will be reclassified to profit or loss	25.1	-	-
A(ii)	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		-	-
B(i)	Items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
B(ii)	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		-	-



<b>XI</b>	<b>Total Comprehensive Income for the period (IX+X) comprising Profit(Loss) and Other Comprehensive Income for the period)</b>		<b>6,89,28,424</b>	<b>(2,25,86,345)</b>
<b>XII</b>	<b>Earnings per equity share</b>	32		
	(1) Basic		0.19	(0.20)
	(2) Diluted		0.19	(0.20)
Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements		1 to 32		
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.				
As per our report of even date				
<b>For Sanjeev Omprakash Garg &amp; Co.</b>		<b>For and on behalf of the Board of Directors</b>		
<b>Chartered Accountants</b>				
Sd/-		Sd/-		
<b>(CA Sanjeev Garg)</b>		<b>(Sandeep Jain)</b>		
<b>Partner</b>		<b>Company Secretary</b>		
<b>M. No. 077944</b>		<b>FCS: 7847</b>		
<b>FRN No: 08773C</b>		<b>DIN: 09608369</b>		
<b>UDIN: 22077944AMWBAY4761</b>				
<b>Date : July 13, 2022</b>				
<b>Place : Bhopal</b>				
		Sd/-		
		<b>(Manish Singh)</b>		
		<b>Director</b>		
		<b>DIN: 02947579</b>		
		Sd/-		
		<b>(Chhavi Bhardwaj)</b>		
		<b>Managing Director</b>		
		<b>DIN: 06499360</b>		

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

CIN No. U75100MP2015SGC034434

Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Particulars	For the year ended 31.03.2022	For the year ended 31.03.2021
<b>A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :</b>		
<b>Net Profit Before Tax and Extraordinary Items</b>	6,83,00,993	(2,35,04,565)
Adjustment for: Depreciation	56,62,495	67,28,334
Other Comprehensive Income	-	-
Interest on FDR	(18,56,83,515)	(9,64,15,001)
Misc. Balance W/o	-	-
Finance cost	-	-
<b>Operating Profit Before Working Capital Changes</b>		<b>(11,17,20,027)</b>
<b>Adjustments for changes in working capital</b>		
(Increase) / Decrease in Other Non Current Assets	(97,69,74,107)	8,87,48,135
(Increase) / Decrease in Inventories	-	-
(Increase) / Decrease in Financial Assets	(25,42,37,288)	-
(Increase) / Decrease in Other Current Assets	10,48,226	(1,68,458)
Increase / (Decrease) in Financial Liabilities	(2,69,81,50,695)	1,69,53,527
Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities	21,88,511	28,69,16,709
(Increase) / Decrease in Loans and Advances	-	-
		<b>(3,92,61,25,353)</b>
<b>Cash generated from Operations</b>		<b>(4,03,78,45,380)</b>
Income Taxes refund / (paid) during the year	-	-

<b>Net Cash flow from /(used in) Operating Activities</b>		<b>(4,03,78,45,380)</b>		<b>27,92,58,681</b>
<b>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :</b>				
Purchase of Fixed Assets/Capital WIP	(4,07,24,63,440)		(1,82,02,38,135)	
(Addition) / Release of Fixed Deposit	-		-	
Interest Received on FDR	18,56,83,515		9,64,15,001	
<b>Net Cash flow from/(used in) Investing Activities</b>		<b>(3,88,67,79,925)</b>		<b>(1,72,38,23,134)</b>
<b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :</b>				
Share Application Money	-		-	
Increase in Share Capital	8,55,82,00,000		3,22,18,00,000	
Grant from MP Government	-		(98,18,00,000)	
Grant from Government of India	-		-	
Proceeds of Long Term Borrowings	6,11,95,00,000		-	
Repayment of Long Term Borrowings	-		-	
Proceeds / (Repayment) of Short Term Borrowings (Net)	-		-	
Dividend Paid	-		-	
Interest paid	-		-	
<b>Net Cash flow from /(used in) Financing Activities</b>		<b>14,67,77,00,000</b>		<b>2,24,00,00,000</b>
<b>Net Increase/ (decrease) in Cash &amp; Cash Equivalents</b>		<b>6,75,30,74,695</b>		<b>79,54,35,547</b>
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period		4,50,32,98,854		3,70,78,63,307
<b>Cash and Cash Equivalents at the end of the period</b>		<b>11,25,63,73,549</b>		<b>4,50,32,98,854</b>



Note : The Cash Flow is prepared using Indirect method

As per our report of even date

For Sanjeev Omprakash Garg & Co.

For and on behalf of the Board of Directors

Chartered Accountants

Sd/-  
(CA Sanjeev Garg )  
Partner  
M. No. 077944  
FRN No: 08773C  
UDIN: 22077944AMWBAY4761

Sd/-  
(Sandeep Jain)  
Company Secretary  
FCS: 7847

Sd/-  
(Niti Kothari)  
Director (Finance)  
DIN: 09608369

Date : July 13, 2022  
Place : Bhopal

Sd/-  
(Manish Singh)  
Director  
DIN: 02947579

Sd/-  
(Chhavi Bhardwaj)  
Managing Director  
DIN: 06499360

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**Statement of Changes in Equity as at March 31, 2022  
(Rupees in INR , unless otherwise stated)

a Equity Share Capital		As at 31 March 2021	Changes in equity share capital during the year 2021- 22	As at 31 March 2022					
Particulars									
	Equity Share Capital	3,52,18,00,000	8,55,82,00,000	12,08,00,00,000					
		<b>3,52,18,00,000</b>	<b>8,55,82,00,000</b>	<b>12,08,00,00,000</b>					
b Other Equity									
Reserves and Surplus									
Particulars	Share Application Money pending for allotments	Capital Reserve	General Reserve	Revaluation Reserve	Grant from MP Government	Grant from Govern- ment of India	Retained Earning	Other Compre- hensive Income (OCI)	Total
Balance at the begin- ning of the reporting period as at April 1, 2021	-	-	-	-	-	-	(7,73,14,377)	-	(7,73,14,377)
Amount Received / Share Allot- ted during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	-	-	-	6,89,28,424	-	6,89,28,424	-	(83,85,953)	6,89,28,424
Ind AS Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonus Shares Issued in 1:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Balance at the end of the reporting period as at March 31, 2022</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	(83,85,953)	-	(83,85,953)	-
As per our report of even date												
<b>For and on behalf of the Board of Directors</b>												
<b>For Sanjeev Omprakash Garg &amp; Co.</b>												
<b>Chartered Accountants</b>												
Sd/- (CA Sanjeev Garg ) Partner M. No. 077944 FRN No: 08773C UDIN: 22077944AMWBAY4761			Sd/- (Sandeep Jain) Company Secretary FCS: 7847			Sd/- (Niti Kothari) Director (Finance) DIN: 09608369			Sd/- (Chhavi Bhardwal) Managing Director DIN: 06499360			
Date : July 13, 2022 Place : Bhopal			Sd/- (Manish Singh) Director DIN: 02947579									



**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts  
For financial year ended 31 March 2022  
(Rupees in INR , unless otherwise stated)

**Note 3: Property, Plant and Equipment**

Particulars	Gross Block			Depreciation/Amortisation			Net Block	
	As at 1st April, 2021	Additions during the period	Disposals/ Deductions during the year	As at 31st March, 2022	As at 1st April, 2021	For the period	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
<b>A. Land</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Buildings</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Site Development	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Factory Building	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. Admn. & Godown Building	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C. Plant &amp; Equipment</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D. Furniture and Fixtures</b>	2,03,62,117	-	-	2,03,62,117	52,02,716	39,24,247	91,26,963	1,51,59,401
<b>E. Vehicles</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F. Office Equipments</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>L. Computers</b>	34,74,168	26,07,097	-	60,81,265	27,90,847	8,90,721	36,81,578	6,83,331
<b>ii. Other Office Equipments</b>	37,22,443	10,31,948	-	47,54,391	27,82,670	8,47,517	36,30,187	9,39,773
<b>Total</b>	<b>2,75,58,728</b>	<b>36,39,045</b>	-	<b>3,11,97,773</b>	<b>1,07,76,233</b>	<b>56,62,495</b>	<b>1,64,38,728</b>	<b>1,67,59,045</b>

Particulars	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	As at 1st April, 2020	Additions during the period	Disposals / Deductions during the year	As at 31st March, 2021	As at 1st April, 2020	For the period	depreciation on disposal	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020	
<b>Capital Work-in-progress</b>	2,96,85,86,651	-4,06,88,24,395	-	7,03,74,11,046	-	-	-	7,03,74,11,046	-	2,96,85,86,651
<b>Total</b>	2,99,61,55,379	4,07,24,63,440	-	7,06,86,09,819	1,07,76,233	56,62,495	-	7,05,21,70,091	-	2,98,53,69,146
<b>A. Land</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Buildings</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Site Development	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Factory Building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Admin. & Godown Building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C. Plant &amp; Equipment</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D. Furniture and Fixtures</b>	2,22,342	2,01,39,775	-	2,03,62,117	1,00,522	51,02,193	-	1,51,59,401	-	1,21,820
<b>E. Vehicles</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F. Office Equipments</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Computers	31,88,125	2,59,043	-	34,74,168	19,31,253	8,37,594	-	6,83,331	-	12,54,872
II. Other Office Equipments	37,16,094	6,349	-	37,22,443	20,14,123	7,68,597	-	9,39,773	-	17,01,971
<b>Total</b>	71,26,561	2,04,32,167	-	2,75,59,728	40,47,898	67,28,134	-	1,07,76,233	-	30,78,663

Capital Work-in-progress	1,16,87,80,683	1,79,98,05,968	2,96,85,86,651	-	-	-	-	-	-	-	1,16,87,80,683
	1,17,59,07,244	1,82,01,38,135	2,99,61,45,379	40,47,898	67,28,334	1,07,76,233	2,98,53,69,146	1,17,18,59,346			
Total											
Capital Work-in-progress (Ageing)											
Particulars	>3 yr			2-3 yr		1-2 yr		<1 yr		Total CWIP as on 31.03.2022	
	Bhopal Metro Rail project	Indore Metro Rail project	Bhopal Metro Rail project	Indore Metro Rail project	Bhopal Metro Rail project	Indore Metro Rail project	Bhopal Metro Rail project	Indore Metro Rail project	Bhopal Metro Rail project	Indore Metro Rail project	
Total Civil work charges	1,74,59,283	1,88,66,308	31,12,35,063	11,50,17,723	76,58,24,476	47,69,03,046	1,61,12,49,170	1,52,69,49,950	4,83,95,04,969		
Total consultancy charges	15,48,20,596	16,72,97,423	16,46,63,634	19,94,90,643	26,87,11,660	29,03,66,846	44,82,50,619	68,43,74,656	2,19,79,06,077		
Gross Total	17,22,79,879	18,61,63,731	49,58,98,697	31,44,98,376	1,03,45,36,076	76,52,69,892	2,05,94,99,789	2,00,93,24,606	7,03,74,11,046		

Note: The consultancy charges/ fee have been proportioned on the basis of total project cost.



**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>4</b>	<b>Non- Current Investments</b>	-	-
(a)	Investment measured at cost	-	-
	<b>Equity Shares of Subsidiary Companies</b>	-	-
	<b>Unquoted Fully Paid-up</b>	-	-
	<b>Equity Shares of Associates Companies</b>	-	-
	<b>Unquoted Fully Paid-up</b>	-	-
	<b>Total Unquoted Non-Current Investment</b>	-	-
	<b>Preference Shares of Associates Companies</b>	-	-
	<b>Unquoted Fully Paid-up</b>	-	-
	<b>Total Unquoted Non-Current Investment</b>	-	-
(b)	Investment measured at fair value through Profit and Loss Account	-	-
	<b>Quoted Fully Paid-up</b>	-	-
	<b>Total Quoted Non-Current Investment</b>	-	-
	<b>Total Non-Current Investment</b>	-	-
	<b>Category-Wise Non-Current Investment</b>	<b>As at March 31, 2022</b>	<b>As at March 31, 2021</b>
	Financial Assets Carried at Cost	-	-
	Financial Assets measured at Fair Value through Profit & Loss	-	-
	<b>Total Non-Current Investment</b>	-	-

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
5(a)	<b>NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS :</b>		
	<b>Deposits</b>		
	<b>Security Deposits :</b>		
(i)	With Apollo creations Pvt. Ltd.(Under Indore Office rent agreement)	54,42,816	54,42,816
(ii)	With BSNL	13,392	13,392
	<b>Total Loans</b>	<b>54,56,208</b>	<b>54,56,208</b>
	<i>Deposits are of perpetual nature and there is no amortisation as on 31.03.2022.</i>		
5(b)	<b>Deferred Tax Assets (Net) :</b>		
	<i>At the beginning of the year</i>	13,26,300	4,08,080
	<i>Charged / (Credit) to Statement of Profit and Loss</i>	6,27,432	9,18,220
	<b>Total Deferred Tax Assets (Net)</b>	<b>19,53,732</b>	<b>13,26,300</b>
	<b>Explanatory note w.r.t. Note 17 : Deferred Tax Assets (Net)"</b>		
	<b>Particulars</b>	<b>As at 31.03.2022</b>	<b>As at 31.03.2021</b>
	<b>Tax effect on items constituting deferred Tax Assets</b>		
	Written Down Value as per the Income Tax Act	2,22,73,399	2,18,83,650
	Written Down Value as per Books	1,47,59,045	1,67,82,495
	<b>Sub-Total (1)</b>	<b>75,14,354</b>	<b>51,01,155</b>
	Tax Rate	26%	26%
	<b>Deferred Tax Assets (Net)</b>	<b>19,53,732</b>	<b>13,26,300</b>

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>6</b>	<b>Other non-current asset (Secured and Considered Good)</b>		
(i)	Balances with Government Authorities	-	-
(ii)	Mobilization Advances to Contractors against Bank Guarantees #	1,32,22,09,695	34,54,36,454
	<b>(Unsecured and considered Good)</b>		
(iii)	Pre-paid expenses *	2,00,866	-
	<b>Total Other Non-Current Assets</b>	<b>1,32,24,10,561</b>	<b>34,54,36,454</b>
	# Recoverable as per the terms and conditions of respective contracts		
	* Pre-paid expenses pertain to period more than 12 months		



**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>7</b>	<b>Inventories</b>	-	-
	<b>Total Inventories</b>	-	-
	<b>CURRENT FINANCIAL ASSETS -</b>		
<b>8</b>	<b>Trade Receivables</b>		
	(Unsecured Considered Good)	-	-
	Trade Receivables	-	-
	<b>Total Trade Receivable</b>	-	-

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>9</b>	<b>Cash and cash equivalents#</b>		
	a. Cash in hand	-	-
	b. Balances with banks in current accounts	3,82,40,070	51,39,722
	c. Deposits with maturity of less than three months including interest accrued thereon	11,21,81,33,479	4,49,81,59,132
	<b>Other bank balances</b>		
	a. Balances with banks held as margin money deposits	-	-
	<b>Total Cash and Bank Balance</b>	<b>11,25,63,73,549</b>	<b>4,50,32,98,854</b>
<b>10</b>	<b>Loans - (Unsecured and Considered Good)</b>		
(a)	Loans and Advances - Related Parties	-	-
(b)	Loans and Advances - Others	-	-
(i)	Deposit with Western Central Railway*	25,42,37,288	-
	<b>Total Loans</b>	<b>25,42,37,288</b>	-
<p>#There is no amortization as on 31.3.2022.</p> <p>* Deposited with Western Central Railway for acquiring / obtaining Right to use of Land</p>			

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>11</b>	<b>Other Financial Assets</b>		
	Other	-	-
	<b>Total Loans</b>	-	-
<b>12</b>	<b>Other current assets</b>		
(a)	Income Tax deducted at Source	70,53,617	95,51,415
(b)	Others		
(i)	Pre-paid expenses #	14,55,301	-
(ii)	Deposit with MP Bhawan	46,061	1,88,458
(iii)	Staff Advance	-	30,000
(iv)	Advance to MAP IT	1,66,668	-
	<b>Total Other Current Assets</b>	<b>87,21,647</b>	<b>97,69,873</b>
# Pre-paid expenses are the expenses incurred in the financial year 2021-22 and which will accrue in F.Y. 2022-23			



**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts  
For financial year ended 31 March 2022  
(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at		
		March 31, 2022	No of shares	Rs. In INR
13 A	<b>Share capital</b>			
	<b>Authorised</b>			
	Equity Shares at par face value of Rs. 10/- each	5,00,00,00,000	5,00,00,00,000	50,00,00,00,000
	Preference Share at par face value of Rs. 10/- each	-	-	-
	<b>Issued, Subscribed and fully paid up</b>			
	Equity Shares at par face value of Rs. 10/- each	1,20,80,00,000	35,21,80,000	3,52,18,00,000
		<b>1,20,80,00,000</b>	<b>35,21,80,000</b>	<b>3,52,18,00,000</b>
B	<b>Reconciliation of the number of equity shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period are as given below:</b>			
		As at		As at
		March 31, 2022		March 31, 2021
		No of shares	Rs. In INR	No of shares
	Number of shares outstanding at the beginning of the period	35,21,80,000	3,52,18,00,000	3,00,00,000
				30,00,00,000

	Add: Share Issued during the year	85,58,20,000	8,55,82,00,000	32,21,80,000	3,22,18,00,000
	Number of shares outstanding at the end of the period	<b>1,20,80,00,000</b>	<b>12,08,00,00,000</b>	<b>35,21,80,000</b>	<b>3,52,18,00,000</b>
<b>C</b>	<p><b>Terms/rights attached to equity shares</b></p> <p>i) The company has only one class of equity shares having par value of Rs. 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.</p> <p>ii) In the event of liquidation of the company, the holders of Equity Shares will be entitled to receive remaining assets of the Company. The distribution will be in proportion to the number of Equity Shares held by the shareholders.</p> <p>iii) Each Shareholder has the right to receive the dividend as proposed by the Board of Directors and it is subject to the approval of the Shareholders in the ensuing Annual General Meeting.</p>				
<b>D</b>	<p><b>Details of equity shareholders holding more than 5% shares in the company</b></p>				
	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021		
<b>Name of the promoters/shareholders</b>	<b>No of shares</b>	<b>%</b>	<b>No of shares</b>	<b>%</b>	
Governor of Madhya Pradesh	60,39,99,995	49.999%	17,60,89,995	49.999%	
President of India	60,39,99,995	49.999%	17,60,89,995	49.999%	
<p><b>Further, 5 shares are held by nominees of GoI and 5 shares are held by nominees of GoMP by virtue of their post in MPM-RCL.</b></p>					

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>14</b>	<b>Other Equity</b>		
(a)	<b>Retained Earnings</b>		
	Surplus at the beginning of the year	(7,73,14,377)	(5,47,28,032)
	Add : Profit/loss during the year	6,89,28,424	(2,25,86,345)
	Add : Transition date adjustment	-	-
	Add / Less : Transfer to Revaluation Reserve	-	-
	Add / Less : Transfer to General Revaluation Reserve	-	-
	Less: Dividend on Equity Shares	-	-
	Less: Tax on Dividend	-	-
	<b>Total</b>	<b>(83,85,953)</b>	<b>(7,73,14,377)</b>
(b)	<b>Capital Reserve</b>	-	-
	Add / Less : Transferred from retained earning / Appropriation during the year	-	-
	Capital Reserve - Closing Balance	-	-
(c)	<b>General Reserve</b>	-	-
	Add / Less : Transferred from retained earning / Appropriation during the year	-	-
	General Reserve - Closing Balance	-	-
	<b>Total Other Equity</b>	<b>(83,85,953)</b>	<b>(7,73,14,377)</b>



**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED****Significant accounting policies and notes to the accounts**

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
15(a)	<b>Non- Current Financial Liabilities :</b>		
	<b>Borrowing (Unsecured)</b>		
	- Loans - Directors & Shareholders	-	-
	- Inter Corporate Deposit - Related Parties	-	-
	- From Others	3,73,81,00,000	69,14,00,000
	<b>Borrowing (Secured)</b>		
	- From Banks & Other Financial Ins.(PTA - GoI)	3,07,28,00,000	-
	- From Others	-	-
	<b>Total Borrowings</b>	<b>6,81,09,00,000</b>	<b>69,14,00,000</b>
15(b)	<b>Other financial liabilities</b>		
	Security Deposits & Retention Money #	12,58,42,240	3,95,26,452
	Grant from MP Government ##	18,25,23,108	2,96,89,40,300
	Grant from Government of India ##	1,36,48,500	1,36,48,500
	<b>Total Other financial liabilities</b>	<b>32,20,13,848</b>	<b>3,02,21,15,252</b>
16	<b>Non Current Provisions</b>		
	Provision for Employee Benefits (Gratuity)	-	-
	<b>Total Provision</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17	<b>Deferred Tax Liabilities (Net)</b>		
	At the beginning of the year	-	-
	Charged / (Credit) to Statement of Profit and Loss	-	-
	<b>Total Deferred Tax Liabilities (Net)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# As the projects are under execution stage, the retention money are payable only after issue of taking over certificate. Hence, retention money as deducted from the amount of work done by the Contractors has been classified under other financial liabilities (non current).

## Grants from the Government/Non-Government or other authorities towards revenue expenditure are initially shown as 'Grants' under other financial liabilities (Non- current). The revenue expenditure incurred during the year w.r.t. the grants are reduced from the carrying value of the respective grants.

<b>Explanatory note w.r.t. Note 15 (a) : "Borrowing unsecured- From others"</b>			
	<b>Particulars</b>	<b>As at 31.03.2022</b>	<b>As at 31.03.2021</b>
(a)	Unsecured From Others (Subordinate Debts from Gol)	1,11,81,00,000	69,14,00,000
(b)	Unsecured From Others (Subordinate Debts from GoMP)	11,00,00,000	-
(c)	Unsecured From Others (Subordinate Debts for SGST from GoMP)	1,00,00,000	-
(d)	Unsecured From Others (From GoMP for Land and R&R)	2,00,00,00,000	-
(e)	Unsecured From Others (From GoMP for IDC)	50,00,00,000	-
	<b>Total</b>	<b>3,73,81,00,000</b>	<b>69,14,00,000</b>
<b>Additional disclosure note w.r.t. Note 15 (a) : "Borrowing unsecured- From others"</b>			
1	Loan/ Subordinate Debt provided by Gol/ GoMP are at the same terms and conditions at which such loans are provided to other metro projects and are therefore considered to be at fair value.		
2	Interest bearing loan from Gol against European Investment Bank includes INR 307.28 Crore received from Gol for Bhopal project but the amount has not been released from EIB to Gol. Hence the terms of the loan are unidentified.  European Investment Bank (EIB) has signed Finance contract to Finance EURO 250 Million (INR 2000 crore approx.), which are to be made available to MPMRCL through gross budgetary resources in the form of Pass Through Assistance (PTA) from Gol. EIB loans are sovereign loans and therefore Gol is arranging PTA for execution of the works. However, there is no disbursement made by EIB to Gol. Gol in FY 2021-22 released INR 307.28 Crore under the head PTA to MPMRCL for the execution of Bhopal Project. The said PTA has been shown under Borrowings as Non Current liabilities.		
3	Interest Free Subordinate Debts from Gol are repayable after the repayment of Interest Bearing external borrowings.		
4	Interest Free Subordinate Debts from GoMP are repayable after the repayment of Interest Bearing external borrowings.		

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
	<b>Current Financial Liabilities :</b>		
<b>18</b>	<b>Borrowings</b>		
(a)	<b>Secured Loan from Bank</b>		
	- Loans repayable on demand -Working Capital Loan	-	-
	- Short Term Loan	-	-
(b)	<b>Secured Loan from Others</b>		
(c)	Current Maturities of Long term Borrowings	-	-
	<b>Total Borrowing</b>	-	-
<b>19</b>	<b>Trade payables</b>		
	Micro, Small and Medium Enterprises	-	-
	Others	-	-
	<b>Total Trade Payables</b>	-	-



**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED****Significant accounting policies and notes to the accounts**

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>20</b>	<b>Other Financial Liabilities</b>		
(a)	Advances and Sundry Deposits*	16,59,408	16,59,408
(b)	Others Payable (Payable within 12 months)		
(i)	Payable to Contractors (CWIP)	1,86,59,490	1,88,27,953
(ii)	Payable other than payable to contractors (CWIP)	2,70,08,430	2,48,89,258
	<b>Total Other Financial Liabilities #</b>	<b>4,73,27,328</b>	<b>4,53,76,619</b>
<b>21</b>	<b>Current Tax Liabilities (Net)</b>		
	Provision for Income Tax	-	-
	Less : Advance Tax / TDS	-	-
	<b>Current Tax Liabilities (Net)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	# There is no amortization as on 31.3.2022		
	*Miscellaneous deposits of small vendors/contractors		

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED****Significant accounting policies and notes to the accounts**

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>22</b>	<b>Other Current Liabilities</b>		
	<b>Other Statutory Dues :</b>		
(a)	Goods & Service Tax	57,20,907	54,24,471
(b)	Income Tax Deducted at Source	4,68,74,154	96,49,136
(c)	Labour Cess	36,96,519	26,50,264
(d)	Professional Tax	37,418	3,378
	<b>Total Other Current Liabilities</b>	<b>5,63,28,998</b>	<b>1,77,27,249</b>
<b>23</b>	<b>Provisions</b>		
(a)	Provision against unbilled liability for CWIP	56,24,30,809	62,13,17,139
(b)	Provision for Indirect Expenses	3,03,75,946	80,53,454
(c)	Provision for Audit fee	3,32,100	1,81,500
	<b>Total Provision</b>	<b>59,31,38,855</b>	<b>62,95,52,093</b>

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
24	Revenue from operations	-	-
	<b>Total</b>	-	-
25	<b>Other income</b>		
	Interest Income	18,56,83,515	9,64,15,001
	Sale of tender forms	30,13,188	42,373
	Others #	4,68,146	28,567
	<b>Total</b>	<b>18,91,64,849</b>	<b>9,64,85,941</b>
	# 1. Others for current year pertains to Interest on account of Income tax refund) 2. Others for previous year pertains to TDS refunded by Bank		
25.1	<b>Other Comprehensive income</b>		
	Gain on Financial Assets	-	-
	Unrealised Gain	-	-
	<b>Total</b>	-	-



**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
26	Operating expenditure	-	-
27	Change in Inventories	-	-

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Significant accounting policies and notes to the accounts

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>28</b>	<b>Employee benefit expenses</b>		
	Salaries and wages	3,15,23,533	1,90,58,750
	Directors Remunerations	12,40,902	-
	Contributions to Provident Fund & Others	17,14,329	10,53,656
	Staff welfare expenses	-	-
	<b>Total</b>	<b>3,44,78,764</b>	<b>2,01,12,406</b>

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED****Significant accounting policies and notes to the accounts**

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>29</b>	<b>Other expenses :</b>		
(i)	Advertisement Expenses	1,04,99,298	1,91,60,647
(ii)	Bank Charges	1,830	486
(iii)	Computer Consumable Expenses	73,400	12,760
(iv)	Hotel & Guest House Expenses	1,42,397	2,200
(v)	Manpower Hiring Agency	79,16,691	47,73,804
(vi)	Membership Fee	15,89,900	23,60,000
(vii)	Legal fee	6,45,000	2,95,000
(viii)	Printing Expenses	2,04,097	1,61,074
(ix)	Rent Expenses	2,88,47,693	2,29,12,750
(x)	Stamp Duty Exp.	-	32,21,800
(xi)	Stationary Expenses	4,15,395	25,960
(xii)	Tour and Travel Expenses	2,98,060	1,75,364
(xiii)	Training & Seminar Exp.	-	53,615
(xiv)	Vehicle Hiring Expenses	66,65,623	34,61,359
(xv)	Central Public Procurement Portal(CPPP) Expenses	9,69,638	-
(xvi)	Financial aid (Compensation)	4,00,000	-
(xvii)	Travelling Allowances	2,18,251	-
(xviii)	Recruitment Expenses	4,23,858	-
(xix)	Electricity Expenses	32,38,152	-
(xx)	Office Expenses	12,79,606	8,77,720
(xxi)	Consultancy Expenses	2,39,968	1,33,89,880
(xxii)	Internet and Telephone Expenses	19,80,276	15,80,263
(xxiii)	Duties and Taxes	5,80,171	2,500
(xxiv)	Reimbursement Expenses	25,55,527	7,73,247
(xxv)	Auditor's Remuneration	-	-
	- Statutory Audit Fee	88,500	88,500
	- Tax Audit Fee	11,800	-
	- Internal Audit Fee	88,500	-
	<b>Total</b>	<b>6,93,73,630</b>	<b>7,33,28,929</b>



	<b>Explanatory Notes to Note No. 29 :</b>		
1	Reimbursement Expenses includes reimbursement against transportation expenses, Mobile /Laptop, manpower etc.		
2	Duties and Taxes includes payment against taxes like PT, GST, etc.		
3	Internet and Telephone Expenses includes internet charges, telephone charges , misc. re- newal charges		
<b>30</b>	<b>Finance Costs :</b>		
	Interest Expenses	-	-
	Foreign Currency Transaction and Translation Loss	-	-
	Other Borrowing costs	-	-
	<b>Total</b>	-	-

**MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED****Significant accounting policies and notes to the accounts**

For financial year ended 31 March 2022

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>31</b>	<b>Exceptional Items</b>		
	Head Office Rent	12,06,132	1,98,20,837
	Reimbursement of Manpower expenses to Indore smart city Development Corp Ltd.	7,00,937	-
	Reimbursement of electricity expenses to Bhopal Smart city Development Corp Ltd.	92,16,914	-
	Duties and taxes	2,47,185	-
	Reversal of excess provision of previous year	(22,200)	-
	<b>Total Exceptional Items</b>	<b>1,13,48,968</b>	<b>1,98,20,837</b>
<b>32</b>	<b>Earnings Per Share (EPS)</b>		
	Profit after tax attributable to Equity Shareholders	6,89,28,424	(2,25,86,345)
	Weighted average number of Equity Shares (In nos.) - Basic	36,15,58,849	11,05,45,000
	Weighted average number of Equity Shares (In nos.) - Diluted	36,15,58,849	11,05,45,000
	Nominal Value of Equity per share (In Rs.)		
	Basic Earnings per share (In Rs.)	0.19	(0.20)
	Diluted Earnings per share (In Rs.)	0.19	(0.20)

## NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

### 1. Corporate Information

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL) is incorporated under the Companies Act, 2013 on 09th July, 2015 being Government Company within the meaning of Section 2 (45) of The Companies Act, 2013. The Company was set up by the Government of Madhya Pradesh (GoMP) with 100% shareholding and subsequently converted to a Joint Venture SPV of Government of India (GoI) and GoMP with 50:50 shareholding to implement Mass Rapid Transit System in Bhopal and Indore city by providing the Metro Rail and is entrusted with the tasks of subsequent expansion of the Metro network, its operation, maintenance and allied activities to ensure sustainable operations.

### 2. Significant Accounting Policies

The significant accounting policies applied by the company in the preparation of its financial statements are listed below. Such accounting policies have been applied consistently to all the periods presented in these financial statements unless otherwise indicated.

#### 2.1 Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, as amended from time to time and other relevant provisions of the Act.

#### 2.2 Basis of preparation of financial statements

The financial statements have been prepared under the historic cost conversion with the exception of certain assets and liabilities that are required to be carried at fair value by Ind AS. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Financial statements are presented in Indian Rupee ('INR'), which is also the functional currency of the company.

#### 2.3 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment are stated at original cost, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. When significant parts of Property, Plant and Equipment are required to be replaced at intervals, the Company de-recognizes the replaced part, and recognises the new part with its own associated useful life and it is depreciated accordingly. All repair and maintenance costs are recognised in the statement of profit and loss as incurred.



Property, Plant and Equipment are eliminated from financial statements, either on disposal or when retired from active use. Losses arising in the case of retirement of Property, Plant and Equipment and gains or losses arising from disposal of Property, Plant and Equipment are recognised in the statement of profit and loss in the year of occurrence.

Depreciation on assets has been provided on WDV basis at the useful lives specified in the Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on additions/ deductions is calculated pro-rata from/ to the period of additions/ deductions.

Property, Plant & Equipment and Intangible Assets costing INR 5,000.00 or less have been depreciated/amortized fully in the year of purchase considering the materiality aspect.

The residual value of 5% of the original cost of the asset has been considered and deducted for charging depreciation as per Schedule II of Companies Act, 2013.

The assets residual value, useful life and method of depreciation are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

#### **2.4 Intangible assets**

Software costs and other Intangible assets are included in the balance sheet as intangible assets when it is probable that associated future economic benefits would flow to the Company. In this case they are measured initially at cost of acquisition and then amortised on a WDV basis over their estimated useful lives. All other costs are expensed in the statement of profit and loss as and when incurred. Expenditure on research activities is recognized as an expense in the period in which it is incurred.

#### **2.5 Capital Work-in-progress includes**

Capital Work-in-Progress are inclusive of the expenditure and subsequent costs which could not be reliably ascertained when the asset is put to use and capitalized when the costs are reliably measured.

#### **2.6 Impairment of Non-Financial Assets - Property, Plant and Equipment**

The Company assesses at each reporting date as to whether there is any indication that any property, plant and equipment and intangible assets or group of assets, may be impaired. If any such indication exists the recoverable amount of an asset is estimated to determine the extent of impairment, if any. When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the CGU (cash generating unit) to which the asset belongs.

An impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss to the extent, asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. Value in use is based on the estimated future cash flows, discounted to their present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risk specific to the assets.

The impairment loss recognised in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

## 2.7 Finance Cost

Borrowing costs include exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the interest cost. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalised as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use.

Interest income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.

All other borrowing costs, if any are charged to the Statement of Profit and Loss for the period for which they are incurred.

## 2.8 Inventories

Inventories are valued as under:

- i. Raw material, Stores & Spares are valued at lower of cost or net realisable value whichever is lower. Cost is ascertained on weighted average basis.
- ii. Work in Process at cost including related overheads.
- iii. Finished Goods & Stock-In trade are valued at cost or estimated realisable value whichever is lower. Cost comprises of material, labour and applicable overhead expenses.

Cost of inventories comprises of cost of purchase, cost of conversion and other costs including manufacturing overheads in bringing them to their respective present location and condition.

However during the year or at the end of the financial year the Company does not hold any inventory thus reporting requirements are not applicable to it.

## 2.9 Foreign Exchange Transactions

The Company has not made any Foreign Exchange transactions during the year ending on March 31, 2022.

## 2.10 Revenue Recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Amounts disclosed as revenue is net of returns, trade allowances, rebates, value added taxes and amounts collected on behalf of third parties.

The company recognises revenue when the amount of revenue can be reliably measured,



it is probable that future economic benefits will flow to the entity and specific criteria have been met for each of the company's activities. The company bases its estimates on historical results, taking into consideration the type of customer, the type of transaction and the specifics of each arrangement.

The company is not yet commenced its commercial activities thus the requirements of this clause is not applicable to it.

### **2.10.1 Interest Income**

Interest is recognized on a time proportion, taking into account the amount outstanding and rate applicable.

### **2.10.2 Other Income**

Other Income is recognised when right to receive is established.

## **2.11 Employee Benefits**

### **(i) Short Term Employee Benefits**

All employee benefits falling due wholly within twelve months of rendering the service are classified as short-term employee benefits.

The Company does not have any Short Term Employee Benefits Plan as on 31.03.2022.

### **(ii) Post-Employment Benefits**

a) Defined Contribution Plans: The obligation to employee's provident fund is a defined contribution plan. The contribution paid/payable is recognized in the period in which the employee renders the related service. The company has defined contribution plans where the company pays pre-defined amounts and does not have any legal or constructive obligation to pay additional sums for post-employment benefits.

The Company does not have any defined Contribution Plans as on 31.03.2022.

b) Defined Benefit Plans: The Company does not have any defined benefit plan as on 31.03.2022.

## **2.12 Accounting for Taxes on Income**

Due to accumulated losses, no provision of Income Tax has been provided. Deferred tax is provided using the balance sheet approach on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside the statement of profit and loss.



Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

## **2.13 Financial instruments**

### **2.13.1 Financial Assets**

#### **A) Initial recognition and measurement**

All financial assets and liabilities are initially recognized at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities, which are not at fair value through profit or loss, are adjusted to the fair value on initial recognition. Purchase and sale of financial assets are recognised using trade date accounting.

#### **B) Subsequent measurement**

For financial assets maturing within one year from the balance sheet date, the carrying amounts approximate fair value due to the short maturity of these instruments.

### **2.13.2 Financial liabilities**

#### **A) Initial recognition and measurement**

All financial liabilities are recognized at fair value and in case of loans, net of directly attributable cost. Fees of recurring nature are directly recognised in the Statement of Profit and Loss as finance cost.

#### **B) Subsequent measurement**

For trade and other payables maturing within one year from the balance sheet date, the carrying amounts approximate fair value due to the short maturity of these instruments.

## **2.14 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

- a) Provisions are recognized for liabilities that can be measured only by using a substantial degree of estimation, if
- (i) The Company has a present obligation as a result of a past event.
  - (ii) A probable outflow of resources is expected to settle the obligation, and
  - (iii) The amount of the obligation can be reliably estimated.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to

the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

- b) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.
- c) Contingent Liability is disclosed in the case of
  - (i) A present obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation.
  - (ii) A present obligation when no reliable estimate is possible, and
  - (iii) A possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is not remote.
- d) Contingent Assets are disclosed, where an inflow of economic benefits is probable.
- e) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets are reviewed at each Balance Sheet date.

## 2.15 Earning Per Share

Basic EPS is computed by dividing the Profit or loss attributable to the equity shareholders of the Company by the weighted average number of Ordinary shares outstanding during the year. Diluted EPS is computed by adjusting the profit or loss attributable to the ordinary equity shareholders and the weighted average number of ordinary equity shares, for the effects of all dilutive potential Ordinary shares.

## 2.16 Segment Reporting -Identification of Segments

In the opinion of the management, there is only one reportable business segment as envisaged by Ind AS 108 on 'Operating Segment' issued by Institute of Chartered accountants of India. Accordingly, no separate disclosure for segment reporting is required to be made in the financial statements of the Company. Secondary, segmentation based on geography has not been presented as the Company operates primarily in India and the Company perceives that there is no significant difference in its risk and returns in operating from different geographic areas within India.

The 'Managing Director' is the chief operating decision maker who assesses the financial performance and position of the company and makes strategic decisions.

## 2.17 Use of estimates and judgement

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires that management of the Company makes estimates and assumptions that affect the reported



amounts of income and expenses of the period, the reported balances of assets and liabilities and the disclosures relating to contingent liabilities as of the date of the financial statements. The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year. The company has based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising beyond control of the management.

## 2.18 ADDITIONAL NOTES TO ACCOUNTS

1. There are no micro, small and medium enterprises, to which company owes dues except where an amount due to micro, small and medium enterprises as at 31st March, 2022 is Rs.2,39,52,709.00. As the case is sub-judice and the liability is not ascertainable as on 31st March, 2022. Hence, the interest could not be calculated and disclosed. Further this fact is disclosed under contingent liability.

This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 which has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company.

2. Previous year figures are re-grouped, re-classified and re-arranged, wherever considered necessary to conform to current year's presentation.
3. For considering the events occurring after the end of a reporting period but before the financial statements are approved, the cut off date has been taken as 06.06.2022. Further, on 06.07.2022 the Annual Financial statement for the F.Y 2021-22 has been approved for issue by the Board of Directors of the company.
4. The Cash Flow Statement has been prepared and presented as per the requirements of Ind AS 7 "Statement of Cash flows".
5. Disclosure in respect of GoMP & Gol MoU:

Memorandum of understanding between Government of India (Gol), Government of Madhya Pradesh (GoMP) and Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. (MPMRCL) for Bhopal Metro Rail project and Indore Metro Rail project were executed on 19 Aug 2019. Pursuant to which, during F.Y 2021-22 funds amounting to Rs.412.00 crores were received from GoMP and Rs.777.86 crores were received from Gol for Bhopal and Indore Metro Rail projects. Further 42,79,10,000 equity shares to Gol and 42,79,10,000 equity shares to GoMP has been issued during the financial year (to ensure 50:50 ratio).



## 6. Disclosure in respect of Contingent liabilities:

S. No	Particulars (case description)	Party(1)	Party(2)	Amount of dispute	Date when case is filed	Status as on 31.3.2022
1.	Regarding DPR Consultancy fee for Bhopal and Indore Metro Rail projects	Rohit Associates	MPMRCL	Rs.47.81 crores (50.21-2.40)* (Samadhan MSEFC, Mumbai)	WP 1271/2020 (20.02.2020)	Pending Before Hon'ble MSEFC, Mumbai.
2.	Regarding the dispute of land Under Khasra No. 920/1, 938,939 & 940 of Bhopal City circle &Khasara No. 37 & 38 of Govindpura Circle.	Bhopal Glue & Chemicals P.Ltd	District Collector & Others (MPMRCL as Respondent No.3)	*	28.03.2022	Pending before Hon'ble High Court, Jabalpur
3.	Regarding the ownership of a land Parcel under Khasra No. 208 (30.23Acre) Bagh Makwara Shariff, Shajanabad	Mr. Aukhaf-e-Shahi, Bhopal.	MPMRCL	*	Civil Suit No A-17/2021 (08.11.2021)	Pending before M.P.State Waqf Tribunal
4.	Regarding the ownership of a land Parcel under KhasraNo.1187 (0.275HA)& 1189(0.975 HA) on the right side of Bharat Talkies to Bherkedi Road.	Mr. Aukhaf-e-shahi Bhopal.	MPMRCL	*	Civil Suit No A-18/2021 (08.11.2021)	Pending before M.P.State Waqf Tribunal

5.	Caveat application filed by MPMRCL against M/s Engineering Projects (India) Pvt.Ltd., New Delhi. For their disqualification from the tender for construction of Rolling Stock Depot cum workshop at Subhash Nagar Metro project.	Engineering Proj. (India) Pvt. Ltd	MPMRCL	*	429/2022 (14.02.2022)	Pending before Hon'ble High Court, Jabalpur
6.	Caveat application filed by MPMRCL against M/s SMS Ltd, Nagpur For their disqualification from the tender for construction of Rolling Stock Depot cum workshop at Subhash Nagar Metro project.	M/s SMS Ltd	MPMRCL	*	428/2022 (14.02.2022)	Pending before Hon'ble High Court, Jabalpur
7.	Caveat application filed by MPMRCL against M/s SMS Ltd, Nagpur for their disqualification from the tender for construction of Rolling Stock Depot cum workshop at Gandhinagar, Indore Metro project.	M/s SMS Ltd	MPMRCL	*	276/2022 (31.01.2022)	Pending before Hon'ble High Court, Jabalpur

8.	Caveat application filed by MPMRCL against M/s Engineering Projects for their disqualification from the tender for construction of Rolling Stock Depot cum workshop at Gandhinagar, Indore Metro project.	Engineering Proj. (India) Pvt. Ltd.	MPMRCL	*	277/2022 (31.01.2022)	Pending before Hon'ble High Court, Jabalpur
9.	Apollo tower Rent, Indore	Apollo Premier	MPMRCL	Rs.45,70,141.00	-	As claimed

## 7. Disclosure in respect of Interest income:

The Interest income earned on the funds received from GoMP and GoI have been recognised in profit and loss statement including the funds received in the form of Subordinate debt (interest free) received from GoI & GoMP and Pass through Assistance (PTA) received from GoI through the budget line as disbursements of loan is yet to be made by European Investment Bank (EIB) as on 31.3.2022.

## 8. Disclosure in respect of Prepaid Expenditure:

(Amt. In Rs.)

Total Pre-paid expenses	Prepaid (Current)	Prepaid (Non current)
16,56,167.00	14,55,301.00	2,00,866.00

## 9. Disclosure in respect of Capital Commitments:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account as on the date of balance sheet is Rs. 3124.29 crores.

## 10. Companies Act 2013 mandates companies fulfilling criteria to spend/ earmark certain amount out of profits on CSR. For the financial year ending on 31.03.2022, the CSR provisions are not applicable to the company, as the company does not fall under the categories of companies mentioned under section 135(1) of the Companies Act 2013.

## 11. Disclosure pursuant to Ind AS 24 "Related party disclosures"

As per Indian Accounting Standard on related party disclosures (Ind AS 24), the names of the related parties of the Company are as follows:



a. List of related parties where control exists and their relationships:

<b>I. KMPs</b>	
1.	<b>Ms. Chhavi Bhardwaj</b> Managing Director (w.e.f.31.08.2021)
2.	<b>Shri Ajay Sharma</b> Director Project (w.e.f. 23.03.2022)
3.	<b>Ms. Niti Kothari</b> Director Finance& CFO (w.e.f. 20.05.2022)
4.	<b>Shri Sandeep Jain</b> Company Secretary

<b>II. Non Executive Directors</b>	
1.	<b>Shri Surendrakumar Bagde</b> Additional Secretary (H), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.
2.	<b>Ms. D. Thara</b> Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.
3.	<b>Shri B.K. Gupta,</b> Executive Director/Project Monitoring (SAG/IRSE), Railway Board,Ministry of Railways.
4.	<b>Shri Sanjay Mishra</b> Director (Project), Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. (UPMRCL)
5.	<b>Shri O.H. Pande</b> Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC).
6.	<b>Shri Manoj Govil</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Finance Department.
7.	<b>Shri Neeraj Mandloi</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Public Works Department
8.	<b>Shri Manish Rastogi</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Revenue Department

9.	<b>Shri Manish Singh</b> Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department
----	---

## b. Disclosure of transactions with related Parties (Key managerial persons):

Sr. No.	Related Party	Gross salary paid during FY 2021-22	Gross salary paid during FY 2020-21
1.	Ms. Chhavi Bhardwaj (Managing Director) (w.e.f: 31.08.2021)	11,33,055.00	-
2.	Shri Ajay Sharma (Director Projects) (w.e.f: 23.03.2022)	1,07,847.00	-
3.	Shri Sandeep Jain (Company Secretary) (from 1.4.21 to 31.3.22) (debited to Salary and wages)	14,94,464.00	10,56,000.00

The company has not paid any remuneration to the KMP except KMP mentioned in table b above.

**12. Disclosure in respect of Ind AS-12 (Income Taxes)**

The Company has net deferred tax asset of Rs.19,53,732.00 as on 31.03.2022.

**13. Information in respect of Interest income**

Accrued Interest income during the year is Rs. 4,87,37,778.00.

**14. Information in respect of Audit fees.**

(Amt. In Rs.)

Sr. No	Particulars	FY 21-22	FY 20-21
1	Statutory Audit fee	88,500.00	88,500.00
2	Internal Audit fee	88,500.00	-
3	Tax Audit fee	11,800.00	-

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board of Directors.

For Sanjeev Om Prakash Garg & Co.  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 008773C  
UDIN : 22077944AMWBAY4761

Sd/-  
(Sandeep Jain)  
Company Secretary  
FCS: 7847

Sd/-  
(Niti Kothari)  
Director (Finance)  
DIN:09608369

Sd/-  
CA Sanjeev Garg  
(Partner)  
Membership No. 077944  
Place: Bhopal  
Date: July 13, 2022

Sd/-  
(Manish Singh)  
Director  
DIN:02947579

Sd/-  
(Chhavi Bhardwaj)  
Managing Director  
DIN:06499360









सेकंड फ्लोर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग,  
काली बाड़ी रोड, बी.एच.ई.एल., सेक्टर-ए, बरखेड़ा, भोपाल - 462022